Page No 1

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक २ | तृतीय विधान सभा के द्वितीय सत्र, १९६२ का ९ वां दिवस | संख्या ८

बृहस्पतिवार, दिनांक १८ अक्टूबर, १९६२

विधान सभा की बैठक म० पू० ११.६ बजे विधान सभा भवन, जयपुर, में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[स्वायत्त शासन, राजस्व, उद्योग, अकाल सहायता, सार्वजनिक निर्माण, शिक्षा, विद्युत्, चिकित्सा, वित्त एवं योजना-विभाग]

डीग नगरपालिका के चुनाव

२३०. **श्री नत्थीसिंह** (भरतपुर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या डीग नगरपालिका भंग कर दी गई थी ? यदि हां, तो कब ?

(२) क्या यह सही है कि उक्त नगरपालिका के तत्कालीन चेयरमैन को ही प्रशासक नियुक्त किया गया था ? तो इस नियुक्ति की अवधि कब समाप्त हुई ? क्या यह अवधि पुनः बढ़ाई गई ? यदि हां, तो कब तक के लिए और क्यों ?

(३) डीग नगरपालिका के चुनाव कब करवाये जा रहे है ?

उप-मंत्री, वित्त, (श्री चन्दनमल वैद) : (१) जी हां। दिनांक ४ फरवरी, १९६२ से।

(२) जी हां । प्रारम्भिक अवधि दिनांक ३ अगस्त, १९६२ को समाप्त हुई। इस अवधि को पुनः ४५ दिन के लिए बढ़ाया गया। यह अवधि ३१-१२-६२ तक बढ़ी हुई है।

(३) सन् १९६१ की जनगणना के अनुसार सीटों का पुनर्निर्धारण कर दिया गया है। चुनाव प्रोग्राम जारी किया जा रहा है जिसके अनुसार फरवरी के अन्त तक चुनाव होने की सम्भावना है।

श्री नत्थीसिंह : यह चुनाव इस बीच में क्यों नहीं किये जा सके थे ; इसका क्या कारण था ?

श्री चन्दनमल वैद : उत्तर मैंने बता दिया कि जनगणना के अनुसार सीटों का पुनर्गठन करना जरूरी था इसलिए वहां पर थोड़ी देरी हुई है।

श्री नत्थीसिंह : क्या यह सही है कि पिछले अधिवेशन में यह आश्वासन दिया गया था कि किसी नॉन ऑफिशियल को एडमिनिस्ट्रेटर नहीं बनाया जायगा, उसके बाद भी इनको क्यों रखा गया ?

श्री चन्दनमल वैद : उनकी मयाद बढ़ाई गई है, नया नहीं बनाया गया है।

श्री नत्थीसिंह : क्यों बढ़ाई गई है ? क्या वहां पर कोई ऑफिसर नहीं मिलता था।

श्री चन्दनमल वैद : थोड़े समय के लिए करना जरूरी था।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) :— किसी को इस प्रकार से नहीं किया गया, लेकिन मयाद बढ़ाना भी उसी के समान है। जब उसकी अवधि समाप्त हो गई थी तो सरकार को उसे समाप्त कर देना चाहिए था और इस प्रकार से किसी गैर सरकारी व्यक्ति को एग्ज़ीक्यूटिव ऑफिसर नहीं रखना चाहिए था।

श्री चन्दनमल वैद : आश्वासन यह दिया गया था कि नया एपोइन्टमेंट नहीं किया जायगा; तो नया एपोइन्टमेंट नहीं किया गया है।

श्री मुरलीधर व्यास : उनको वापिस तो किया गया है, परन्तु जब आपने यह तय कर लिया है कि इस प्रकार से नहीं होगा तो उनकी अवधि समाप्त हो जाने के बाद उनको और समय नहीं देना चाहिए था, यह कहां तक उचित है ?

श्री चन्दनमल वैद : माननीय अध्यक्ष, मैं इसका जवाब दे चुका हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री लक्ष्मणप्रसाद।

सिवाय चक भूमि अलॉटमेंट कमेटी जिला, जयपुर

श्री लक्ष्मणप्रसाद (सिकराय) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) सिवाय चक भूमि अलॉटमेंट करने के लिये किन-किन लोगों की अलॉटमेंट कमेटी जयपुर जिले में बना रखी है ?

(२) क्या अलॉटमेंट कमेटी की मीटिंग की तारीख कमेटी के सदस्यों की राय से निश्चित की जाती है तथा अलॉटमेंट सदस्यों के बहुमत से होता है ?

(३) यदि नहीं, तो फिर अलॉटमेंट कमेटी निर्माण का क्या तात्पर्य है ?

(४) क्या जयपुर जिले के अलॉटमेंट सिवाय चक में ऐसी भी परिस्थिति कहीं आई है कि जहां एम० एल० ए०, प्रधान तथा विकास अधिकारी समय पर सूचना नहीं मिलने के कारण मीटिंग में नहीं पहुंचे एवं अलॉटमेंट तहसीलदार द्वारा कर दिया गया है ?

(५) यदि हां, तो क्या इस प्रकार का अलॉटमेंट अवैधानिक नहीं है ?

(६) क्या ऐसे भी अलॉटमेंट तहसीलदारों द्वारा किये गये हैं कि जिन काश्तकारों के पास ३० एकड़ से ज्यादा भूमि है तथा उनको और भी अलॉटमेंट दिए हैं ?

(७) क्या अलॉटमेंट सम्बन्धी नियम सभी सदस्यों को भेजे जा चुके हैं ? यदि नहीं, तो इसका क्या कारण है ?

Page No 3

उप-मंत्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (१) जिला स्तर पर सिवाय चक अलॉटमेंट के लिए अलॉटमेंट कमेटी के निर्माण किए जाने का अलॉटमेंट रूल्स, सन् १९५७ में कोई प्रावधान नहीं है। तहसील स्तर पर इस जिले की प्रत्येक तहसील में अलॉटमेंट कमेटी बनी हुई है।

(२) अलॉटमेंट कमेटी की मीटिंग की तारीख कमेटी के सदस्यों की राय से निश्चित किया जाना आवश्यक नहीं है। अलॉटमेंट रूल्स, सन् ५७ के रूल नं० १३ (३) के अन्तर्गत यह आवश्यक है कि कमेटी के मेम्बरान को मीटिंग की तारीख से कम से कम १ सप्ताह पूर्व नोटिस दिया जावे। अलॉटमेंट साधारणतया सदस्यों के बहुमत से ही किया जाता है।

(३) अलॉटमेंट कमेटी एक सलाहकार कमेटी है, जो अलॉटमेंट रूल १३ से विदित है। रूल १३ (२) के प्रोविजों के तहत तहसीलदार अलॉटमेंट कार्य उन मेम्बरान की अनुपस्थिति में जिन्हें सूचना दी जा चुकी है, स्थगित नहीं रखेगा। बल्कि ग्रामों के सरपंच व ऐसे मेम्बर जो उपस्थित हों उनकी सलाह से अलॉटमेंट कार्य करेंगे।

(४) साधारणतया अलॉटमेंट नियमानुसार ही होता है। यदि कोई विशिष्ट उदाहरण बतलाया जावे तो उसकी जांच करवाई जा सकती है।

(५) यदि रूल १३ (२) के अन्तर्गत सदस्यों को नोटिस दे दिया गया हो तो अलॉटमेंट अवैधानिक नहीं है।

(६) साधारणतया ऐसा नहीं होता। यदि इस सम्बन्ध में कोई विशिष्ट उदाहरण बताया जावे तो उसकी जांच करवाई जा सकती है।

(७) अलॉटमेंट रूल्स राजस्थान राजपत्र में प्रकाशित किये जा चुके हैं। प्रत्येक व्यक्ति से यह आशा की जाती है कि वह राजपत्र का अवलोकन करें। प्रत्येक मेम्बर को अलग नियम नहीं भेजे जाते हैं।

श्री लक्ष्मणप्रसाद : यह जैसा बताया कि सात दिन पहले इत्तला दी जाती है वह तहसीलदार ने नहीं दी, तो उसके खिलाफ कार्यवाही करने का विचार है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इत्तला दी जाती है, मैंने कहा।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : वह की गई या नहीं। इनका कहना है कि वह इत्तला नहीं दी गई।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह सवाल नहीं है। इनका क्वेश्चन है, उसमें जनरली जयपुर जिले के लिए पूछा है। जयपुर जिले में कौनसी अलॉटमेंट कमेटी ने इत्तला दी या नहीं, इसका ब्यौरा नहीं बता सकता।

कुमारी उमा माथुर (रामगढ़) : नियमानुसार अलॉटमेंट कमेटी की कितनी मीटिंग्ज साल में की जानी चाहिए ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इसके नियम नहीं हैं। महीने, दो महीने, छः महीने में अलॉटमेंट कमेटी की मीटिंग हुआ करती है, जब बरसात के पहले जमीन का अलॉटमेंट करना होता है।

Page No 4

कुमारी उमा माथुर : अलॉटमेंट कमेटी बने हुए कितना अरसा हो गया ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : १९५७ से बनी है।

श्री दलपतसिंह (आबू) : तहसीलदार अलॉटमेंट कर देता है, जब कि नियमानुसार जरूरी हो जाता है कि लैंड अलॉटमेंट कमेटी की मीटिंग बुलाकर अलॉटमेंट किया जाय।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इस कमेटी में कई सदस्य हैं; विकास अधिकारी, प्रधान, सरपंच और तहसीलदार। इन सब सदस्यों को सूचना दी जायगी। कोई सदस्य उपस्थित नहीं हो, तो इसका मतलब यह नहीं होता है कि अलॉटमेंट की कार्यवाही रुक जाय। अगर मीटिंग में कोरम हो जाता है तो अलॉमेंट किया जा सकता है।

श्री दलपतसिंह : ऐसी परिस्थिति के अन्दर जो ऐसा हो जाता है कि कोई सदस्य नहीं हो, एक ही सदस्य हो तो ऐसी परिस्थिति में क्या जरूरत पड़ जाती है कि तहसीलदार साहब लैंड अलॉट कर दें और दूसरी तारीख नहीं रखें।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : आम तौर पर अधिकांश सदस्य नहीं उपस्थित हों तो अलॉटमेंट नहीं होता है।

श्री तेजाराम गहलोत (सोजत) : क्या यह सही है कि तहसीलदार कई जगह इत्तला नहीं देते हैं और स्वयं कर देते हैं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैं निवेदन कर चुका हूं कि इत्तला देना आवश्यक है।

श्री तेजाराम गहलोत : कोरम कितने परसेन्ट का होता है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : नियमों में बता दिया गया है।

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक) : अलॉटमेंट कमेटी की कार्यवाही ग्राम पंचायत क्षेत्र में नहीं की जायगी तो क्या उसको अवैधानिक माना जायगा।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : ऐसा है कि आम तौर से वहीं की जायगी।

श्री राधाकृष्ण गोयल : तहसील हैड क्वार्टर पर बैठ कर अलॉटमेंट कर दिया जाता है तो आपकी राय में अवैधानिक नहीं माना जायगा ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : नियमों के विपरीत नहीं है।

श्री लक्ष्मणप्रसाद : मीटिंग में प्रधान और विकास अधिकारी नहीं हों, तो अगर सरपंच के नाम पर अलॉटमेन्ट हो जाय तो क्या आपको सही मानेंगे ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : सरपंच ने स्वयं के नाम पर अलॉटमेंट करा लिया हो, ऐसा उदाहरण नहीं आया है। जब कोई सदस्य उपस्थित नहीं हो और तहसीलदार और सरपंच मिल कर जमीन का अलॉटमेंट कर दें, ऐसा उदाहरण नहीं है।

श्री लक्ष्मणप्रसाद : ऐसी मिसालें दी जा सकती हैं कि तीस एकड़ जमीन दी गई है जब कि पहले ही ३० एकड़ जमीन है और वह जो जमीन है, वह सरपंच है, उनको दी है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैंने निवेदन किया कि तीस एकड़ जमीन होते हुए किसी आदमी को लैंड अलॉट हो गई है, ऐसे उदाहरण आयेंगे तो जांच करायेंगे। साथ ही साथ अलॉटमेंट रूल्स देखने से पता चलेगा कि अलॉटमेंट के विरुद्ध कलेक्टर को अपील की जा सकती है और जो हुक्म या आॅर्डर से एग्रीव्ड हों वे अपील कर सकते हैं।

श्री राधाकृष्ण गोयल : लैंडलेस से आपका क्या अभिप्राय है, कितने बीघा जमीन होनी चाहिए ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स के लिए अलग अलग निर्धारित हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री रामकिशन।

एक माननीय सदस्य : नाजायज़ रूप से किसी काश्तकार को जमीन अलॉट कर दी है तो······

प्रश्न सं० २३२

श्री अध्यक्ष : श्री रामकिशन।

(अनुपस्थित)

श्री कृष्णकुमार गोयल।

श्री भैरोंसिंह, २३३

नाईलोन यार्न

२३३. **श्री कृष्णकुमार गोयल** (कोटा): [श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) द्वारा पूछा गया] : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सत्य है कि पहिले नाइलोन यार्न विदेशों से आता था और उन पर लाइसेन्स कन्ट्रोल था ?

(२) नाइलोन फैक्ट्री, कोटा के यार्न प्रोडक्शन के बाद क्या सरकार ने उक्त फैक्ट्री के नाइलोन यार्न के वितरण पर कन्ट्रोल कर दिया है अथवा केन्द्रीय सरकार को इस सम्बन्ध में निवेदन कर दिया है ? अगर नहीं तो क्यों।

उप-मंत्री, उद्योग (श्री चन्दनमल वैद) : (१ व २)–नाइलोल यार्न के आयात और उस पर कन्ट्रोल का सम्बन्ध भारत सरकार (टैक्सटाइल कमिश्नर) का होने से राजस्थान सरकार इस विषय में उपयुक्त जवाब देने में असमर्थ है।

प्रश्न संख्या २३४

श्री अध्यक्ष : श्री रामकिशन।

(अनुपस्थित)

श्री रघुनाथ बिश्नोई।

अकालग्रसित ग्रामों में राहत-कार्य

२३५. **श्री रघुनाथ बिश्नोई** (सांचोर): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(१) क्या यह सच है कि तहसील सांचोर एवं तहसील भीनमाल में इस वर्ष वर्षा न होने से अकाल की स्थिति पैदा हो गई है ?

(२) अगर हां, तो तहसील सांचोर के उन तमाम गांवों की सूची सदन की मेज पर रखी जावे जिसमें श्रावण फसल वर्षा के अभाव में बिल्कुल नष्ट हो गई है ?

Page No 6

(श्री रघुनाथ बिश्नोई)

(३) अकालग्रसित गांवों में सरकार क्या-क्या राहत कार्य कराने का विचार रखती है ?

(४) क्या यह सच है कि तहसील सांचोर में अकाल की स्थिति होने से घास का बिल्कुल अभाव है ? अगर हां, तो सरकार इस अभाव को दूर करने के लिए शीघ्र क्या उपाय करेगी ?

उप-मंत्री, कृषि (श्रीमती कमला बेनीवाल) : (१) जी नहीं।

(२) प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

(३) प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

(४) जी नहीं।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : मंत्रीणीजी जो बता रही हैं, वह गिरदावरी के आधार पर बता रही हैं या वैसे ही बता रही हैं ; गिरदावरी हो चुकी है, उसके आधार पर बता रही हैं ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : गिरदावरी पूर्ण नहीं हुई है, कलेक्टर की प्रिलिमिनरी रिपोर्ट है, उसके आधार पर बता रही हूं।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : गिरदावरी नहीं हुई है, उसके पूर्व निश्चित कैसे कह सकती हैं कि ऐसी स्थिति नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि सांचोर के इलाके में ऐसी स्थिति है कि घास नहीं है। फैल्योर ऑफ रेन्स की वजह से ऐसी स्थिति है, इसकी जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करेंगी।

श्री अध्यक्ष : आप गिरदावरी इन इलाकों का करके पता लगा लें इस बात का।

श्री दलपतसिंह (आबू): आपने अब तक डिस्ट्रिक्टवाइज मालूम किया है कि किस किस डिस्ट्रिक्ट में कम बरसात हुई है और अकालग्रस्त हैं ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : सब डिस्ट्रिक्ट का सवाल नहीं है। भीनमाल, सांचोर का सवाल है कि वहां वर्षा कम हुई है। ऐसी स्थिति नहीं है कि अकालग्रस्त क्षेत्र घोषित किया जाय। कुछ गांवों में खराबा हुआ है, उन गांवों के बारे में गिरदावरी की रिपोर्ट आ जायगी तो कार्यवाही की जायगी।

श्री दलपतसिंह : कई जगह……

श्री रघुनाथ बिश्नोई : प्रश्न में नाम बताया है, इसके अलावा जिन गांवों में खराबा हुआ है, उनकी संख्या तीस-चालीस के आस-पास है। भीनमाल में विषम स्थिति पैदा हो गई है। वह एरिया ऐसा है जहां पशु पालक पाये जाते हैं। क्या वहां ऐसी व्यवस्था करने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : अध्यक्ष महोदय, तीस चालीस गांव नहीं हैं, पांच-सात गांव हैं, वहाँ ऐसी स्थिति देखी गई है। उनकी गिरदावरी होने पर कार्यवाही की जायगी।

श्री दलपतसिंह : आपने प्रश्न दे दिया है। अब गवर्नमेंट की यह रेस्पोन्सिबिलिटी है कि वह जिले की जानकारी प्राप्त करें। जो सांचोर तहसील में रेओधर हैं वहाँ वर्षा कम हुई है और घास की कमी है। गिरदावरी रिपोर्ट आये, उसके बाद कार्यवाही की जायगी, यह अच्छा नहीं है।

Page No 7

श्रीमती कमला बेनीवाल : गवर्नमेंट को जानकारी है कि कहां कितनी वर्षा हुई है, कहां इस प्रकार का खराबा हुआ है उसके बारे में कार्यवाही चालू है और मौके पर राहत पहुंचाई जायगी।

श्री दलपतसिंह : क्या यह बतायेंगे कि रेग्रोधर में क्या एवरेज है बरसात का ?

श्री अध्यक्ष : २३६

श्री अमरसिंह (पचपदरा) : गवर्नमेंट कोई सूचना नहीं रखती है, इस सम्बन्ध में यह देखा गया है। कई क्षेत्रों में वर्षा कम होने से मवेशियों के चरने के लिए घास नहीं है, इस ओर सरकार की ओर से सर्वथा उपेक्षा रही है और कोई प्रबन्ध नहीं किया गया है। आपका ध्यान और सदन का ध्यान मैं इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं; यह क्षेत्र सांचोर का एक ऐसा इलाका है जो खास तौर पर मवेशी-पालकों का इलाका है, निहायत अच्छे किस्म के मवेशी यहां रहते हैं। वे आज खतरे के अन्दर हैं। सरकार की तरफ से यह आवश्यक था कि वह इस विषय के अन्दर जानकारी हासिल करती और कम से कम उन मवेशियों के लिए वह कोई प्रबन्ध करती। इतने मवेशियों का फीडिंग करना सम्भव न हो तो गवर्नमेंट के लिए यह करना आवश्यक है कि किस क्षेत्र में घास अच्छी है और किस क्षेत्र में मवेशियों को माइग्रेट करना सम्भव है। यह जानकारी मवेशियों के मालिकान को सरकार की तरफ से देना आवश्यक है। जब तक गिरदावरी समाप्त नहीं होती, गवर्नमेंट के द्वारा विचार नहीं होगा और वहां फेमिन डिक्लेयर नहीं होगा और उसका नतीजा यह होगा......

एक माननीय सदस्य : यह तो प्रश्न नहीं भाषण हो गया।

श्री अमरसिंह : नतीजा यह होगा कि जानकारी के बिना जिस रूट से मवेशियों को लेकर जायें उस रूट पर खतरा हो जायगा पशुओं के खत्म होने का। इसलिए आपका जो पशु-धन है, जो बेशकीमती है और जिस पर उस एरिया के लोग निर्भर करते हैं, उसका विनाश होने का खतरा है। मैं आपके द्वारा, मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करूंगा कि उनका इतना इन्डिफरेन्स उन लोगों के प्रति होना सर्वथा अवांछनीय है और मैं आशा करता हूं कि वे कृपा करके शीघ्र से शीघ्र इसकी ओर ध्यान देंगे।

श्री अध्यक्ष : २३६

उप-मंत्री, शिक्षा (श्री निरंजननाथ आचार्य) : Mr. Speaker, Sir, this question was addressed to the P. W. D. Minister. It has been sent to Medical Department only yesterday Hance prayer for postponement.

सांचोर डिस्पेन्सरी की इमारत की मरम्मत

२३६. **श्री रघुनाथ बिश्नोई** (सांचोर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सच है कि सांचोर सरकारी डिस्पेन्सरी की इमारत की मरम्मत पिछले कई सालों से नहीं कराई गई है? अगर हां, तो मरम्मत न कराने के क्या कारण हैं?

(२) क्या यह सच है कि अस्पताल की इमारत की हालत मरम्मत न होने के

(श्री रघुनाथ बिश्नोई)

कारण बहुत खराब हो गई है और अगर शीघ्र ही मरम्मत नहीं कराई गई तो इमारत गिरने का पूरा खतरा है? अगर हां, तो इस इमारत की मरम्मत अब कब तक होने की संभावना है ?

उप-मंत्री, सामान्य प्रशासन (श्री परसराम मदेरणा) : अध्यक्ष महोदय, इसका सम्बन्ध सार्वजनिक निर्माण विभाग से नहीं है।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : अध्यक्ष महोदय, ऐसी व्यवस्था दी जा चुकी है कि क्वेश्चन को दूसरे को जिससे उसका संबन्ध हो ट्रान्सफर कर दिया जावे, ताकि उसका उत्तर दिया जावे।

श्री अध्यक्ष : नेक्सट।

राष्ट्रीयकृत पाठ्य पुस्तकें

२३७. **श्री भैरोंसिह** (किशनपोल, जयपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) राष्ट्रीयकृत पुस्तकों का प्रकाशन तथा लेखन किस प्रकार होता है ?

(ख) राजस्थान में प्रतिवर्ष किस किस पुस्तक की कितनी-कितनी आवश्यकता है ?

(ग) इस वर्ष का सत्र प्रारम्भ होने पर विभाग (Nationalisation Board of Text Books) अथवा बोर्ड के नियुक्त डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास कौन-कौन सीं पुस्तकें कितनी-कितनी संख्या में उपलब्ध थीं ?

(घ) इन पुस्तकों के वितरण की क्या व्यवस्था है ? क्या व्यवस्था के अनुसार इस वर्ष पुस्तकों का वितरण हुआ है ?

(ङ) इस सत्र के आरम्भ होने के पश्चात् कौन-कौनसी पुस्तक छप कर कब २ विभाग अथवा वितरण करने वालों के पास पहुंची ?

(च) इन पुस्तकों के मुद्रण की क्या व्यवस्था है ? इस बोर्ड के बनने से लेकर अब तक किस-किस प्रेस से कितनी-कितनी कीमत की किस-किस वर्ष में छपाई कराई गई ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उप-मंत्री, शिक्षा (श्री निरंजननाथ आचार्य) : प्राथमिक तथा माध्यमिक कक्षाओं की पाठ्य पुस्तकों को राष्ट्रीयकृत करने के लिए राष्ट्रीयकरण मण्डल ने पाठ्यक्रम में वर्णित विषयों से सम्बन्धित राजस्थान के विशेषज्ञों (जिनकी जानकारी मण्डल ने सविवरण आवेदन-पत्र आमंत्रित कर प्राप्त की), के विषयवार लेखन-मण्डल निश्चित अवधि में क्रमवार पुस्तकें लिखने के लिए नियुक्त किये। साथ ही विज्ञप्ति द्वारा अन्य इच्छुक लेखकों से भी उसी प्रकार उपर्युक्त लेखक-मण्डलों और अन्य लेखकों से निर्धारित अवधि में प्राप्त लिखित पुस्तकों को राष्ट्रीयकरण मण्डल ने विषयवार नियुक्त समीक्षण मण्डलों को समीक्षणार्थ दी। समीक्षकों ने जिन पुस्तकों को पाठ्य-क्रमानुसार अधिक उपयुक्त बताया उन्हें तथा अन्य लेखकों से प्राप्त पुस्तकें समीक्षण प्रतिवेदन (रिव्यू रिपोर्ट) सहित राज्य सरकार द्वारा नियुक्त उच्चस्तरीय समिति

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

को अन्तिम निर्णय हेतु दी गई। जो पुस्तकें इस उच्च स्तरीय समिति ने पाठ्यक्रमानुसार सर्वथा उपयुक्त बताई उन्हें नियमानुसार टेन्डर्स आमंत्रित कर उन मुद्रणालयों में मुद्रित करवा कर प्रकाशित किया गया है जिनमें वांछनीय मुद्रण कलें (प्रिंटिंग मशीनरी) समुचित रूप से हो और जिनकी दरें भी कम हों। राष्ट्रीयकृत पाठ्य-पुस्तकों का लेखन द्वारा नहीं करवाया गया है और उनका प्रकाशन आवश्यकतानुसार प्रति वर्ष किया जाता है।

(ख) राजस्थान में विभिन्न पाठ्य-पुस्तकों की आवश्यकता सम्बन्धित सत्र में विद्यार्थियों को संभावित संख्या और गत दो वर्षों में बिक्री हुई पुस्तकों की संख्या पर निर्भर करती है। विद्यार्थियों की संख्या संचालक, प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान से प्रति वर्ष प्राप्त की जाती है।

(ग) इस वर्ष शैक्षणिक सत्र, दिनांक १ जुलाई, १६६२ से आरम्भ हुआ है और उस समय राष्ट्रीयकरण मण्डल के छः वितरण केन्द्रों (सेल डिपोज़) पर जिस संख्या में विभिन्न प्रकार की पुस्तकें उपलब्ध थीं, व तालिका ए में वर्णित हैं; जो सदन की मेज पर रख दी गई हैं उपयुक्त पुस्तकें राजस्थान के पुस्तक बिक्रेताओं के पास किस संख्या में थी, यह विभाग को ज्ञात नहीं है।

(घ) राष्ट्रीयकृत पाठ्य पुस्तकों के वितरण (बिक्री) के लिए राष्ट्रीयकरण मंडल ने अजमेर, उदयपुर, कोटा, जयपुर, जोधपुर और बीकानेर में छः वितरण केन्द्र (सेल डिपोज़) स्थापित किए हुए हैं। जो पुस्तक-विक्रेता इन केन्द्रों के लिए पंजीकृत हैं उन्हें नियमानुसार राजकीय कोषागार में वान्छित पुस्तकों का मूल्य जमा कराने के पश्चात् पुस्तकें केन्द्रों के माध्यम में बेची जाती हैं। किसी कठिनाई तथा आवश्यकता के समय राष्ट्रीयकृत पाठ्य-पुस्तकें राजकीय व मान्यता-प्राप्त शिक्षणालयों, पंचायतों, समितियों और राजकीय विभागों को भी, यदि वे चाहें तो बेची जाती हैं। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी उपरोक्त व्यवस्था के अनुसार वितरण हुआ है।

श्री भैरोंसिंह : (ङ); आपको इसे बोलने में इतनी परेशानी क्यों अनुभव हो रही है।

श्री निरन्जननाथ आचार्य : '(ङ)' का बोलना साधारण नहीं है। वर्णमाला का बड़ा कठिन शब्द है।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (मांडल) : किसी और का लिखा हुआ है।

श्री भैरोंसिंह : आप ताकत अपने शरीर के अनुसार लगावें।

श्री निरंजननाथ आचार्य : आपके और मेरे शरीर में ज्यादा भेद नहीं है।

(ङ) इस वर्ष मुद्रित पुस्तकें उपयुक्त वितरण केन्द्रों पर जिस संख्या में सत्रारंभ होने के पश्चात् पहुंची हैं वे तालिका बी में वर्णित हैं, जो सदन की मेज पर रख दी गई है।

(च) राष्ट्रीयकृत पाठ्य-पुस्तकों के मुद्रण के लिए नियमानुसार टेन्डर्स आमंत्रित

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

किये जाते हैं और उन मुद्रणालयों में मुद्रित करवाया जाता है जिनमें वांछित मुद्रण कलें समुचित रूप से हों और जिनकी दरें भी कम हों। पुस्तकों के वर्षवार मुद्रण मूल्य की तालिका 'सी' सदन की मेज पर रख दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री भैरोंसिह : आपने अभी बताया कि टेन्डर नोटिस उनके मंजूर किये जाते हैं जिनके पास वांछित मुद्रण कलें समुचित रूप से हों और जिनकी दरें भी कम हों। क्या आपनें यह शर्त टेन्डर नोटिस में लिखी है ? आप जरा टेन्डर नोटिस देख लें।

श्री निरंजननाथ आचार्य : इस मामले पर हम और माननीय सदस्य दोनों एक नीति पर हैं कि जिसकी रेट कम हो उसके टेन्डर मंजूर किये जाते हैं। प्रश्न समुचित रूप से मुद्रण कलों के बारे में है, उनको हिदायत की हुई है। लेकिन वास्तव में यह देखा नहीं जाता। वे अपने यहां मशीन नहीं होते हुए भी हमको लिख कर कभी-कभी धोखे में जरूर डाल देते हैं।

श्री भैरोंसिह : जिस समय आप टेन्डर नोटिस देते हैं और टेन्डर नोटिस निकालते हैं वास्तव में उसमें इस प्रकार की कन्डीशन, टेन्डर मंजूर करने की शर्त हैं उसमें उल्लेख किया जाता या नहीं ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : टेन्डर में संभवतः यह बात नहीं लिखी जाती है। लेकिन हम प्रयत्न करते रहते हैं यह जानने का कि उसके पास कलें हैं या नहीं। यह जो माननीय सदस्य ने बताया हम उसमें सुधार करने वाले हैं।

श्री भैरोंसिह : यह आपने बताया कि जिस क्षेत्र में छात्रों की संख्या थी उसकी संख्या में डिपार्टमेंट के पास पुस्तकें मौजूद थीं, मगर आपने जो सूची रजिस्टर्ड बुकसेलर्स की दी है उसमें बताया है कि पुस्तकें उनके पास नहीं पहुंची।

श्री निरंजननाथ आचार्य: पुस्तकें तो पर्याप्त मात्रा में पहुंचाई गई। १-७-६२ को इतनी पुस्तकें थीं वे लिखते हैं। इसके अलावा ऐसी शिकायत बहुत कम आई है कि पुस्तकें नहीं पहुंची हैं। लेकिन इसको मंजूर करने में कोई दिक्कत नहीं है कि……

श्री भैरोंसिह : क्या आप डेफिनिटली कह सकते हैं कि डिपो में छात्रों की संख्या के मुताबिक पर्याप्त मात्रा में पुस्तकें थीं ? डिपो में कितनी पुस्तकें थीं ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह मैं आपको अलग बता सकता हूं। बाकी कितनी पुस्तकें थीं उसको देखने से मालूम होता है कि पुस्तकें पर्याप्त थीं, जैसा मैंने आपको निवेदन किया कि ५ लाख पुस्तकों की व्यवस्था है जो पर्याप्त थी। मेरे पास बहुत लम्बे-चौड़े आंकड़े हैं……

श्री भैरोंसिह : मैं आपके भाषण को नहीं सुनना चाहता। मैं सिर्फ यही जानना चाहता हूं कि छात्रों की संख्या के बराबर पुस्तकों की संख्या डिपो में थी या नहीं, नेक्स्ट ईयर थी या नहीं ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : मेरा यह कहना है कि पुस्तकें किसी डिपो में पहुंचने में देरी हो सकती है, आवश्यकतानुसार डिपो में पुस्तकें पहुंचाई गई।

श्री भैरोंसिंह : डिपो में आवश्कतानुसार पुस्तकें थीं या नहीं ?

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय कहते हैं कि आवश्यकतानुसार डिपो में पुस्तकें पहुचाई-अगर देरी कहीं हो गई तो भी पहुंचा दी गई।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : लाइब्रेरी आदि में जितनी पुस्तकें सप्लाई हुई हैं उनमें से कितनी गवर्नमेंट प्रेस में छपी हैं।

श्री निरंजननाथ आचार्य : गवर्नमेंट प्रेस हेवी लोडेड है जिसके कारण दूसरे प्रेसेज़ को देनी पड़ती है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : क्या आप गवर्नमेंट प्रेस में भविष्य में पुस्तकें, जिनका राष्ट्रीयकरण हो गया है, छपवाने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : आप नेशनेलाइज्ड बुक्स के छपवाने के लिये जिम्मेदार हैं।

श्री निरंजननाथ आचार्य : इस संबन्ध में मैं समझता हूं कि संबन्धित मंत्री आदेश ले लेंगे।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा)। डिपो से पुस्तक विक्रेता पहले किताबें ले लेते हैं और बाद में ब्लैक मार्केट करते हैं; क्या ऐसी बात आपके नोटिस में आई है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : डिपो से पुस्तक-विक्रेताओं को देने में कोई दिक्कते नहीं है। हमने नियम बना लिये हैं कि पुस्तक-विक्रेताओं को रजिस्टर्ड कर लिया जावे। उनको पुस्तकें दी जावें।

श्री अध्यक्ष : Next question. Shri Ram Kishan

श्री मुरलीधर व्यास : राष्ट्रीयकृत......

श्री अध्यक्ष : Order please ! फिर भी आप बोले जा रहे हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : मैं यह पूछना चाहता हूं कि राष्ट्रीयकरण......

श्री अध्यक्ष : Order please! मैंने डिस्एलाउ कर दिया है, फिर भी आप बोले जा रहे हैं। एक नियत समय है, इतने प्रश्न हैं......

श्री मुरलीधर व्यास : मैं तो एक ही प्रश्न पूछना चाहता हूं, मिली नहीं किताबें...

श्री अध्यक्ष : फिर माननीय सदस्य मेरी बात नहीं सुन रहे हैं। Order, please !

कामां में बिजली के खम्भे

२३८. **श्री रामकिशन** (वैर) : क्या विद्युत् मंत्री बताने की कृपा करेंगे :–

(१) क्या कामां (भरतपुर) में लग रहे बिजली के खम्भों की मजबूती के संबन्ध में सरकार ने पहले से कोई जांच कराई है ? यदि हां, तो किससे ?

Page No 12

(श्री रामकिशन)

(२) क्या यह सत्य है कि कामां में बिजली का एक खम्भा मामूली धक्के से ही गिर गया है और उससे एक आदमी बेकार हो गया है ?

(३) क्या इन खम्भों की गढ़ाई के लिये सरकार ने किसी को कोई ठेका दिया है ? यदि हां, तो किसको और किस रेट पर ?

उप-मंत्री, विद्युत (श्री परसराम मदेरणा): (१) जी हां। डाइरेक्टर जनरल ऑफ सप्लाईज द्वारा।

(२) नहीं।

(३) खम्भों की गढ़ाई के लिये किसी को कोई ठेका नहीं दिया गया है।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना): क्या जिस व्यक्ति को इस तरह की अनियमितता से चोट आई उसको सरकार कम्पेन्सेट करने की व्यवस्था करती है ?

श्री परसराम मदेरणा : सरकार की तरफ से चोट थोड़े ही आई है, सरकार ने चोट थोड़े ही लगाई है। ट्रकवाले ने टक्कर लगाई, खम्भा गिर गया, खम्भे के गिरने से दूकान का छज्जा गिर गया और नीचे बैठे हुए आदमी के चोट आ गई।

श्री भैरोंसिंह : खम्भा तो सरकारी था।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : खम्भा लगाते हैं तो सरकार को जांच करा लेनी चाहिये कि ठीक तरह से गढ़ा है या नहीं, क्या इस तरह की जांच की गई है ?

श्री अध्यक्ष : श्रीमती लक्ष्मीकुमारी !

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूं कि यह एक बड़ा इम्पोर्टेन्ट क्वेश्चन ....

श्री अध्यक्ष : यह समझने की बात है कि जो वर्क कम्प्लीट हो जाता है टेन्डर के अनुसार, तो किसी अफसर के द्वारा जरूर जांच की गई है।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : जांच नहीं की गई है। वहां खम्भों के आस-पास से लोगों का गुजरना भी मुश्किल हो गया है।

श्री अध्यक्ष : और भी अच्छा है, खम्भे नहीं गिरेंगे।

(विराम)

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी !

भारत सरकार द्वारा राजस्थान सरकार को देय राशि

२३९ **श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत (भीम):** Will the Public Works Minister be pleased to state:–

(1) What is the total amount due to the State Government from the Government of India in respect of accommodation occupied by the latter in the various parts of the State and its properties elsewhere ?

(2) What steps have been taken to secure expeditious payment of these dues ?

उप-मंत्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री भवानीशंकर नन्दवाना) : (1) Rs. 10.73 lacs.

(श्री भवानीशंकर नन्दवाना)

(2) Out of Rs. 10.73 lacs, Rs. 8.10 lacs pertains to Defence buildings. With a view to expedite payment of the dues of the Defence buildings, a Committee has been appointed to verify the claims.

Regarding other buildings, the matter has been taken up with the Government of India.

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : आप फिर से पढ़ें, समझ में नहीं आया।

(उत्तर पुनः पढ़ा गया)

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिह।

सरकारी डॉक्टर और प्राइवेट प्रेक्टिस

२४०. **श्री भैरोंसिह** (किशनपोल, जयपुर) : क्या स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सही है कि केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्राणी, डॉ० सुशीला नैयर ने राज्य सरकार को एक पत्र लिखकर यह सुझाव दिया है कि सरकारी डॉक्टरों को प्राइवेट प्रेक्टिस की अनुमति नहीं दी जाय ?

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या निर्णय लिया है ?

उप-मंत्री, शिक्षा (श्री निरंजननाथ आचार्य) : (१) इस मामले में इस विभाग को ऐसा पत्र नहीं मिला।

(२) प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

श्री भैरोंसिह : क्या यह सही है कि स्वास्थ्य मंत्राणी ने पार्लियामेन्ट में इस प्रकार का जिक्र किया था कि स्टेट गवर्नमेंट्स को लिखकर उनका निर्णय मांगा है कि सरकारी डाक्टरों की प्राइवेट प्रेक्टिस बन्द करने के बारे में उनके क्या सुझाव हैं ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : वह रेफरेंस न माननीय सदस्य के पास है और न मेरे पास है। How can I know whether there has been any debate on the floor of Parliament ?

श्री भैरोंसिह : क्या राज्य सरकार को इस प्रकार का पत्र नहीं मिला ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह तो मैंने नं० १ के उत्तर में कहा है।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसींद) : क्या सरकार की मंशा है कि सरकारी डॉक्टरों की प्राइवेट प्रेक्टिस बन्द की जाय?

श्री निरंजननाथ आचार्य : मंशा का मैं कुछ कह नहीं सकता, मंशा तो बहुत बड़ी चीज होती है।

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिह।

जयपुर शहर को "बी" श्रेणी का नगर घोषित करने के सम्बन्ध में

२४१. **श्री भैरोंसिह** (किशनपोल, जयपुर) : क्या वित्त मंत्री उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने भारत सरकार से यह निवेदन किया है कि जयपुर नगर को 'बी' श्रेणी का नगर घोषित कर दिया जावे ?

(श्री भैरोंसिंह)

(२) भारत सरकार का क्या उत्तर प्राप्त हुआ है ?

(३) प्रश्न (क) का उत्तर 'नहीं' होने की दशा में राजस्थान सरकार जयपुर नगर को "बी" श्रेणी का नगर घोषित करने के लिये किन कारणों से सिफारिश नहीं करना चाहती ?

वित्त मंत्री (श्री बालकृष्ण कौल) : (१) जी हां, ३०-१-६२ को भारत सरकार को लिखा गया था।

(२) भारत सरकार ने राज्य सरकार की सिफारिश को स्वीकार नहीं किया है।

(३) प्रश्न (१) के उत्तर से यह प्रश्न खड़ा नहीं होता।

श्री भैरोंसिंह : भारत सरकार का पत्र आने के बाद क्या राजस्थान सरकार ने फिर भारत सरकार को लिखा है ?

श्री बालकृष्ण कौल : जी नहीं।

श्री भैरोंसिंह : भारत सरकार ने किन कारणों को जयपुर शहर को 'बी' श्रेणी का नगर न बनाने के सम्बन्ध में लिखा है ?

श्री बालकृष्ण कौल : भारत सरकार ने यह बतलाया है कि जहां ५ लाख से अधिक पोपुलेशन होती है, उसी को 'बी' श्रेणी में केटेगराइज़ किया जाता है।

एक माननीय सदस्य : क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि जयपुर की इस वक्त पॉपुलेशन कितनी है ?

श्री बालकृष्ण कौल : जो सेंसस की रिपोर्ट है, उसके अनुसार चार लाख से कुछ अधिक है

श्री भैरोंसिंह : क्या सरकार को मालूम है कि "बी" श्रेणी का नगर बनाने के लिये यह आवश्यक नहीं है कि ५ लाख की आबादी हो। मकानों का किराया और मंहगाई, ये दो फैक्टर्स भी ऐसे हैं जिनसे कि किसी नगर को "बी" श्रेणी का नगर घोषित किया जा सकता है ?

श्री बालकृष्ण कौल : सरकार के सामने सभी फैक्टर्स हैं, उसी के आधार पर फैसला किया है।

श्री भैरोंसिंह : आपका फैसला नहीं, आपने तो लिख दिया कि जनसंख्या के अनुपात से इसको 'बी' क्लास का सिटी बनाना चाहिये। मैं यह कह रहा हूं कि जनसंख्या नहीं, मकान किराया, मंहगाई आदि को कन्सीडर करते हुए भी 'बी' क्लास सिटी घोषित किया जा सकता है। और भी शहर हैं जिनकी जनसंख्या ५ लाख से कम है, पर उनको 'बी' क्लास सिटी बनाया है। तो इसके सम्बन्ध में राजस्थान सरकार ने भारत सरकार को कहा कि नहीं ?

श्री बालकृष्ण कौल : राजस्थान सरकार ने भारत सरकार को सारी चीजें खुलासे से लिखी और वे इसके लिये तैयार नहीं हुए कि जयपुर शहर को 'बी' श्रेणी का शहर घोषित किया जाय।

श्री भैरोंसिंह : क्या राजस्थान सरकार ने भारत सरकार को यह भी लिखा था कि जयपुर शहर में मंहगाई ज्यादा है और मकान किराया भी ज्यादा दिया जाता है ?

श्री बालकृष्ण कौल : इसका जवाब मैं दे चुका हूं।

श्री भैरोंसिंह : इन दो मुद्दों पर रिकमन्डेशन राजस्थान सरकार ने भारत सरकार से की या नहीं ?

श्री बालकृष्ण कौल : राजस्थान सरकार ने जितनी मुमकिन चीजें हो सकती हैं वे लिखी हैं और आपने फरमाया वह भी लिखा है।

श्री अध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास।

बीकानेर नगरपालिका को सैनिटेशन सुधार हेतु ऋण

२४२ **श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(१) क्या बीकानेर नगरपालिका ने स्लम क्लियरेंस व नालियों की मरम्मत व सैनिटेशन सुधार के लिये सरकार से कोई रकम मांगी है ? यदि हां, तो कितनी ?

(२) जो रकम मांगी गई वह दी गई या नहीं ?

(३) क्या इस सम्बन्ध में कोई रकम जोधपुर नगरपालिका को कर्ज दी गई है ? यदि हां, तो कितनी-कितनी व किस-किस कार्य के लिये ?

उप–मंत्री, वित्त (श्री चन्दनमल वैद) : (१) जी नहीं

(२) प्रश्न ही नहीं उठता।

(३) सन् १९६२-६३ में कोई रकम नहीं दी गई ?

श्री मुरलीधर व्यास : ६१–६२ में कोई रकम दी गई है जोधपुर को ?

श्री चन्दनमल वैद : जी नहीं।

श्री मुरलीधर व्यास : क्या जैसा कि अखबारों में आया, कि जोधपुर को सेनिटेशन के लिये १० लाख की राशि स्वीकृत की गई है, तो क्या यह माना जाय कि यह विज्ञप्ति गलत है।

श्री चन्दनमल वैद : मैं जवाब दे चुका हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास !

भूमिपतियों को भूमि का आलॉटमेन्ट

२४३. **श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(१) क्या यह सही है कि तहसील पदमपुर, जिला गंगानगर में जो भूमि भूमिहीनों के नाम से अलॉट की गई है वह अधिकतर भूमिपतियों को मिली हैं ?

(२) यदि हाँ, तो सरकार इस मामले की जाँच करवायेगी ?

उप-मंत्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्‌डा) : अध्यक्ष महोदय, इसकी सूचना प्राप्त नहीं हुई है, इसलिये इसका उत्तर अगले टर्न पर दिया जायगा।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर): अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने क्या कहा समझ में नहीं आया।

श्री अध्यक्ष : सूचना नहीं आई है।

श्री भैरोंसिंह !

माउन्ट आबू नगरपालिका

२४४. **श्री भैरोंसिंह** (किशनपोल, जयपुर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि माउन्ट आबू नगरपालिका में चुनाव न करवाये जा कर नगरपालिका को मनोनीत किया गया है ? यदि हां, तो क्यों और मनोनीत सदस्य कौन-कौन हैं ?

(२) सदस्यों को मनोनीत करने में सरकार ने क्या आधार निर्धारित किया है ?

(३) क्या यह सही है कि नगरपालिका के इन मनोनीत सदस्यों में से कई सदस्य ऐसे हैं जिनके विरुद्ध भूतपूर्व नगरपालिकाओं के सदस्य होने के नाते नगरपालिका के धन के दुरुपयोग तथा अनियमितता करने की शिकायतें सरकार के सामने आई हैं ? यदि हां, तो किन-किन के विरुद्ध ?

उप-मंत्री वित्त (श्री चन्दनमल वैद) : (१) जी हां। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, १९५९ की धारा १० (१) के अन्तर्गत ऐसा किया गया है। मनोनीत सदस्यों के नाम निम्न प्रकार हैं –

(१) श्री बद्रीलाल अग्रवाल

(२) श्री नत्थूसिंह

(३) श्री नूरुद्दीन जिया

(४) श्री जीवनलाल

(५) श्री कीरोण महरवानजी

(६) श्री हरबंससिंह भूपिया

(७) श्री भीखाभाई पंचाल

(८) श्री मुन्शीलाल अग्रवाल पुत्र श्री गणपतराम

(९) श्री कालूराम (अनुसूचित जाति)

(१०) श्री ठाकुर पुत्र श्री हेमाजी (अनुसूचित जनजाति)

(२) सारे शहर की आबादी को ध्यान में रख कर उनके प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्तियों को सरकार ने मनोनीत किया है। इनमें एक स्थान अनुसूचित जाति व एक अनुसूचित जन जाति के व्यक्ति को भी दिया है।

(३) जी नहीं।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि आबू में जो पहले नगरपालिका थी उसमें श्री बद्रीलाल अग्रवाल चैयरमैन थे और उनके खिलाफ अभियोग चलाया गया था कि नगरपालिका के धन का दुरुपयोग किया है; इसकी जांच की गई और सही पाये जाने के कारण बोर्ड को डिजॉल्व किया गया ?

श्री चन्दनमल वैद : इसकी जांच की गई और मामला गलत पाया गया।

श्री भैरोंसिंह : किस बात की जांच कर ली गई ?

श्री चन्दनमल वैद : जो चार्जेज उन पर लगाये थे उनकी।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि चार्जेज लगाने के बाद उनको नोटिस दिया गया और बोर्ड को डिजोल्व किया गया ?

श्री चन्दनमल वैद : जो दो सदस्यों पर चार्ज लगाया गया था उनकी जांच की गई और जांच से गलत पाये गये ?

श्री भैरोंसिंह : गलत पाने का सवाल नहीं है। गवर्नमेन्ट का डिसिजन हुआ था उनको हटाने का । जांच कैसे गलत पायी गई ? गवर्नमेन्ट ने उसको हटाया है तब जाकर ।

श्री चन्दनमल वैद : गवर्नमेन्ट ने नहीं हटाया ।

श्री भैरोंसिंह : चार्जेज थे तब ही हटाया, फिर उसको चेयरमैन बना दिया।

श्री अध्यक्ष : शो कॉज नोटिस दिया या हटाया ?

श्री भैरोंसिंह : हटाया गया है ।

श्री दलपतसिंह : क्या आबू में एडमिनिस्ट्रेटर अब तक म्युनिसिपैलिटी को गवर्न नहीं किया करता था ?

श्री चन्दनमल वैद : जो सदस्य मनोनीत किये गये हैं, हाईकोर्ट से रिट आगई इसलिए चेयरमैन हैं ।

श्री भैरोंसिंह : यह एक सीरियस मामला है कि कांग्रेस के व्यक्ति मिस-एप्रोप्रियेशन करें, एम्बेजलमेन्ट करें और आप उनको शील्ड करते हैं ।

श्री चन्दनमल वैद : I object to his Statement.

श्री भैरोंसिंह : I stress this point.

और कोई कारण नहीं है । जो कांग्रेस का व्यक्ति एम्बेजलमेन्ट करे, मिस-एप्रोप्रियेशन करे तो कोई बात नहीं और दूसरा यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता तो फौरन उसको सीकचों में रख देते और कांग्रेस के लिए खुली छूट है ।

(शोरगुल)

श्री चन्दनमल वैद : It is only playing to the gallery.

श्री भैरोंसिंह : You are playing to the gallery. You are speaking a lie, white lie.

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय, साफ कह चुके हैं कि लाई और व्हाइट लाई का सवाल नहीं है । स्पष्ट तौर पर कहा है कि इस तरह की जांच की गई और चार्जेज गलत पाये गये । यह प्रश्न कहां पैदा होता है ?

श्री भैरोंसिंह : यों पैदा होता है कि इसी सदन में मैंने जब पहले यह प्रश्न उठाया था तो यह जवाब दिया गया था कि उसको हटा दिया गया है और बोर्ड को डिजॉल्व किया गया है । पिछले स्वायत्त शासन मंत्री श्री बद्रीप्रसाद जी को सही मानें या इनको सही मानें ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ने बताया कि नोटिस दिया गया था ।

श्री भैरोंसिंह : यह जवाब दिया था कि कार्यवाही कर ली गई, क्योंकि मैंने एक पर्टीकुलर इसके लिए प्रश्न पूछा था ।

श्री अध्यक्ष : It can be ascertained.

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना): प्रश्न के भाग (२) में यह बात कही गई है कि सरकार ने प्रतिनिधि समझ कर मनोनीत किया है। यह कैसे मान लिया जाय ? सरकार ने किस ग्राधार पर देखा कि उन्हीं को नोमिनेट किया जा सकता है ?

श्री चन्दनमल वैद : नोमिनेट किसी को भी किया जा सकता है।

श्री भैरोंसिह : बेसिस क्या था ?

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : On a point of order, Sir, क्या यह पोलिटिकल बेसिस नहीं था कि कांग्रेस के ही ग्रादमियों को छांट छांट कर रखें ?

(ग्रल्प विराम के ग्रनन्तर)

श्री गिरधारीलाल व्यास (ग्रासीन्द) : यह कोई पॉइन्ट ग्रॉफ ग्रॉर्डर नहीं है।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : मेरे प्रश्न का जवाब देने के लिए मंत्री महोदय को कहा जाय। क्या पोलिटिकल बेसिस लेकर ही नोमिनेशन किया जाता है ?

श्री ग्रध्यक्ष : इसका क्या उत्तर दिया जा सकता है ? नोमिनेशन का यही क्राइटेरिया होता है।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : ग्राबू म्युनिसिपेलिटी में चेयरमैन को नोमिनेट किया ग्रौर दूसरों को किया तो फिर वहां पर चुनाव न कराने के क्या ग्राधार हैं ?

श्री चन्दनमल वैद : प्रश्न के भाग (१) में मैं बता चुका हूं।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : कमेटी नोमिनेट करेगी म्युनिसिपेलिटी के मेम्बर ?

श्री चन्दनमल वैद : बता चुका हूं।

श्री दलपतसिंह (आबू) : गवर्नमेन्ट का बोर्ड शुरू से ही वहां पर कायम था ग्रौर कलेक्टर एडमिनिस्ट्रेटर का काम करता था। पांच साल का मुझे वहां का ग्रनुभव है। वहां पर कभी कोई मिसएप्रोप्रियेशन नहीं हुग्रा, एम्बेज़लमेन्ट नहीं हुग्रा। हिल स्टेशन होने के नाते सब नागरिकों को बुलाकर, जनसंघ भी था, सब पोलिटिकल पार्टीज के नागरिकों को बुलाकर उनको ये राइट्स देकर हमने उनको यह चान्स दिया है।

श्री भैरोंसिह : खादी पहिनने के बाद ऐसा कह रहे हैं।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : On a point of order Sir, एक व्यवस्था का प्रश्न है।

(शोरगुल)

श्री अध्यक्ष : Order ! Order please !!

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : चुनाव का वातावरण बनाया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष : Order ! Order please !!

श्री दलपतसिंह : सब रिप्रेज़ेन्टेटिव्ज मौजूद थे, सबको इक्वल राइट्स थे। जनसंघ की भी पार्टी मौजूद थी।

श्री भैरोंसिह : ६ महीने से यह खादी का ग्रवसर हुग्रा है।

Page No 19

श्री अध्यक्ष : Next Question.

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : On a point order, Sir, एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री दलपतसिंह : पोलिटिकल पार्टीज़ को राइट देकर उनमें एक जागृति लाने जा रहे हैं। जनसंघ और दूसरी पार्टीज़ को लेकर मनोनीत किया है।

श्री अध्यक्ष : Order please !

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : एक व्यवस्था का सवाल है। ट्रेज़री बेन्चेज़ की तरफ से जो व्यक्ति बड़े जोर से बोल रहे थे तो क्या यह माना जाय कि वह गवर्नमेंट के मंत्री की सफाई है और उनके पक्ष को प्रबल करने के लिए भाषण कर रहे थे ?

श्री दलपतसिंह : I am a representative of the public.

(शोरगुल)

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : मंत्री महोदय की ओर से जो इन्होंने सफाई दी है उन शब्दों को सारों को एक्सपन्ज कर देना चाहिये। आप कोई सवाल पूछ सकते हैं। यह नहीं हो सकता कि आप मिनिस्टर महोदय को जवाब देने में एसोसियेट करें और प्रबल करने के लिए भाषण दें।

श्री दलपतसिंह : वहां की स्थिति मेरी नोलेज में है, इसलिए मैंने अर्ज किया।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : आप नियमों का पालन करें।

श्री अध्यक्ष : Order please !

(शोरगुल)

श्री गिरधारीलाल व्यास : माननीय सदस्य को जानकारी नहीं थी।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : माननीय मंत्री महोदय ने संतुष्टि का जवाब नहीं दिया है।

श्री चन्दनमल वैद : बिलकुल संतोष दिलाया है।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : On a point of order, Sir, मैंने एक व्यवस्था का प्रश्न उठाया था। क्या इस तरह से किसी भी सदस्य महोदय को इन्टरप्रेट करने का अधिकार है कि मंत्री महोदय के उत्तर के लिए, उसको प्रबल करने के लिए लेक्चर झाड़ दें। इस सम्बन्ध में अध्यक्ष महोदय, आपकी व्यवस्था चाहिये।

श्री अध्यक्ष : यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। माननीय सदस्य ने पूछा कि सरकारी पक्ष को प्रबल करने के लिए भाषण दिया जा सकता है। जब क्षीण करने के लिए दिया जा सकता है तो प्रबल करने के लिए भी दिया जा सकता है।

श्री मोतीलाल चौधरी (डीडवाना) : किसी के लिए यह कहना कि, 'लेक्चर झाड़ना' यह अनपार्लियामेन्ट्री शब्द है और इसको एक्सपंज किया जाना चाहिये।

मुख्य मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : कोई अनपार्लियामेन्ट्री बात नहीं है; बहुत से लेक्चर उस दृष्टि से हो सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास।

Page No 20

बीकानेर में वाल बोर्ड का कारखाना

२४५. **श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर): क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(१) बीकानेर में वाल बोर्ड (Wall Board) का कारखाना खोलने के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार ने क्या सिफारिश की है ?

(२) इस कारखाने के खोलने के सम्बन्ध में अब तक सरकार की ओर से क्या क्या कार्यवाही की गई हैं ?

(३) यह कारखाना कब तक खुल जाने की संभावना है ?

उप-मंत्री, योजना (श्रीमती कमला बेनीवाल) : (१) बीकानेर में जिप्सम वाल बोर्ड का कारखाना खोलने के सम्बन्ध में भारत सरकार के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय ने लाइसेन्सिग कमेटी से निम्नलिखित सिफारिश की है :–

"In view of the utility of the material and its several advantages, the Mineral Industrial Directorate recommends issue of the industrial license applied for by the party, provided :—

(1) the terms of foreign collaboration would be subject to approval of the Govt; and

(2) the concurrence of the Heavy Chemicals Directorate from the point of availability of Gypsum rock for the purpose is given."

(२) इस कारखाने को खोलने के लिए राज्य सरकार ने दिनांक १९-९-६१ को भारत सरकार से औद्योगिक लाइसेन्स प्रदान करने की सिफारिश की है तथा फेक्ट्री लगाने के लिए उचित सुविधायें उपलब्ध करने का आश्वासन भी दिया है ।

(३) चूंकि अभी तक भारत सरकार द्वारा लाइसेन्स नहीं प्रदान किया गया, अतः इस सम्बन्ध में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता ।

श्री मुरलीधर व्यास : सन् ६१ में भारत सरकार को इसके लिए लिखा गया, लेकिन अब तक भारत सरकार ने लाइसेन्स प्रदान नहीं किया है। फिर से भारत सरकार को इस सम्बन्ध में रिमाइन्ड किया गया है ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : लाइसेन्स कमेटी की मीटिंग २३-१२-६१ को हुई थी। कुछ पाबन्दी पार्टी पर लगाई थी। पार्टी ने उनको मानने के लिए एग्री कर लिया है, लेकिन जिस पार्टी के साथ कोलेबोरेशन चल रहा है वह फाइनल हो जाने पर काम शुरू होगा ।

श्री अध्यक्ष : श्री केदारनाथ ।

भूमिहीन जमींदार

२४६. **श्री केदारनाथ** (गंगानगर): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि राजस्थान बिस्वेदारी जमींदारी उन्मूलन अधिनियम, १९५९ के लागू होने से जमींदार भूमिहीन किसान हुए हैं ? यदि हां, तो कितनी संख्या में ?

उप-मंत्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा): अध्यक्ष महोदय, इसका उत्तर नहीं आया है इसलिये अगले सप्ताह तक स्थगित रखा जाय ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर): क्या कहा मंत्री महोदय ने ?

श्री अध्यक्ष : उत्तर अगले सप्ताह में दिया जायगा।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : क्या गंगानगर की डाक बंद है ? हर प्रश्न जो गंगानगर के बारे में होता है उसके बारे में यही कहा जाता है कि बाढ़ के कारण उत्तर नहीं आया।

श्री अध्यक्ष : श्री भैरवलाल 'कालाबादल'।

कन्या मिडल स्कूल के भवनों का निर्माण

२४७. **श्री भैरवलाल 'कालाबादल'** (अकलेरा): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) पंचायत समिति, अकलेरा व मनोहरथाना, जिला झालावाड़ में कन्या मिडल स्कूल कितने हैं और ये स्कूल किस-किस जगह पर हैं, तथा अलग-अलग छात्राओं की संख्या कितनी है ?

(२) इन कन्या मिडल स्कूलों के भवनों की क्या व्यवस्था है ? सरकारी हैं या जनता के ?

(३) क्या यह सही है कि बार-बार जनता द्वारा मांग की जाती है कि मनोहरथाना तथा अकलेरा कन्या मिडल स्कूलों के भवन बनाये जावें ?

उप-मंत्री, शिक्षा (श्री निरंजननाथ आचार्य) : (१) पंचायत समिति, अकलेरा व मनोहरथाना, जिला झालावाड़ में दो कन्या माध्यमिक शालायें हैं जो अकलेरा व मनोहरथाना में स्थित हैं; इनकी छात्राओं की संख्या निम्न है :—

(१) कन्या माध्यमिक शाला, अकलेरा :

कक्षा	छात्र संख्या
१	४२
२	२७
३	२२
४	२८
५	१८
६	७
७	८
८	९
योग	१६१

(२) कन्या माध्यमिक शाला, मनोहरथाना :

१	३३
२	२६
३	२३
४	२०
५	२०
६	१३
७	१०
८	९
योग	१५४

(२) ये दोनों शालाएं किराये के सदन में चल रही हैं।

(३) जी हां, जनता द्वारा ऐसी मांग की गई है, किन्तु भवन-निर्माण का कार्य धनाभाव के कारण हाथ में नहीं लिया जा सका है।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' : क्या शहर और गांवों की जनता के साथ शिक्षा के बारे में भी भेदभाव बरता जाता है? इसको कब तक पूरा करने का इरादा है?

श्री निरंजननाथ आचार्य : अध्यक्ष महोदय, भेदभाव का प्रश्न नहीं है। भेदभाव का प्रश्न पैदा नहीं होता। हां, अलबत्ता संख्या बहुत कम है; ७, ८ और ९' अटेन्डेन्स का निर्माण नहीं किया जा रहा है।

एक माननीय सदस्य : पॉपुलेशन बढ़ाई जाय।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' : शहरों में युनिवर्सिटीज़ खोल रहे हैं, उसका सारा खर्चा आप करते हैं। गांवों के गरीब लोग आगे बढ़ना चाहते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में उनको आगे नहीं बढ़ने देना चाहते। लड़कियों की संख्या तो बढ़ जायगी, अगर आप आगे पढ़ने की सुविधा देंगे।

श्री निरंजननाथ आचार्य: यह प्रश्न नहीं है, भाषण जरूर है। शहरों और गांवों के बीच में कोई भेदभाव नहीं है।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' : गांवों के बारे में कई प्रकार के प्रश्न पूछे हैं। सड़कों के बारे में पूछते है तो कहते हैं आर्थिक कठिनाई है, स्कूलों के बारे में पूछते हैं तो कहते हैं छात्र नहीं हैं या भवन नहीं हैं, शफाखानों के बारे में पूछते हैं तो डॉक्टर नहीं है!

श्री निरंजननाथ आचार्य : किराये के मकान में भी पाठशाला चलायी जा सकती है। छात्राओं की संख्या बहुत कम है। ७, ८ व ९ छात्राओं की संख्या आगे खोलने के लिये पर्याप्त नहीं है।

एक माननीय सदस्य : माननीय सदस्य को विरोधी दल में भेज दिया जाय।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : 'कालाबादल' गरजकर बरसेगा तभी शान्ति होगी।

श्री निरंजननाथ आचार्य : अब तो बरसात चली गई है।

श्री अध्यक्ष : श्री छतरसिंह।

तहसील आहोर में सम्मेलन (कन्सोलिडेशन) शुल्क

श्री छतरसिंह (आहोर) : Will the Minister for Revenue be pleased to state :—

Whether the Government is aware of the fact that the consolidation fee charged for well irrigated lands and that for other lands in Ahore Tehsil is one and the same while the consolidation was limited only to the latter.

उप-मंत्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा): Yes, the consolidation scheme was not limited to non-chahi lands only but to all classes of lands,

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : कंसोलिडेशन फीस चार्ज करने का आधार क्या है?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : सुनाई नहीं दिया।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : आहोर में चाही लैंड का कंसोलिडेशन हुआ या नहीं हुआ? यदि हुआ, तो कितने बीघों में?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : आहोर में कंसोलिडेशन हुआ है। यह आहोर के संबंध में ही उत्तर है।

श्री छतरसिंह : जो आहोर तहसील में कंसोलिडेशन हुआ है वह कुओं से सिंचाई होती है उसका नहीं हुआ जब कि फीस कुओं पर ली जाती है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : शायद इस संबंध में आपको पूरी जानकारी नहीं है। इसमें वैल और बारानी का कोई डिस्टिंक्शन नहीं है। कंसोलिडेशन रूल्स की तहत सारे राजस्थान को तीन हिस्सों में बांट रखा है; एक तो वे हिस्से हैं जो प्रोजेक्ट एरिया में हैं, दूसरे वे हैं जो पिलाईवाले हैं और तीसरे डेजर्ट एरिया। पिलाईवाले एरिया में उस हिस्से के लिये निर्धारित रेट से फीस ली जाती है, प्रोजेक्ट एरिया में प्रोजेक्ट एरिया के लिये निर्धारित रेट ली जाती है और डेजर्ट एरिया में डेजर्ट एरिया के लिये निर्धारित रेट ली जाती है। चाहे बारानी हो, चाहे चाही हो, इसमें फर्क नहीं पड़ता है।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : आहोर तहसील का किस आधार पर हुआ है?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : कंसोलिडेशन जिस गांव में होता है उसमें किसी जमीन के संबंध में कंसोलिडेशन नहीं हुआ हो, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से कंसोलिडेशन की स्कीम सारे गांव को प्रभावित करती है। वहां पर जो सैटलमेन्ट के रेकॉर्ड्स हैं उनमें दुरुस्ती होती है; म्युटेशन का सवाल होता है, उनके मेजरमेन्ट और रकबे में फर्क होता है तो वह दुरुस्त होता है। सार्वजनिक खेतों के लिए जमीन की आवश्यकता होती है तो वे अलग से रिजर्व रखे जाते हैं। इस प्रकार की जो कार्यवाही जिन खेतों में कंसोलिडेशन होता है उनके लिये की जाती है, तो इस प्रकार की सारी कार्यवाही उन लोगों के लिये की जाती है जिनके एक्चुअली कंसोलिडेशन में खेत आते या जाते नहीं हैं लेकिन इस स्कीम से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्षरूप से सारा गांव प्रभावित होता है।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : सरकार को एक्स्ट्रा कौनसा खर्चा करना पड़ता है जिसके लिए फीस चार्ज करने की आवश्यकता पड़ती है?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : जब नक्शे में दुरुस्ती करनी पड़ती है, रेकॉर्ड में रकबा दुरुस्त करना पड़ता है उसके लिये स्टाफ होता है उसका समय इस सब कार्य को करने के लिए लगता है। स्टाफ चाहे नया नहीं भी मुकर्रर करना पड़े लेकिन अगर वही स्टाफ यह काम नहीं करे तो दूसरा काम जल्दी हो सकता है। कंसोलिडेशन से सब में समानता लानी जरूरी है। यह नहीं कि ५० खेतों का कंसोलिडेशन हो गया तो उनका रेकॉर्ड और किस्म का बना दिया जाय और बाकी सब का आउट ऑफ डेट बना रहे।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : सैटलमेन्ट करते समय यह काम भी साथ में कर लिया जाय तो एक्स्ट्रा खर्चा नहीं करना पड़े?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : सैटलमेन्ट होता है, लेकिन कंसोलिडेशन और सैटलमेन्ट साथ में नहीं होता; आगे पीछे होता है, तब यह सवाल आता है।

श्री तेजाराम गहलोत (सोजत) : मेन्टिनेंस ऑफ रेकॉर्ड्स और म्यूटेशन रेवेन्यू ऑथोरिटीज़ करती हैं । कंसोलिडेशन भी रेवेन्यू डिपार्टमेन्ट द्वारा किया जाता है, फिर अलग फीस क्यों ली जाती है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : जिस समय सैटलमेंट हुआ है उससे पहले ५ बीघा जमीन भी किसी के कब्जे में है और कब्जे में इजाफा हो जाता है तो वह भी दुरुस्ती हो जाती है। म्यूटेशन गलत हो जाता है तो वह भी ठींक कर दिया जाता है। दूसरा, सार्वजनिक कार्य के लिये जरूरत होती है तो वह भी रह जाती है । इस सब का प्रभाव सारे गांव पर पड़ता है ।

श्री तेजाराम गहलोत : क्या सरकार बतायेगी कि दूसरी बार जब कंसोलिडेशन करना चाहेंगे तब फिर उनसे दुबारा टैक्स वसूल करेंगे ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इसका सवाल नहीं है । कंसोलिडेशन १०-२० दफा नहीं होता है । कंसोलिडेशन एक साथ ही होता है । लेकिन कुछ खेत ऐसे हो सकते हैं, सिंगल प्लॉट हों, उन पर बदले में किसी को देना नहीं, लेना नहीं । यदि ऐसे जो कंसोलिडेशन स्कीम के अंतर्गत आते नहीं उन पर नहीं होता तो जो आज नहीं आते वे कल कैसे आयेंगे, यह सवाल पैदा नहीं होता । एक ही बार कंसोलिडेशन होता है ।

किशनगढ़- श्रीनगर (अजमेर) सड़क

२४९. **श्री बालचन्द डागा** (किशनगढ़): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि अजमेर जिले में किशनगढ़ से श्रीनगर तक सड़क बनाने की योजना विचाराधीन है ?

(२) क्या यह भी सही है कि उक्त सड़क के निर्माण का कार्य शुरू किया जाकर बन्द कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों? अब उक्त सड़क कब तक पूरी बना दी जावेगी ?

उप-मंत्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री भवानीशंकर नन्दवाना) : (१) जी हां ।

(२) कार्य चालू है ।

देहाती चिकित्सालयों में डॉक्टरों का अभाव

२५०. **श्री भीमसेन** (लूणकरणसर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने का कष्ट करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि राज्य के देहाती क्षेत्रों के चिकित्सालयों में शहरी क्षेत्र की तुलना में डॉक्टरों का अभाव रहता है ?

(२) क्या यह सही है कि आम तौर पर डॉक्टर्स गांव की अपेक्षा शहरी जिन्दगी को अधिक पसन्द करते हैं ? अगर हां, तो क्या राज्य सरकार मेडिकल कॉलेजेज़ में प्रवेश के लिये देहाती क्षेत्रों के लड़कों के लिये कुछ स्थान निश्चित् करके किसी हद तक इस समस्या का समाधान करने का विचार रखती है ?

उप-मंत्री, शिक्षा (श्री निरंजननाथ आचार्य) : (१) जी हां ।

(२) जी हां । मेडिकल कॉलेजेज़ में दाखिला केवल मैरिट पर ही होता है । इसमें देहातों और शहरी क्षेत्रों का कोई विचार नहीं रखा जाता ।

श्री गिरधारीलाल व्यास (ग्रासीन्द) : क्या यह सही है कि गावों के अस्पताल हैं उसमें सदैव डॉक्टर, कम्पाउन्डर्स का अभाव होता है उसके बमुकाबले शहरी अस्पतालों के जहां स्ट्रेन्थ होती हैं उनसे भी ज्यादा डॉक्टर्स रखे जाते हैं ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैंने कहा, 'अभाव रहता है'। शहरों में बाहुल्य रहता है, इसका प्रश्न है।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : क्या सरकार का विचार देहात के डॉक्टर्स को कुछ स्पेशल अलाउन्स देने का है ?

श्री निरन्जननाथ आचार्य : विचार ही नहीं है, बल्कि देहात में डॉक्टर्स को ७५)रु. माहवार अलाउन्स मिलता है।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना) : क्या सरकार ने उन कारणों की जानकारी की है कि शहरों में रहना क्यों पसन्द करते हैं, गांवों में क्यों नहीं और इस तरह के कारणों को ध्यान में रखकर गांवों में भेजने का प्रयास किया है ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री भीमसेन।

श्री गिरधारीलाल व्यास (ग्रासीन्द) : अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न और है। क्या सरकार ने रूरल अलाउन्स जो मुकर्रर किया है वह ऐसा प्रभावशाली है जिसकी वजह से डॉक्टर्स आकर्षित होकर गांवों में जाना पसन्द करेंगे ?

श्री निरन्जननाथ आचार्य : ७५) रुपये काफी प्रभावशाली हैं।

श्री गिरधारीलाल व्यास : फिर भी नहीं जाते, इसका क्या कारण है ?

श्री अध्यक्ष : प्रभाव की कमी है।

काश्तकारों को लगान के लिये मांग-पत्र

२५१. **श्री भीमसेन** (लूणकरणसर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(क) गांव मकड़ासर, तहसील लूणकरणसर के काश्तकारों को इस वर्ष लगान के लिये मांग-पत्र कौनसी तारीख को वितरित किये गये तथा वसूली कौन-कौन सी तिथि में की गई ?

(ख) क्या यह सही है कि इस वर्ष उक्त गांव के कई काश्तकारों से इस वर्ष के लगान पर १२ महीने का ब्याज वसूल किया गया ? अगर हां, तो ऐसे काश्तकारों को मांग-पत्र कब दिये गये तथा उनसे १२ महीनों का ब्याज किस कायदे के अन्तर्गत वसूल किया गया, जबकि उन्हें लगान के दिन तक कोई मांग-पत्र नहीं दिया गया ?

(ग) क्या उक्त ब्याज की रकम संबंधित काश्तकारों को वापिस की जावेगी ?

उप-मंत्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (क) गांव मकड़ासर, तहसील लूणकरणसर के काश्तकारों को मांग-पत्र वसूली के समय दिनांक १–३–६२ तथा २–४–६२ को वितरित किये गये थे। वसूली सर्व प्रथम दिनांक १-३-६२ से शुरू की गई, तत्पश्चात् दिनांक २-४-६२ को भी वसूली की गई।

(श्री रामप्रसाद लड्ढ़ा)

(ख) आसामियान से ब्याज वसूल किया गया था। ब्याज जिन कारणों से वसूल किया गया उसकी जांच की जा रही है।

(ग) यदि जांच के बाद ब्याज की वसूली नियमों के प्रतिकूल साबित होगी तो ब्याज की रकम सम्बन्धित काश्तकारों को वापस कर दी जावेगी।

श्री श्योपतसिंह (हनुमानगढ़) : ब्याज की दर क्या वसूल कर रहे हैं ?

श्री भीमसेन : क्या यह सही है कि ब्याज जो वसूल किया गया उसकी पहली बार जब मांग की गई तो मांगते ही लोगों ने अदा कर दी ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : माननीय सदस्य इसको बहुत महत्व दे रहे हैं, केवल २५) रुपया वसूल हुआ। लम्बा चौड़ा सवाल पूछ रहे हैं।

श्री श्योपतसिंह : ब्याज की दर क्या वसूल कर रहे हैं ?

श्री भीमसेन : यह अमाउन्ट का प्रश्न नहीं है, नीति का है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : तभी तो मैंने निवेदन किया, चाहे रकम कितनी ही थोड़ी क्यों न हो नियम के प्रतिकूल पायी गई तो वापिस कर दी जायगी।

श्री तेजाराम गहलोत (सोजत) : अक्सर यह देखा जाता है, समय पर डिमान्ड नोटिस नहीं आते हैं और फिर इन्टरेस्ट वसूल कर लेते हैं इसलिये क्या मंत्री महोदय इस प्रकार के आदेश जारी करने की कृपा करेंगे कि बगैर डिमान्ड नोटिस दिये ब्याज वसूल नहीं किया जाय।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : कानूनी पोज़ीशन निवेदन कर दी। डिमान्ड स्लिप्स इश्यू कब की जाय, इसके लिये रूल्स हैं। रूल्स के बावजूद भी हाउस में इस बारे में कई बार प्रश्न उठाया गया है कि डाइरेक्शन्स इश्यू किये जायं। आप स्वयं जानते हैं और हर काश्तकार जानता है कि दोनों लगान किस तारीख को ड्यू होते हैं। डिमान्ड स्लिप हम देते हैं, यह कम्पलसरी नहीं है। मैं माननीय सदस्य से पूछना चाहता हूं कि अगर डिमान्ड स्लिप न दी जाय तो क्या रकम जमा नहीं करानी है। काश्तकार चाहता है कि उस पर ब्याज न लगे तो उसको समय पर लगान दे देना चाहिये। सहूलियत के लिये डिमान्ड स्लिप इश्यू की जाती है।

श्री श्योपतसिंह : सरकार जो ब्याज दर ले रही है वह कितनी है, इसका स्पष्टीकरण करें, किस हिसाब से ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : ब्याज का नियमों में प्रावधान है।

श्री श्योपतसिंह : कितना रखा है, किस दर से है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इतना तो मुझे याद नहीं।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : क्या मंत्री महोदय को यह भी जानकारी नहीं कि ब्याज की क्या दर रखी है ?

श्री अध्यक्ष : यह नियमों में समाविष्ट है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : अध्यक्ष महोदय, एक आना एक रुपये पर ब्याज लेते हैं उससे रेट ऑफ इन्टरेस्ट क्या पड़ता है ? क्या सरकार इतना रेट ऑफ इन्टरेस्ट वसूल करना चाहती है ?

श्री हरिराम चौहान (तिजारा) : यह ब्याज की दर नाजायज है और गैरवाजिब है। इस पर सरकार को पुनर्विचार करना चाहिये। रेट ऑफ इन्टरेस्ट हो वह छ: परसेंट से अधिक न हो ?

श्री श्योपतसिंह : आपका जो रेट ऑफ इन्टरेस्ट है उतना तो राजाओं के राज्य में भी नहीं था।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : बीकानेर के समय में भी छः परसेन्ट से ज्यादा नहीं था। इतना भारी ब्याज नहीं था।

एक माननीय सदस्य : वह एकतन्त्री राज्य था, अब प्रजातन्त्र का राज्य है !

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : यह जो एक परसेन्ट रेट ऑफ इन्टरेस्ट आपने रखा है, क्या यह समाजवाद और समानता का नमूना है ?

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : क्या इसी को समाजवाद कहते हैं ?

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, कई महत्वपूर्ण प्रश्न रह गये हैं। बड़ी मुश्किल से तैयार करते हैं, उसके बाद जब हाउस में आते हैं, फिर भी न पूछने दिया जाय तो इससे क्या मतलब ? सप्लीमेन्ट्री नहीं करेंगे केवल जवाब मिल जाय।

(प्रश्न समय में न लिये जा सकने वाले प्रश्नों के लिये कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

श्री अध्यक्ष : माननीय गृह मंत्री।

(१२–०३ म० प०)

राजस्थान होम गार्ड्स विधेयक, १९६२

श्री मथुरादास माथुर (गृह मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान होम गार्ड्स विधेयक, १९६२ पर संशोधित वित्तीय ज्ञापन की एक प्रति सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष : Next.

राजस्थान विधि निरसन तथा संशोधन विधेयक, १९६२

(विधेयक को पुरःस्थापित करने सम्बन्धी वाद-विवाद एवं विधेयक का पुरःस्थापन)

श्री मथुरादास माथुर (गृह मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, कल माननीय सदस्य जो अलवर से आये हैं उन्होंने जब कि राजस्थान लॉज़ रिपीलिंग एण्ड अमेन्डिग बिल, १९६२ को प्रस्तुत करने मैं खड़ा हुआ तो उन्होंने एक एतराज उठाया था कि यह बिल रूल्स ऑफ बिजनेस के अन्तर्गत नहीं आता। उसके बारे में उन्होंने यह बात कही थी कि एक बिल में एक ही विषय हो सकता है, इसलिये इसको पुरःस्थापित करने की इजाजत

(श्री मथुरादास माथुर)

न दी जाय। इस सिलसिले में मेरा इतना ही निवेदन करना है, जहां तक हमारे विधान का सम्बन्ध है हमारे रूल्स ग्रॉफ बिजनेस का सम्बन्ध है, जहां तक मुझे याद है, उन्होंने ग्रपने यहां के रूल १२१ का हवाला दिया जिसमें conditions of admissibility of motion, इसको मानकर किया है।

माननीय ग्रध्यक्ष, यह ठीक है कि ग्रॉडिनरिली एक बिल में एक ही विषय होना चाहिये। हम यह प्रिसीडेन्स ग्राज तक मानते चले ग्राये हैं। यह यहां की नहीं हमारे पार्लियामेन्ट की ग्रौर हाउस ग्रॉफ कॉमन्स की भी इसी तरह की परम्परा रही है कि जब कभी कोई एक मसला हो, एक ही तरह के ग्रमेन्डमेंट्स हों, जिस रिपीलिंग कानून को रिपील करना है तो एक एक्ट के मातहत एक ही बिल लाया जाता है। इसके साथ साथ मैं यह भी निवेदन कर दूं, सब्जेक्ट मैटर ग्रॉफ अमेन्डमेंट्स डिफ्रेन्ट बिल्स में एक ही तरह के हों तो उसके लिये भी एक ही बिल लाया जा सकता है। इसके साथ साथ मैं यह भी निवेदन कर दूं, इसमें बहुत ही माइनर नेचर की प्रिन्टेड मिस्टेक्स हैं जैसे यहां प्रिपोजिशन्स, कॉमाज, ब्रेकेट्स ग्रादि को ठीक करना है, माइनर ग्रमेन्डमेंट्स हैं इस प्रकार के हर एक बिल में अलग ग्रलग संशोधन लाना मल्टीप्लिकेशन ग्रॉफ बिल हो जायगा। मैं यह भी निवेदन कर दूं, इस प्रकार पार्लियामेन्ट में ग्रौर हमारे सदन में भी किया गया है ग्रौर दूसरे स्टेट्स में भी इसी तरह की परम्परा मानी गई है।

पंचायत बिल के सिलसिले में इसी सदन ने यह मान लिया था कि इसके साथ साथ दूसरी तरह के बिल भी लाये जा सकते हैं। इसलिये यह रिपीलिंग एण्ड ग्रमेन्डिग बिल, १९६२ है उसमें २०४ को पुरानी धारा को रिपील करना। इसके साथ में क्लॉज ३ है जिनमें एक ही तरह के नेचर के ग्रमेन्डमेंट्स लाने का है.......

श्री ग्रध्यक्ष : ग्राज इस बिल को रखा गया है।

श्री मथुरादास माथुर : सेन्ट्रल एक्ट जो रिपीलिंग एण्ड ग्रमेन्डिग बिल, १९६० का है; जहां ग्रासाम, बंबई, मद्रास, यू. पी. ग्रादि के डिफ्रेन्ट बिल्स हैं जिनके ग्रन्दर इस तरह के कई बिल्स हैं।

इस तरह के कई बिल्स हैं, कुछ ग्रमेन्डिग हैं कुछ रिपीलिंग बिल्स हैं जो बन चुके हैं वे भी साथ में रख दिये हैं। हमारे विधान में इस तरह की बात नहीं है। जरूर ग्रमेरिकन स्टेट के विधान में ऐसी बात लिख दी गई है कि इस तरह के बिल ग्रलग ही रखे जावेंगे। मेन्डेटरी पॉवर्स हैं तो मेन्डेटरी जाना जरूरी है, वरना तो हमारे यहां न ऐसी प्रेक्टिस है न प्रिसीडेन्ट्स ही हैं।

ग्रगर एक ही प्रकार के ग्रमेन्डमेन्ट्स हैं, क्लेरिकल ग्रमेन्डमेन्ट्स हैं तो इनके लिये अलग ग्रलग बिल्स लाकर करने में समय व्यर्थ जावेगा। तो जैसा मैंने निवेदन किया इसमें या तो इस तरह के ग्रमेन्डमेन्ट्स या रिपीलिंग बिल्स हैं या ऐसे हैं जिनमें पेटेन्ट एरर्स रह गई हैं तो उनको ठीक करने के लिए ही यह है। इसलिये निवेदन करूंगा कि जो विधेयक मैंने पुरःस्थापित किया है उसे पुरःस्थापित करने की इजाजत दी जावे।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : अध्यक्ष महोदय, मैंने इस सम्बन्ध में एतराज उठाते हुए यह निवेदन किया था कि जो भी अमेन्डिग बिल्स लिये जावें वे अलहदा-अलहदा लिये जाने चाहिये । उसमें मेरे कहने का आधार यह था कि इस प्रकार के बिल्स लाने में यह खतरा हो सकता है कि बहुत से इम्पोर्टेन्ट प्रोवीजन्स का अमेन्डमेन्ट इस प्रकार के बिलों द्वारा न कर दिया जावे या कि फिर ओवर साइट से इस तरह से अमेन्डिग बिल्स फोर्मल अमेन्डमेन्ट के रूप में निकल जावें ।

जो स्टेटमेन्ट ऑफ ओब्जेक्ट्स एण्ड रीजन्स इस बिल के साथ दिया गया है उसमें इस बात को एक्सप्लेन नहीं किया गया कि ये जो अमेन्डमेन्ट्स हैं जिनको फोर्मल नेचर का बतलाया गया है वे वास्तव में किस प्रकार से फोर्मल नेचर के हैं और अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी कहूंगा कि यदि गौर से देखा जावे तो शायद एक अमेन्डमेन्ट तो ऐसा भी है कि जिसको फोर्मल नेचर का अमेन्डमेन्ट नहीं कहा जा सकता ।

अभी एक नये अमेन्डमेन्ट का ड्राफ्ट सर्क्यूलर हुआ है जिसमें लैंड एक्वीजीशन एक्ट में जो सजेस्टेड अमेन्डमेन्ट हैं उसमें धारा ५ ए और ५ को निकाल कर पहले सजेशन था कि सिर्फ सेक्शन ५ के सेक्शन (१४) सब-सेक्शन (४) में न रहे । ऐसा स्पष्ट था । अभी जो अमेन्डमेन्ट और नया सजेस्ट किया जा रहा है इसको सेक्शन ५ के बजाय सेक्शन ५ए किया गया है । लैंड एक्वीजीशन एक्ट के सेक्शन १७ में स्पेशल पॉवर गवर्नमेंट ने ली है, जिसकी तहत एक ऑर्डिनरी प्रोवीजन कुछ लैंड एक्वीजीशन में कलेक्टर को अपनाना चाहिए या जिसकी जमीन एक्वायर की जा रही है उसके अन्दर ऑब्जेक्शन फाइल करने का अधिकार दिया गया है वह प्रोसीजर एडॉप्ट नहीं किया जावे, ऐसा सेक्शन १७ कहता है । अब इसके जरिये, अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री महोदय उस आदमी के अधिकार को लेना चाहते हैं जिसको सेक्शन १७ के सब-सेक्शन (४) के तहत वे अधिकार दिये हुए हैं जिसके अन्तर्गत वह अपने ऑब्जेक्शन्स फाइल कर सकता है । इस प्रकार के अमेन्डमेन्ट को एक फोर्मल नेचर का अमेन्डमेन्ट कहा जावे; मैं समझता हूं, यह उचित नहीं होगा ।

अब मेरा यह निवेदन है, अध्यक्ष महोदय, कि यदि बिल्कुल ही इस प्रकार के फोर्मल कैरेक्टर के अमेन्डमेन्ट्स ये हैं या इस प्रकार की ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं या प्रिन्ट की मिस्टेक्स हैं, वे अगर इस प्रकार के अमेन्डमेन्ट बिल के द्वारा आवें तो इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं, पर उसमें जो एक्सप्लेनेटरी नोट है, जो ओब्जेक्ट्स एण्ड रीजन्स का स्टेटमेन्ट है उनको इस तरह से क्लीयरली एक्सप्लेन करके कहा जावे जिससे कि कोई डाउट किसी माननीय सदस्य के दिमाग में न रहे और जो एक्सट्रेक्ट्स मैंन बिल के दिये जावें वे फिर इस तरह से पूरी तरह से दिये जावें ताकि उनको ठीक तरह से देखकर अमेन्डमेन्ट के महत्व को पूरी तरह से समझा जा सके; वर्ना यह खतरा है, अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार के बिलों के जरिये सरकार इस तरह के तरीकों को भी पास करा ले जो वास्तव में फोर्मल नेचर के न हों । जैसे एक अमेन्डमेन्ट का मैंने इस बिल में भी हवाला दिया है ।

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि चूंकि इसमें ऐसे अमेंडमेंट्स भी हैं जो केवल फोर्मल नेचर के नहीं हैं। आदमी की जमीन एक्वायर हो रही है, पर वह अपने ऑब्जेक्शन फाइल नहीं कर सकता तो इसके अधिकारों पर बुरा असर पड़ता है, इसलिये इसे इसमें से निकाल दें और उसे वापिस ले लें, और फिर दुबारा इस बिल को पेश करें।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना): अध्यक्ष महोदय, रूल्स के रूल १२१ के तहत यह बात साफ है कि, " In order that a motion may be admissible it shall satisfy the following conditions ". This is a mandatory provision, Sir.

आगे यह कहते हैं, " It shall raise substantially one definite issue. Now this is a mandatory provision. Unless this House is going to suspend this mandatory provision, unless this motion is moved in this House for the suspension of this particular rule."

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर): समाजवादी तो हिन्दी में बोलें, साहब।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल: अंग्रेजी में इन्टरप्रिटेशन था, इसलिये अंग्रेजी में कह दिया। तो मैं निवेदन......

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर): लोहियाजी को रिपोर्ट भेज रहे हैं, साहब।

श्री अध्यक्ष: वह मोशन के बारे में उल्लेख है। पर बहस हो रही है बिल के बारे में कि बिल का सब्जेक्ट मैटर क्या क्या होना चाहिये। यह नियम मोशन के लिये होता तो यहां लागू हो जाता, पर बिल्स के लिये लागू होता है या नहीं, यह प्रश्न है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर): माननीय गृह मन्त्रीजी ने इस सम्बन्ध में कहा वह मेरे ख्याल से एक हद तक पर्याप्त तो है, परन्तु मैं समझता हूं कि अमेन्डिग और रिपीलिंग ये दो पृथक् विषय हैं। अगर अमेन्डिग बिल्स के साथ रखा जावे और रिपीलिंग बिल्स को अलग रखा जावे तो मेरे ख्याल में हाउस के लिये सहूलियतबक्स तरीका होता।

दूसरी बात जो माननीय सदस्य अलवर से आये हुए हैं, उन्होंने जो कम्पंल्सरी एक्वीज़ीशन के सम्बन्ध में कहा, उसका मैं समर्थन करता हूं। यह फण्डामेन्टल विषय है और उसमें सरकार को अधिकार है, वे बहुत हद तक अनलिमिटेड हैं। Doctrine of Eminent domain के अनुसार जो कम्पलंसरी एक्वीज़ीशन के सम्बन्ध में सरकार को अधिकार हैं उनको सीमित रखने का विरोधी पक्ष का पुनीत कर्त्तव्य है। मैं यह समझता हूं कि यह जो अमेन्डमेन्ट लाया गया है वह साधारण नहीं है। यह असाधारण है, यह महत्वपूर्ण है और इसको विशेष महत्व देते हुए मैं यह कहूंगा कि इन बिल्स की केटेगरी में वह शुमार नहीं होना चाहिये।

श्री रामानन्द अग्रवाल: अध्यक्ष महोदय......

श्री अध्यक्ष: कितनी बार बोलेंगे आप?

Page No 31

श्री रामानन्द अग्रवाल : I will just refer to that provision which the hon. member says is only of formal character. I will read out that provision.

श्री अध्यक्ष : वह तो आप इसका उल्लेख कर चुके हैं, ५ और ५ए का।

श्री रामानन्द अग्रवाल ने एक औचित्य प्रश्न उठाया कि राजस्थान लॉज अमेन्डिंग एण्ड रिपीलिंग बिल, १९६२, जिसके द्वारा कई अधिनियमों को संशोधित किया जाना अपेक्षित है, वह हमारे नियमों के अनुसार नहीं है। उनके द्वारा अपने औचित्य प्रश्न के समर्थन में कई तर्क प्रस्तुत किये गये और उन्होंने रूल १२१ का हवाला दिया।

मैंने इस प्रश्न पर विचार किया और मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। विधेयक, जैसा मैंने अभी बताया कि कोई प्रस्ताव या संकल्प नहीं है। इन दोनों में बहुत भेद है और हमारे जो नियम हैं वे केवल प्रस्ताव और संकल्प के विषय में ही हैं, किसी विधेयक पर लागू नहीं किये जा सकते। अतः प्रस्ताव या संकल्प से संबंधित प्रावधान किसी विधेयक पर लागू करें उससे पहले हमारे नियमों में स्पष्ट उल्लेख होना आवश्यक है कि इस नियम को विधेयक पर भी लगाने का अधिकार है। रिपीलिंग और अमेन्डिंग करने वाले कई विधेयक इस सदन में व लोक सभा में भी आ चुके हैं-इसलिए मैं नहीं समझता कि ऐसा करना हमारे नियमों के या संविधान के विरुद्ध है। अतः जो आपत्ति उठाई गई है मैं उसे अस्वीकार करता हूं और मंत्री महोदय को अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति देता हूं।

श्री मथुरादास माथुर (गृह मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान लॉज़ रिपीलिंग एण्ड अमेन्डिंग बिल, १९६२ को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान विधि निरसन तथा संशोधन विधेयक, १९६२ को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाये।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गयी

श्री मथुरादास माथुर : मैं विधेयक को पुरः स्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री हांडा

(१२.२० म० प०)

गंगानगर जिले के किसानों की भूमि सम्बन्धी तारांकित प्रश्न के उत्तर से उत्पन्न मुद्दों पर आधे घन्टे की चर्चा।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिहनगर) : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या ९१ (१३-सी० एम०), जिसका उत्तर दिनांक १२ अक्टूबर, १९६२ को दिया गया जिसे गंगानगर से आने वाले विधान सभा के सदस्य ने रखा था उस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया, बल्कि एक टैक्नीकल डिफिकल्टी बताकर उसका उत्तर टाल दिया गया। इस प्रश्न से कई प्रश्न उत्पन्न होते हैं। प्रश्न यह था कि सन् १९५९ की गिरदावरी के कारण जमींदारी बिस्वेदारी कानून के अन्तर्गत कितनी ऐसी ही भूमि है जो सरकार के अन्तर्गत आ चुकी है।

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न के पूछने का एक कारण था ? प्रश्न इस बात की ओर ध्यान दिलाना चाहता था कि सन् १६५६ की गिरदावरी के कारण गंगानगर जिले की जो धरती सरकार के अन्तर्गत आई है वह धरती कई बड़े-बड़े जागीरदार और जमींदारों की नहीं है, वह धरती इस कानून की मन्शा पूरी नहीं करती। जमींदारी और बिस्वेदारी कानून का निर्माण इसलिए हुआ था कि जिन किसानों के पास, जिन काश्तकारों के पास, जिन लोगों के पास बड़ी बड़ी धरती के भूखण्ड हैं वे सरकार के अन्तर्गत आ जायें और उसके बाद सीलिंग के द्वारा उनकी लिमिट कर दी जाये। मैं अध्यक्ष महोदय, सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित कराऊं कि गंगानगर जिले के अन्दर सन् ४६ केन्टीनेन्ट्स प्रोटेक्शन एक्ट के फॉर्मेशन के बाद ऐसा रिवाज़ चालू है कि जो बड़े-बड़े धरती के मालिक हैं जिनके पास हजार-हजार बीघा या इससे भी ज्यादा भूमि थी ऐसे मालिकों की ओर भी सदन का ध्यान दिलाऊं कि उन्होंने अपने गवर्नमेन्ट रेकॉर्ड्स बनाने शुरू कर दिये, उन्होंने इस जमीन को छोटे-छोटे टुकड़ों में तब्दील कर दिया और बाकायदा अपने खातों में, अपने रेकार्ड्स में गवर्नमेन्ट के तीन–तीन और चार–चार साला रेकॉर्ड्स में और पिछले सभी रेकॉर्ड्स में गिरदावरी में, मालगुमारी में इसी तरह से दर्ज कराना शुरू करा दिया। सन् १६५६ तक जब तक यह बिस्वेदारी, जमींदारी कानून लागू हुआ गंगानगर जिले के बड़े-बड़े किसान जितने भी थे अपने खातों को बराबर रेगुलर करा चुके थे। उनके मण्डियों में बैंकर्स थे, उन्होंने अपनी धरती को बांट दिया।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान इस ओर भी दिलाऊं कि आज जब जमींदारों को मालूम हुआ कि बागात और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ आदि इसी किस्म की चीजों को भी प्रोटेक्शन मिल सकता है तो उन्होंने अपनी बहुत बड़ी भूमि के ऊपर बागात लगा लिए ; बागात ही नहीं लगा लिए, बल्कि ऐसे भी केसेज़ हैं कि उस भूमि को गवर्नमेन्ट के रेकॉर्ड्स के अन्दर बागात दिखाया जा रहा है और वास्तव में बागात वहां हैं ही नहीं.......

श्री रामप्रसाद लड्ढा (उप-मंत्री, राजस्व): अध्यक्ष महोदय, यह जो हाफ एन अवर डिस्कशन के लिए इजाजत मांगी थी, माननीय सदस्य को जो १२ तारीख को सवाल का उत्तर दिया गया था और किसानों की परिभाषा के अन्दर जो कुछ कहा था उसी को लेकर श्रीमान् ने हाफ एन अवर के डिस्कशन के लिए परमिशन मांगी है कि इस पर चर्चा की जाय, परन्तु उसके साथ में आपने कोई मेमोरेन्डम जो कि आवश्यक है वह भी नहीं दिया गया। जब कि एप्लीकेशन ऑफ परमिशन व दीगर ऐसी चर्चा उठी वह भी न्यायसंगत नहीं है। अतः थोड़े से ही समय के अन्दर उत्तर देने में मैं असमर्थ रहूंगा क्योंकि कल ही मुझे यह नोटिस मिला है और इसके बाद में जितनी भी जानकारी आप चाहेंगे और आपके बहस से जैसा प्रतीत होता है वह मैं देने की स्थिति में नहीं होऊंगा। इसलिए जहां सम्भव हो केवल उस डेफीनिशन के आधार पर यह चर्चा उठाई गयी थी उसी तक महदूद रहें तो मैं जवाब देने में समर्थ होऊंगा।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अध्यक्ष महोदय, मैंने अपनी एप्लीकेशन में स्पष्ट कर दिया है कि इस प्रश्न को केवल किसानों की डेफीनिशन के ऊपर टाल दिया जाय, लेकिन इससे बहुत सी समस्याएं उत्पन्न होती हैं और उन पर विचार करने को उसमें कहा है। ऐसा मेरे प्रार्थना-पत्र में स्पष्ट है।

श्री अध्यक्ष : आप संक्षेप में जो कुछ पूछना चाहें वह बता दें, जो कि केवल इससे संबंधित हो।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मैं बिल्कुल संबंधित चल रहा हूं। मैंने एक भी बात ऐसी नहीं कही है जो कि इससे सबंधित न हो।

तो मैं अर्ज कर रहा था कि जब बागात की छूट दे दी गयी तो बहुत से गवर्नमेंट के रेकॉर्ड्स हैं जिनकी ५-६ मुरब्बा जमीन थी उसी में वे बागात चल रहे हैं लेकिन असल में वे बागात नहीं हैं। इसके अलावा ऐसी को-ऑपरेटिव सोसाइटीज़ का फोर्मेशन हुआ जिनमें एक ही परिवार के सारे सदस्य हैं, भाई, पिता और बच्चे। ऐसे ऐसे बच्चे भी उसके सदस्य है कि जिनका अभी तक जन्म ही नहीं हुआ है। तो इस प्रकार से, अध्यक्ष महोदय, ऐसा तो उन्होने कर लिया, लेकिन एक स्थिति और पैदा हो गई। अध्यक्ष महोदय, मेरे पास कुछ फोटोग्राफ्स हैं। वे मैं इस समय नहीं ला सका, लेकिन मैं उनको सदन के समक्ष प्रस्तुत कर दूंगा......

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : आप उनको रेफर नहीं कर सकते, आज जो आपके पास नहीं है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मैं उसको प्रस्तुत कर सकता हूं।

श्री अध्यक्ष : जिस चीज़ को आप प्रस्तुत करने के लिए तैयार नहीं हैं उसका उल्लेख नहीं करेंगे।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : तो अध्यक्ष महोदय, ऐसी बहुत सी रेकॉर्ड्स के हेरफेर की घटनायें हैं जिनके अन्दर गिरदावरी जिस समय दर्ज़ की गयीं उसमें २२ बीघे में काश्त दिखाई गई और ३ बीघा खाली दिखाई गयी और ऐसा एक रेकॉर्ड मौजूद है कि जो ३ बीघा खाली दिखाई गयी है उसमें दूसरे किसान का नाम दर्ज हो गया है। इस कानून के अन्तर्गत १९५९ की गिरदावरी जिस व्यक्ति के नाम नहीं है वह सरकार की धरती हो जाती है। उस समय निश्चितरूप से गंगानगर जिले में पटवारियों का राज्य है। पटवारी वगैरह हेरफेर के जरिये किसी की गिरदावरी किसी के नाम कर देते हैं तो वह धरती उसकी हो जाती है और वह सरकार के अन्तर्गत हो जाती है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि बड़े बड़े भूखण्डों के स्वामी इस कानून से बच चुके हैं। सन् १९५३ की अदला-बदली, उसके रेकॉर्ड्स की हेराफेरी सरकार अपने कन्सीडरेशन में ले तो सरकार को कुछ धरती प्राप्त हो सकती है वर्ना गंगानगर जिले में बड़े बड़े मालिक ज्यादा से ज्यादा १०० मुरब्बा से अधिक की भूमि वाले नहीं हैं; ऐसा सरकार के रेकॉर्ड्स में देखा जा सकता है। लेकिन १९५९ के कानून की चपेट में जो लोग आये हैं वे गरीब लोग हैं, जो अपने काम को प्रभावशाली तरीके से करेक्ट नहीं करा सके यानी जिन्होंने कि वहां के रेवेन्यू ऑफिसर्स के आगे इस प्रकार के घुटने टेक दिये हैं।

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

अध्यक्ष महोदय, मैं सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि जितनी जमीन खाम हुई है या सरकार में वेस्ट हुई है उस जमीन में अधिकतर रिफ्यूजी लोग हैं, अधिकतर निर्धन लोग हैं, अधिकतर २५ बीघा से कम के मालिक हैं, अधिकतर वे लोग हैं जो किसी प्रकार से प्रिविलेज्ड नहीं हैं, यानी जो लोग रेकॉर्ड को करेक्ट नहीं करा सके हैं। इसलिए मैंने यह प्रश्न सदन में रखा था। इस प्रश्न का यही मुद्दा था। वे प्रश्न के उत्तर में इस बात को क्लियर करेंगे। बड़े बड़े भूस्वामियों और को-ऑपरेटिव सोसाइटीज को चैक करना पड़ेगा और उसके साथ साथ ५३ तक के जितने बंटवारे हैं उनको लेना पड़ेगा और अगर ६२ की गिरदावरी के आधार पर केवल वे करेंगे तो केवल कुछ निर्धन लोग ही इस कानून की चपेट में आयेंगे।

श्री अध्यक्ष : और कोई माननीय सदस्य इस बहस में नहीं बोलेंगे। प्रक्रिया और कार्य-संचालन के रूल ४९ में स्पष्ट लिखा है कि केवल वे ही माननीय सदस्य बोल सकते हैं जिन्होंने इस विषय में पहले सूचना दे दी हो, इसमें पहले रिलेक्सेशन भी किया है; लेकिन विशेषकर अधिक रिलेक्सेशन मैं नहीं चाहता।

श्री रामप्रसाद लड्ढा (उप-मंत्री,राजस्व): अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय सदस्य ने १२ तारीख को माननीय सदस्य के द्वारा पूछे गये प्रश्न के उत्तर से उत्पन्न हुई उस स्थिति को आधार लेकर एक बात सदन के सम्मुख रखी और वह यह है कि जमींदारी-बिस्वेदारी एबोलिशन एक्ट की वजह से एक समस्या गंगानगर जिले में उत्पन्न हुई है और उससे उत्पन्न हुई स्थिति को गम्भीर बताते हुए कुछ बातें बताने का प्रयत्न किया गया है।

जैसा कि सभी माननीय सदस्यों को मालूम है जब सरकार ने और सदन ने यह फैसला किया है कि कोई इन्टरमीजियेरी नहीं रहना चाहिए और जमीन सरकार में वैस्ट रहती है इसलिये सरकार और दूसरी ओर डाइरेक्टली जो खेती करने वाला व्यक्ति है दोनों के अलावा बाकी की एजेंसी बीच में नहीं होनी चाहिए; उसको समाप्त किया जाय। उसको समाप्त करने के लिए जो साधन अपनाये गये उसके साथ-साथ गंगानगर डिस्ट्रिक्ट में, जो जमींदारी और बिस्वेदारी की प्रथा थी उसके लिए प्रावधान रखा गया है, जमींदारी और बिस्वेदारी एबोलिशन एक्ट और उसमें एक डेट मुकर्रर की गई है कि उस तारीख तक जितनी भी जमींदारी और बिस्वेदारी और एस्टेट्स हैं वे सब गवर्नमेंट में वैस्ट हो जायेगी, और उसकी यह तारीख १ नवम्बर, १९५९ थी। उस तारीख से पहले जो बिस्वेदारी, जमींदारी या एस्टेट्स थीं उनको १ नवंबर से इसमें वैस्ट करने का प्रावधान कानून में कर दिया गया।

अब चूंकि उस प्रावधान के साथ-साथ यह भी रखा गया है कानून में कि उस तारीख तक जितनी जमीनें बिस्वेदार, जमींदार के कब्जे में पर्सनल कल्टीवेशन में थीं वे उनके पजेशन को रिटेन करने के अधिकारी होंगे और उस सारी एस्टेट के सरकार में वेस्ट होने के बावजूद जो जमीनें इस प्रकार के पर्सनल कल्टीवेशन में होंगी वे जमीनें

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

उनको खुदकाश्त के रूप में दी जायेंगी, खुदकाश्त समझी जायेंगी। तो इस प्रकार से इस प्रावधान के जरिये जो जमीनें उनके पर्सनल कल्टीवेशन में थीं उसके कब्जे को रिटेन करने का अधिकार दिया गया है। यदि पर्सनल कल्टीवेशन में वह जमीन नहीं थी, यदि उस समय उन पर उनका कब्जा था या किसी और का कब्जा था तो जिसका कब्जा था वह टीनेन्ट कल्टीवेटर हो तो उन लोगों के लिए प्रावधान है सेक्शन ३०, जिसके तहत स्पेशल प्रोविजन से टीनेन्सी एक्ट में खातेदारी अधिकार मिल जायं; तो मेरी समझ में नहीं आता कि जब पर्सनल कल्टीवेशन उसको रिटेन करने का अधिकार दिया गया है तो दूसरे के कब्जे में थी, गिरदावरी गलत कर दी, जैसा कि आप बार-बार बताते हैं तो अव्वल गिरदावरी का जो हमारा प्रोसीजर है वह उसको मालूम होना चाहिए। जिस समय गिरदावरी की जाती हैं उसके बाद में एतराज उठाना चाहिए कि गिरदावरी रेकॉर्ड्स जैसी परिस्थिति है उस प्रकार न बनाकर उसके विपरीत बनाया गया है और दुरुस्त कराने का प्रावधान है, यदि उन आदमियों ने गिरदावरी स्लिप्स को करेक्ट कराने की पूरी कार्यवाही नहीं की। जो रिवीज़न या अपील का कानून के अन्तर्गत प्रावधान है उसको काम में नहीं लाया और अपनी जमीन पर कब्जा होते हुए भी वे इस कानून का शिकार बनना अपने आपको कह दें तो न्याय-संगत नहीं है। जब जमीन पर्सनल कल्टीवेशन में उसकी है और गिरदावरी कराई और कल्टीवेटर में जमीन खासकर कब्जे में नहीं करें तब तक लाभ नहीं उठा सकता है और जब जमीन छीनने आता है तो सारे डिफेन्स मौजूद हैं, उनसे भी अपने कब्जे को सुरक्षित रख सकता है। इसमें क्लियर है सेक्शन ५९ में कि गिरदावरी के आधार पर सारी स्कीम को खराब बताना न्याय संगत नहीं है, और पब्लिक इम्पोर्टेंस का क्वेश्चन नहीं बनता है।

कानून है। उसके तहत रूल्स बने हुए हैं और उन प्रावधानों के अन्तर्गत ५९ में गिरदावरी अथवा ५९ के पैनल रजिस्टर में जिसका नाम है पर्सनल कल्टीवेशन में तो उनके नाम पर खुदकाश्त कर दी जाय। यह जो उसमें प्रावधान है तो उसके बाद कानून के खिलाफ कौनसी कार्यवाही हो रही है जिससे यह पब्लिक इम्पोर्टेन्स का क्वेश्चन बन जाय। इसमें कानून के खिलाफ या जैसा कि प्रावधान या नियमों में दिया हुआ है उसके खिलाफ कार्यवाही नहीं हो रही है तो एक एक्ट ठीक है या नहीं, रूल्स ठीक है या नहीं उसका सवाल पब्लिक इम्पोर्टेन्स में आज इस सम्बन्ध में डिस्कस करने की परिस्थिति पैदा नहीं होती है। इसलिए मैं माननीय सदस्य से इस सम्बन्ध में यही निवेदन करना चाहता हूं कि रूल्स ठीक हैं, कानून ठीक है और उसके तहत यदि कोई व्यक्ति जैसा कि आपने बताया कि भ्रष्टाचार करके, मेल-जोल करके या और किसी तरह से अपने मामले में जुमली इन्द्राजात कराने की कोशिश करता है तो उसका कायदा अलग है, उनसे किस प्रकार से मुक्ति मिले उसका तरीका अलग है। उससे इस कानून या रूल्स का संबंध नही है। जिस प्रकार की बातें आप कहते हैं, उनके बारे में शिकायतें हो सकती हैं, जानकारी हो सकती है, गलती

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

करने वालों को सजाएं दी जा सकती हैं, और उनकी गिरदावरी स्लिप्स में उनका नाम लिख दिया गया है; तो सही कराने का कायदा हो सकता है । उसके अलावा और कोई व्यवस्था हो सकती है । उसके अलावा यह कोई महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं बनता है कि जिससे इसको लिया जाय ।

(१२. ३०. म० प०)

राजस्थान होम गार्ड्स विधेयक, १९६२

(जन-मत जानने हेतु प्रसारित)

श्री अध्यक्ष : राजस्थान होमगार्ड्स विधेयक, १९६२ पर एक व्यवस्था देनी है। विधेयक को पुरःस्थापित किये जाने के पश्चात् श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल ने यह आपत्ति उठाई थी कि उक्त विधेयक से संलग्न द्वितीय ज्ञापन में विधेयक के अन्तर्गत होने वाले आवर्तक तथा अनावर्तक (रेकरिंग और नॉन-रेकरिंग) व्यय के प्राक्कलन की राशि का उल्लेख नहीं है, जिसका प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन संबंधी नियमों के नियम ६१ के अनुसार होना आवश्यक है । कतिपय अन्य माननीय सदस्यों ने भी इस विधेयक के साथ प्रस्तुत वित्तीय ज्ञापन को अपूर्ण बतलाते हुए राज्य की संचित निधि से होने वाले व्यय के प्राक्कलन की राशि बतलाने पर जोर दिया था ।

मेरे विचार में, जहां तक सम्भव हो, इस प्रकार के विधेयकों के साथ जो वित्तीय ज्ञापन संलग्न किये जायं उनमें राज्य की संचित निधि से होने वाले व्यय के प्राक्कलन की राशि भी बतलाई जानी चाहिये । कुछ विधेयक ऐसे हो सकते हैं, जहां ऐसा करना सम्भव न हो । कुछ विधेयक ऐसे भी होते हैं जिनके अन्तर्गत सरकार कुछ अधिकार लेना चाहती है; परन्तु उन अधिकारों का प्रयोग कब किया जायेगा उस सम्बन्ध में निश्चित तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता । ऐसी परिस्थितियों में यह उपयुक्त होगा कि विधेयक के साथ संलग्न वित्तीय ज्ञापन में उस प्राक्कलन की राशि का उल्लेख किया जाय जो विधेयक की योजना को कार्यान्वित करने पर प्रारम्भ में खर्च करनी पड़ेगी, ताकि सदन को विधेयक पारित करते समय उस पर होने वाले खर्च का भी कुछ अनुमान हो सके।

जहां तक राजस्थान होम गार्ड्स विधेयक का सम्बन्ध है राज्य सरकार द्वारा अब संशोधित वित्तीय ज्ञापन सदन की मेज पर रख दिया गया है, जिसमें विधेयक के अन्तर्गत होने वाले आवर्तक तथा अनावर्तक व्यय के प्राक्कलन की राशियें बतला दी गई हैं । इस ज्ञापन की प्रतियें माननीय सदस्यों को भी वितरित कर दी गई हैं। इसलिये इस विषय में और कोई व्यवस्था देने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है और माननीय मंत्री महोदय को इस विषय में अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाती है ।

श्री मथुरादास माथुर (गृह–मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान होम गार्ड्स बिल, १९६२ को विचारार्थ लिया जाय ।

Page No 37

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

(अनुपस्थित)

श्री भैरोंसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रस्ताव है कि इस विधेयक को विचारार्थ लेने से पहले आम जनता में जनमत जानने के लिये, १० अप्रेल सन्, १९६३ तक के लिये इसको सर्क्यूलेट किया जाय।

अध्यक्ष महोदय, जो कारण माननीय मंत्री महोदय ने इस विधेयक को इस सदन के समक्ष लाने के सम्बन्ध में लिखे हैं और जो प्रावधान इस विधेयक के संबंध में अलग-अलग क्लॉज़ेज में रखे गये हैं उन्हें देखने से यह प्रतीत होता है कि हमारी सरकार यह मानती है कि हमारे प्रान्त में कोई बहुत एमर्जेन्सी की हालत पैदा हो गई है और उस हालत को मीट करने के लिये सरकार एक ऐसी सहायक पुलिस की सेवाओं की आवश्यकता महसूस करती है जो पुलिस के अतिरिक्त आवश्यक मुख्तलिफ कामों को पूरा करने के लिये मदद दे सके।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार का विधेयक हमारे देश में पहली बार जब महायुद्ध था उस दौरान में उस समय की ब्रिटिश गवर्नमेन्ट ने हमारे भारत के लेजिस्लेचर में प्रस्तुत किया था, लागू किया था। एक युद्ध पीरियड में किस प्रकार की परिस्थिति होती है, सामान्य जनजीवन पर कितनी रुकावट लगाई जाती है, सरकार अपने हाथ में कितनी शक्ति लेती है वह एक असामान्य स्थिति में उनको वाजिब कहा जा सकता है और इस प्रकार की होम गार्ड्स खास तौर से जब एयर रेड्स का खतरा हुआ, एयर रेड शेल्टर्स बनाये गये. उस समय इस प्रकार का कानून लगाकर होम गार्ड्स क्रिएट किये गये थे।

उसके बाद अध्यक्ष महोदय, जिन प्रान्तों में अब भी होम गार्ड्स हैं; चाहे वह बॉम्बे हो, चाहे वेस्ट बंगाल हो, चाहे दूसरे अन्य प्रान्त हों उन प्रान्तों का, जिनका उल्लेख माननीय मंत्री महोदय ने अपने ऑब्जेक्ट्स एण्ड रीज़न्स बताते हुए किया है, उन प्रान्तों में इन होम गार्ड्स का उपयोग आम-तौर पर हड़तालें तोड़ने के काम में लिया जाता रहा है। आम जनता में असंतोष के कारण जो जनता के आन्दोलन उठते हैं, जनता अपनी वाजिब मांगें सरकार के सामने रखने को आगे आती है, जो मजदूर आपकी अपनी मांगों को पूरा कराने के लिये आगे बढ़ते हैं, आम तौर पर यह सरकारें इस तरह के होम गार्ड्स को एक ब्लेक-लोग के रूप में और हड़ताल तोड़ने के रूप में काम में लिया जाता रहा है। अध्यक्ष महोदय, आम तौर पर इन प्रान्तों इन होम गार्ड्स का नाम, होम गार्ड्स एक्ट का नाम हड़ताल तोड़क कानून और हड़ताल तोड़क सरकार की एक टुकड़ी इस रूप में आम जनता की तरफ से इसको देखा जाता है।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज जिस स्थिति में हम गुजर रहे हैं अपने प्रान्त में, इसमें कोई संदेह नहीं कि जनता में व्यापक असंतोष है। इसमें

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

कोई संदेह नहीं कि वह वाजिब असंतोष जनता में उमड़ भी रहा है, आन्दोलन के रूप में उमड़ रहा है, संघर्ष के रूप में सामने आ रहा है। क्या हमारी सरकार आज हमारे राजस्थान में भी इस स्थिति को एक एमर्जेन्सी की स्थिति को महसूस करते हुए आप अपनी पुलिस की ताकत को कम महसूस करते हुए इस प्रकार की फोर्स क्रिएट करना चाहते हैं जो इस तरीके से उमड़ते हुए जन-आन्दोलन को रोकने के लिये, दबाने के लिये काम में लाई जा सके ?

अध्यक्ष महोदय, इस बिल में जो ऑब्जेक्ट्स एण्ड रीज़न्स दिये हैं उनमें यह कहा गया है कि हम ये होम गार्ड्स नेचुरल केलेमिटीज़ को मीट करने के लिये बना रहे हैं; लेकिन अंत में जब इसका जिक्र इसमें किया है तो कहा है कि :—

"Main task that may be allotted to them would be the rendering of assistance in the maintenance of law and order, acting as auxiliaries to regular services in respect of firefighting, rescue, first-aid and communications and manning the essential services during times of extreme urgency."

इस रूप में इसको इस्तेमाल करने की बात इसके ऑब्जेक्ट्स एण्ड रीज़न्स में कही गई है, तो क्या हम यह मानें कि इस प्रकार की परिस्थिति जिसे हम एक्सट्रीम अर्जेन्सी कहें वह हमारे प्रान्त में पैदा हो रही है ? क्या हम यह मानें कि लॉ एण्ड ऑर्डर को मेन्टेन करने के लिये, शासन में अमन कायम रखने के लिये पुलिस के अलावा कोई सहायक शक्ति के रूप में आज हमें और भी शक्ति की आवश्यकता है जिससे हम लॉ एण्ड ऑर्डर मेन्टेन कर सकें ? यह सही है कि इस कानून को लाते वक्त माननीय गृह मंत्री यह तो मानते ही हैं, इन्फरेन्स इससे वे निकाल ही रहे हैं कि लॉ एण्ड ऑर्डर की सिचुएशन को कंट्रोल करना चाहते हैं, बिगड़ रही है या बिगड़ने का अंदेशा उनको मालूम पड़ता है। लेकिन, अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि जिस प्रकार का तजुर्बा आज हमारी जनता को इस पुलिस फोर्स का है, हमारे इस सदन को भी पुलिस द्वारा अपनी शक्तियों का उपयोग करने का है और यह शक्ति किस प्रकार वास्तव में जन-साधारण में लॉ एंड ऑर्डर मेन्टेन करने में की जाती है या इस लॉ एण्ड ऑर्डर को कई बार ब्रेक करने के लिये की जाती है यह भी हमारे लिये कोई नई बात नहीं है। इस प्रकार के जितने भी उदाहरण इस प्रान्त में दिये गये हैं और इस प्रान्त के अलावा भी हाई कोर्ट के माननीय जजेज़ ने पुलिस के आज के कर्त्तव्य के बारे में अपने जजमेन्ट्स में कहा है, इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायाधीश माननीय मुल्ला ने कहा है पुलिस के बारे में, यदि कोई कानून को अधिकाधिक तोड़ने वाला सबसे बड़ा गिरोह है तो वह पुलिस गिरोह है।

अध्यक्ष महोदय, इसलिये आज हमारे सामने यह समस्या नहीं है कि हमारे पास पुलिस की शक्ति थोड़ी है, पुलिस जितनी है वह लॉ एण्ड ऑर्डर मेन्टेन नहीं कर पाती, इसलिये उसकी सहायता के लिये कोई नयी तरह की फोर्सेज़ की सर्विसेज़ की

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

आवश्यकता है। दरअसल में वास्तविकता तो दूसरी ही है। इस पुलिस की नजरिया में तब्दीली करने की है। यह पुलिस अपनी शक्तियों को एक्सेसिव तौर पर इस्तेमाल करती है, यह पुलिस अपनी शक्तियों को कानून को तोड़ने के लिए इस्तेमाल करती है, आम जनता का दमन करने के लिए इस्तेमाल करती है, उनके मौलिक अधिकारों का हनन करने के लिए इस्तेमाल करती है; इसलिये अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा कि इस प्रकार की परिस्थितियों में अगर लॉ एण्ड ऑर्डर मेन्टेन करने की बात भी माननीय मंत्री महोदय आवश्यक समझते हैं तो उसका तरीका यह नहीं है कि इस होम गार्ड की नई सर्विस क्रियेट की जाय, चाहे वह ऑनरेरी हीं क्यों न हो, उनको इस प्रकार के अधिकार दिये जाएं और आज जो मनोवृत्ति पुलिस की है, उस मनोवृत्ति और उन अधिकारों के साथ हम नई सर्विस खड़ी करेंगे तो हमारी जनता के लिए और एक नई मुसीबत खड़ी हो जायगी। लोग कहेंगे कि पहले ही पुरानी मुसीबत से पीछा छुड़ाना चाहते थे, और उल्टी नई मुसीबत गले में पड़ गई। इस प्रकार की परिस्थिति हमारी जनता के सामने हो जायगी। तो इसलिए, अध्यक्ष महोदय, इस बिना पर भी मैं महसूस करता हूं कि न तो आज हमारे प्रान्त में इस प्रकार की कोई परिस्थितियां हैं जिस प्रकार की महायुद्ध के दौरान में हुई थीं, जिसके लिए आवश्यकता हमारी सरकार ने महसूस करी; इस प्रकार से होम गार्ड्स क्रियेट करने की और न ही हमारे प्रान्त में लॉ एण्ड ऑर्डर की सिचुएशन चाहे बिगड़ रही हो लेकिन इसका कारण यह नहीं है कि हमारे पास पुलिस कम हो या इनसफीशियेन्ट हो। उसका कारण यह है कि पुलिस फोर्स का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं होता, पुलिस फोर्स अपनी पावर्स का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करती, जनता के हित में इस्तेमाल नहीं करती। नाम के लिए जनता की सेवा के लिए हैं—"हमारे योग्य कोई सेवा" इस वक्त के पुलिस थानों पर बोर्ड लगे हुए हैं लेकिन उनका वास्तव में जनता को हर तरीके से दमन करने के लिए होता है। यह हमारे और आपके रोजमर्रा के देखने की बात है।

दूसरी बात जो मैं, अध्यक्ष महोदय, आपकी मार्फत सदन से निवेदन करना चाहूंगा वह यह है कि अभी कुछ दिनों पहले हमारी सरकार ने अपने तथाकथित आर्थिक संकटों के कारण हमारी तृतीय पंचवर्षीय योजना में महत्वपूर्ण परिवर्तन किये हैं। उसमें चाहे सरकार माने या न माने, एक दूसरा तरीका है, इन्डाइरेक्ट तरीके से प्रूनिंग करने का, और २८ करोड़ का प्रूनिंग किया है और यह सरकार ने कहा है, चाहे किसी भी बहाने कहा हो कि हमारी आवश्यक जो सर्विसेज हैं; अस्पताल, स्कूल, सड़क वगैरह, उनको काटना वांछनीय माना है, बावजूद इस बात के कि इसका बड़ा विरोध है। जनता में विरोध इस कदर है कि सरकार के दिल में 'इससे असंतोष है क्योंकि जहां चुनाव में आम जनता से बड़े-बड़े वायदे, बड़ी-बड़ी आशायें कराके विधायक यहां आये हैं, आते ही इस बजट के बाद उनको इस कम खर्ची के रूप में योजना में बड़ी कम शक्ल देखनी पड़ी।

Page No 40

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

इस पृष्ठ भूमि में, अध्यक्ष महोदय, जहां हम एक ओर इतनी आवश्यक सर्विसेज़ में कटेलमेंट कर अपने प्लान में संशोधन कर रहे हों, उसी के फौरन बाद जब दिन मिला तो सदन के सामने एक ऐसा विधेयक आया कि जिसमें कि नई सर्विसेज़ में पैसा खर्च होना हो इस राज्य का, जो पहले ही, सरकार की गलती से ही, सरकार की गलत नीतियों के कारण ही क्यों न हो; लेकिन यह सही है कि सरकार ने इस प्रकार की परिस्थितियां अपने सामने पैदा कर लीं जिसके कारण तथा-कथित कटौतियां सरकार को करनी पड़ीं। तो ऐसी हालत में यह सरकार, जो एक तरफ यह कटौती करे और दूसरी तरफ इस प्रकार का कानून लाकर राजस्थान की छाती पर नया खर्चा रखे, इसको किसी तरीके से सही नहीं कहा जा सकता है, इसको बुद्धिमानी नहीं कहा जा सकता है। अगर यह सरकार अपने समाज के कारण इस चीज को आवश्यक भी महसूस करती हो तो मैं यह निवेदन करूंगा, माननीय मंत्री महोदय को, अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा कि अपने आर्थिक संकट, जिसको कि आपने अपनी नीतियों के कारण पैदा किया है उन कारणों से ही आपको कम से कम इस तरह की नई परिस्थिति क्रियेट नहीं करनी चाहिएं जिससे कि आपको तीन महीने के बाद इस प्लान को दुबारा रिवाइज़ करना पड़ा और नई इन्नोवेशन कोर और नॉन कोर की करें और नये इन्नोवेशन को जोड़ कर नई बात को पैदा करें। इस रूप में मैं समझता हूं, अध्यक्ष महोदय, आर्थिक बिना पर भी यह विधेयक असामयिक है, अनावश्यक है और हमारे स्टेट के बजट और हमारी शक्तियों के अनुकूल नहीं है। इसके अतिरिक्त, अध्यक्ष महोदय, इस विधेयक में जिस प्रकार की धारायें रखी गई हैं, जिस प्रकार की कल्पना एक होम गार्ड्स की की गई है, मैं समझता हूं कि वह उस होम गार्ड्स की बुनियाद समाज के बिल्कुल विपरीत है। कहा यह है कि यह एक स्वयंसेवकों का दस्ता होगा जो कि वास्तव में जनता की नेचुरल केलेमिटी के अन्दर मदद करेगा। लेकिन अगर आप इसकी विभिन्न धाराओं को देखें, उनके अन्दर प्रदत्त अधिकारों को देखें, उनके अन्दर जो पाबंदियां इन होम गार्ड्स के मेम्बर्स पर लगाई गई हैं, उनकी ओर देखें तो यह साफ मालूम होगा, आप कोई फर्क नहीं कर सकेंगे उसमें और पुलिस में कि इसमें किसी तरीके का कोई फर्क हो; सिवाय इसके कि पुलिस फोर्स ऐसी सर्विस है जिसको लगातार पैसा देना पड़ता है और होम गार्ड्स इस प्रकार की सर्विस हैं जिसे फ्यूचर में किसी प्रकार की नई सम्भावनाओं के कारण, नये एट्रेक्शन के कारण, नई परिस्थितियों के कारण उन सर्विसेज़ को देने को तैयार हो जायेंगे। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार कभी किसी प्रकार होम गार्ड्स की कल्पना भी करे तो वह कल्पना इस प्रकार की होनी चाहिए थी कि वह जनता के वास्तविक राहत कार्य के अन्दर, जैसे हमारे यहां बाढ़ आ जाये, हमारे यहां टिड्डियां आ जायें और हमारे यहां आग लग जाय, इस प्रकार की चीजों में जनता में स्वयंसेवक के तौर पर, बगैर जनता पर हुक्म चलाये, बगैर जनता के ऊपर कोअर्शन किये, जनता के सहयोग से किसी प्रकार की सेवा कर सके। इस तौर

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

पर स्वयंसेवक पार्टी की कल्पना हमारे गृह मंत्री के दिमाग में होनी चाहिए थी और इस प्रकार की होम गार्ड्स का कोई विधेयक, यहां पर जिस समय ऐसी परिस्थितियां हों, उस वक्त लाया जाना चाहिए था। परन्तु इस समय जिस तरीके का यह विधेयक हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है, उसमें इस तरह की फौज, इस तरह का दस्ता भरने का काम है, जिसका किसी तरीके से भी, कहने को तो उसका नाम कह दिया गया है, नेचुरल केलेमिटी में काम लेंगे, लेकिन इसकी गारन्टी की वास्तव में इसका प्रयोग इन चीजों में हो सकता है, किसी दूसरी चीज में इसका इस्तेमाल नहीं हो सकता, इस प्रकार का कोई प्रोवीजन इसमें नहीं है। मैं यह कहूंगा, जिस प्रकार दूसरे प्रान्तों में उनका उपयोग दूसरी चीजों के लिए होता है उसी तरीके से हमारे इस प्रान्त में भी इसका उपयोग इन कामों के अलावा और दूसरे कामों में हो सकता है, यह सम्भावना इस विधेयक में मौजूद है। अध्यक्ष महोदय, जो पॉवर्स इन होम गार्ड्स को दी हैं, तमाम पुलिस की पॉवर्स जो किसी भी पुलिस ऑफिसर को है, चाहे वह अरेस्ट करने के बारे में हो, चाहे तलाशी लेने के बारे में हो, चाहे किसी और तरह एप्रीहेंड करने के बारे में हो, जिस प्रकार मैन करके, जिस प्रकार की वर्दी, जिस प्रकार के हथियार, जिस प्रकार के आर्म्स देकर जिस प्रकार के स्वयंसेवक बनाने की कल्पना हमारे गृह मंत्री की इस स्वयंसेवक की है, उससे मैं कहूंगा, हमारी जनता यह कहेगी कि ऐसे स्वयंसेवक से खुदा बचाये। पहले ही इस प्रकार के वर्दीधारी, बन्दूकधारी, इस प्रकार के हथियारों से लैस इस पुलिस से हमारा जी भरा हुआ है, इसका तजुर्बा बहुत भारी है। फिर और इसके अतिरिक्त इस तरीके की फोर्स क्रियेट कर दी जायगी वह उस जनता के लिए स्वागत योग्य नहीं होगी। उसके अतिरिक्त, अध्यक्ष महोदय, इस विधेयक में जिस प्रकार से प्रावधान रखा है उससे यह साफ नहीं है कि होम गार्ड्स के सदस्यों को क्या क्या कार्य करने होंगे, उनकी क्या क्या ड्यूटी होंगी, किस तरह से उनको काम में लिया जावेगा; इसका स्पष्ट तौर से उल्लेख नहीं किया गया है। इसको गवर्नमेंट ने अपने हाथ में ले लिया है और यह कहती है कि हमारे यहां असाधारण स्थिति पैदा होने पर काम में लिया जावेगा। अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने पहले निवेदन किया कि न तो हमारे प्रान्त में इस प्रकार की असाधारण परिस्थितियां हैं, जैसा की महायुद्ध में होती हैं, जिसमें इस तरह के होम गार्ड की पल्टन करके प्रबन्ध किया जाए, न हमारे प्रान्त में लॉ एन्ड ऑर्डर की सिचुएशन बिगड़ी हुई है। इसलिये इस कारण से झगड़ा हो कि पुलिस की संख्या में ऐसे फोर्स कायम किये जावें, और न हमारी आर्थिक स्थिति ऐसी है कि हमारे प्रान्त के माथे पर इस प्रकार का नया बोझा मढ़ा जावे। इसलिये, अध्यक्ष महोदय, मेरा यह प्रस्ताव है कि इसको जनमत की राय जानने के लिये प्रसारित किया जावे।

श्री मुरलीधर व्यास : (बोलने के लिये खड़े हुए) प्रवर समिति को भेजने……

श्री अध्यक्ष : अगर माननीय मंत्रीजी इसको स्वीकार करते हैं तो ज्यादा बहस की जरूरत नहीं रहेगी।

Page No 42

श्री मथुरादास माथुर : अध्यक्ष महोदय, मैं इसको स्वीकार करता हूं।

श्री अध्यक्ष : आप संक्षेप में इसका उत्तर दे दें।

श्री मथुरादास माथुर : अध्यक्ष महोदय, इस प्रस्ताव में तारीख दी है, वह १० अप्रैल है और मेरा यह सुझाव है कि इसको बजट सैशन के पहले पब्लिक ओपीनियन के लिये भेज दिया जावे तो उचित होगा।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : अध्यक्ष महोदय, प्रवर समिति को भेजने का प्रस्ताव है......

श्री अध्यक्ष : जनमत के लिये भेजने को मंजूर करते हैं।

श्री मथुरादास माथुर : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रस्ताव को इस संशोधन के साथ स्वीकार करते हुए मैं दो बातें इस अवसर पर कहना मुनासिब समझता हूं, और वह यह कि यह हम स्वंयसेवकों की टुकड़ी बनाना चाहते हैं और अगर आप इस बिल की पूरी स्कीम को देखें तो मैं यह सदन से छिपाना नहीं चाहूंगा कि यह कोई स्वयं सेवकों की टुकड़ी इसलिये नहीं बनाई जाती है, जैसा कि अभी अलवर से आने वाले माननीय सदस्य सोचते हैं, ऐसा सरकार का विचार कतई नहीं है। उनके दिमाग में यह आती है कि इसका निर्माण हड़तालें तुड़वाने के लिए बताई जाती हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अव्वल तो ऐसी स्थिति नहीं है। इसके अलावा राजस्थान सरकार के पास पुलिस फोर्स इतना काफी है जो काम में आवश्यकता पड़ने पर लिया जा सकता है। इसलिए मैं यह सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मालिक और मजदूरों के झगड़ों में पुलिस को काम में तभी लिया जाता है जब कोई विध्वंसकारी कार्य की संभावना होती है।

श्री कुमारानन्द (व्यावर) : जिस समय मजदूर लोग अपने हकों को प्राप्त करने के लिए हड़तालें करते हैं तो उन पर जुल्म करने के लिए पुलिस भेजी जाती है ?

श्री मथुरादास माथुर : मैं यह बता देना चाहता हूं कि पुलिस भेजी नहीं बल्कि पुलिस को बुलाया जाता है और हमारा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जिस समय हमें सूचना देता है कि पीस भंग होने का खतरा है या और कोई खतरा है तो पुलिस भेजी जाती है। जब राजस्थान की पूंजी को खतरा हो तो उसकी सुरक्षा करना पुलिस का काम है और वह भेजी जाती है। परन्तु मैं माननीय सदस्यों से, जो सदन के हैं, निवेदन करूंगा कि जब कभी उन्होंने मुझे कोई सूचना दी है तो मैंने जांच कराने की कोशिश की है।

श्री कुमारानन्द : जब कभी मजदूर अपनी मांग के लिये लड़ते हैं तो मजदूरों को ही दबाया जाता है, मालिकों को कुछ नहीं कहा जाता है।

श्री मथुरादास माथुर : इसको मैं मानने के लिये तैयार नहीं हूं। इसके अलावा अगर कोई ऐसी बात हो तो मैं जांच कराने के लिये तैयार रहता हूं। राजस्थान में होम गार्ड का बिल किसी गरीब को सताने के लिये नहीं बनाया जा रहा है। यह तो गरीब और मजदूरों के हित के लिये है। पुलिस में सुधार किया जा रहा है और हुआ है; मगर फिर भी कुछ बाकी है।

एक माननीय सदस्य : सरकार में बैठने वालों के मालीपन्ना लगा है।

श्री मथुरादास माथुर : हमेशा मालीपन्ना लगाने सब नहीं देते।

हम भी स्टेट में संगठन रखना चाहते हैं। मैं इस बात को मानता हूं कि पुलिस के ढांचे में कुछ कमियां हैं और मैं पुलिस के ढांचे में परिवर्तन करने को तैयार हूं और परिवर्तन करके छोड़ूंगा। मगर इसमें हम आपका सहयोग चाहते हैं और जब कभी आपने सहयोग दिया है तो मैंने ठीक करने की कोशिश की है।

श्री हरिराम चौहान (तिजारा) : आपने चार चार महीने तक····

श्री अध्यक्ष : Order please ! आपको मौका मिलेगा।

श्री मथुरादास माथुर : और मैं फिर सदन के सामने दोहराना चाहता हूं कि सदन द्वारा ३२ हजार पुलिस फोर्स स्वीकृत है। इस पुलिस फोर्स का ढांचा वेलफेअर स्टेट का है, वही है और नया इस तरह का ध्यान आकर्षित करते समय लगेगा। इस बात की तरफ माननीय सदस्यों का ध्यान आकर्षित नहीं हुआ है। पुलिस के विचार बदलने में समय लगेगा।

एक माननीय सदस्य : इनके विचारों को बदलना मुश्किल है।

श्री मथुरादास माथुर : अध्यक्ष महोदय, मैं साफ अर्ज करना चाहता हूं कि जिस तरह से ब्रिटेन में ऑग्ज़िलियरी फोर्स बनाते हैं उसी तरह का यह होम गार्ड होगा इसको मैं मंजूर करता हूं। सेवा करने वाली कई संस्थाएं हैं। जिस तरह से पुलिस को सेवा करनी चाहिये, इसी तरह की यह संस्था होगी। हो सकता है कि कुछ होम गार्ड में बुरे लोग हों। सभी संस्थाओं में बुरे लोग हो सकते है।

राजस्थान की आबादी बढ़ी है। आबादी को देखते हुए ५,००० पुलिस फोर्स भी कम है। इसलिये इसकी जरूरत पैदा हुई। अगर हम आज ही फोर्स में भर्ती कर लें तो ज्यादा पैसा लग जावेगा। इसके अलावा मैं यह मिसाल के तौर पर बताना चाहता हूं कि आज हनुमानगढ़ में बाढ़ आ गई। सीवियर फ्लड में आर. ए. सी. काम में लग जाती है। अगर यही बाढ़ दूसरी जगह आती तो आर. ए. सी. ने जो सहयोग यहां दिया वह नहीं दे सकती; तो उसके लिये कोई न कोई प्रबन्ध तो होना चाहिये। इसके अतिरिक्त मैं यह साफ कहना चाहूंगा कि होम गार्ड का काम कोई केसेज की इन्क्वायरी करना या इन्वेस्टीगेशन करना या डाकुओं को पकड़ने का नहीं होगा। उनका काम यही होगा कि अगर पुलिस ऐसे कामों में ली जावे जैसे डिटेक्शन ऑफ क्रिमीनल्स के, ट्रेफिक के, फ्लड में, फेमिन में या कोई दूसरी केलेमिटी में; तो ये लोग ट्रेन्ड हों तो काम कर सकते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे देश में इसकी ट्रेनिंग हो। मिलिट्री ट्रेनिंग हो, सेवा कर सकें और अच्छे आदमी निकलें। अगर वे पुलिस फोर्स में भर्ती होना चाहें तो आ सकते हैं। अगर वे नहीं आना चाहें तो नहीं आवें। जिस प्रकार ऑग्ज़िलियरी फोर्स है, उसमें ट्रेनिंग देते हैं उसी तरह से होगा। वे लोग चुनाव लड़

Page No 44

(श्री मथुरादास माथुर)

सकते हैं मगर जब उनको जरूरत के समय बुलाया जावे तब उनको आना होगा। अगर वे नहीं आते हैं तो उनके खिलाफ पुलिस एक्शन जिस प्रकार पुलिस के लोगों के साथ लिया जाता है, लिया जावेगा और उनको भी उसी प्रकार से सजा दी जावेगी जिस तरह से पुलिस वालों को सजा दी जाती है।

(१.०० म. प.)

इस बात को समझते हुए "दी राजस्थान होम गार्ड्स बिल, १९६२" को आपके सामने पेश किया है। हो सकता है, वार टाइम पर बॉम्बे ने शुरू किया हो, इसके बाद दूसरी रियासतों ने इसे अडॉप्ट किया; आज ८ रियासतें ऐसी हैं जिन्होंने होम गार्ड्स एक्ट को अडॉप्ट किया है।

इसके बनने से हमें फाइनेन्शियल मदद मिलेगी, नहीं तो हमें पुलिस को बढ़ाना पड़ेगा। जिस तरह क्राइम बढ़ते जा रहे हैं, इन्डस्ट्रियलाइजेशन बढ़ता जा रहा है उसको देखते हुए मैं कोटा की मिसाल देकर बताता हूं। कोटा पहले राजस्थान का अच्छा शहर था, उसकी आबादी बढ़ी और वहां पर इन्डस्ट्रियलाइज़ेशन बढ़ने से क्राइम बढ़े हैं; इस कारण हमें वहां पुलिस स्टेशन्स बढ़ाने पड़े हैं। इसी तरह जगह जगह पुलिस का फ़ोर्स बढ़ाना पड़ा तो बहुत खर्चा बढ़ जायगा। इसलिए खर्च को कम करने के लिए, एमर्जेंसी को भी सामने रखते हुए, मैं नहीं कहता कि आज हमारे सामने कोई एमर्जेंसी है, पर कभी कहीं एमर्जेंसी होगी तो, इसको भेजा जायगा वहां होम गार्ड्स बिल किसी तरह जनता को परेशान करने में काम में नहीं लाया जायगा।

मेरा विश्वास है, मेरे इस विश्वास से अर्थ न लगायें कि मैं किसी दबाव के कारण इस एमेंडमेंट को स्वीकार कर रहा हूं। मैं इस एमेंडमेंट को इसलिये स्वीकार कर रहा हूं कि हमें इसके लिए पब्लिक का सहयोग चाहियेगा। अगर पब्लिक नहीं चाहती है तो होम गार्ड्स बिल पास करने से क्या मतलब हल होगा? इसलिए पब्लिक की राय जानने के लिये; पब्लिक ओपीनियन के लिये इसे सर्कुलेट करने का स्वीकार किया है; ताकि पब्लिक ओपिनियन जान लेने के बाद अगले सदन में इस पर विचार कर सकें।

श्री अध्यक्ष : १५ मार्च, १९६३ कर दें आपके संशोधन में।

श्री रामानन्द अग्रवाल : जी हां, स्वीकार है।

श्री मुरलीधर व्यास : सिलेक्ट कमेटी को सुपुर्द किये जाने के प्रस्ताव का क्या होगा ?

श्री अध्यक्ष: उसकी जरूरत ही नहीं है। उससे भी बड़ी बात स्वीकार कर ली गई है, पब्लिक ओपिनियन के लिए जा रहा है।

अब मैं संशोधित एमेंडमेंट सदन के समक्ष पढ़ कर सुना देता हूं :

"The Rajasthan Home Guards Bill, 1962 be circulated for eliciting public opinion thereon by the 15th March, 1963."

प्रश्न यह है कि यह प्रस्ताव जो श्री रामानन्द अग्रवाल ने रखा है उसे स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

(श्री अध्यक्ष)

प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

(मत के समय कुछ ट्रेजरी बेंचेज के सदस्यों द्वारा 'नो' कहने पर हंसी)

यह तो आदत है इस प्रकार की।

(१.४ म० प०)

राजस्थान विधि निरसन तथा संशोधन विधेयक, १९६२

(विचारार्थ एवं पारित)

आप मोशन मूव करें।

श्री मथुरादास माथुर (विधि मंत्री): माननीय अध्यक्ष, राजस्थान लॉज रिपीलिंग एन्ड अमेंडिंग बिल, १९६२ को विचारार्थ लिया जाय।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री विजयसिंह झाला।

(अनुपस्थित)

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा।

(अनुपस्थित)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

(अनुपस्थित)

श्री मानिकचन्द सुराणा।

आपका प्रस्ताव है कि इसे प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : अध्यक्ष महोदय, इस बिल में राजस्थान विधान सभा द्वारा बनाये गये अनेकों एक्ट्स को रिपील करने का प्रावधान है और इस प्रकार इस बिल में कम से कम १५ एक्ट्स के संशोधन का प्रस्ताव किया गया है। जहां तक अध्यक्ष महोदय, पुराने ऑर्डिनेन्सेज और एक्ट्स को रद्द करने का सवाल है, मैं समझता हूं किसी न किसी एक्ट के द्वारा रिपील किये जा चुके हैं; फिर भी सिलेक्ट कमेटी के द्वारा इस बिल को अच्छी तरह से एग्जामिन करना जरूरी है कि जिनको रद्द करना चाहते हैं उनका तो इन बिलों के अंदर कहीं फोर्स बाकी नहीं रह गया है। कम्प्लीटली सारे बिलों को रिपील करने का प्रावधान रखा है उनको रिपील किया जा चुका है, पर जिनमें संशोधन किये हैं वे संशोधन बहुत महत्वपूर्ण हैं। जिन १४-१५ एक्ट्स में इस बिल के द्वारा संशोधन किये जा रहे हैं उन संशोधनों का, उन एक्ट्स के प्रोविजन्स पर क्या असर पड़ेगा इसकी पूरी जानकारी सिलेक्ट कमेटी के द्वारा की जानी चाहिये। राजस्थान मेटर्निटी बेनिफिट एक्ट, अर्बन इम्प्रूवमेंट एक्ट इस तरह के अनेक एक्ट्स राजस्थान विधान सभा ने बनाये जो बहुत से एक्ट्स इसके द्वारा संशोधित किये गये हैं; कहीं कुछ एड किया है, कहीं अमेंड किया है, रिपील किया है।

तो मेरी मान्यता है कि जो बिल बहुत से एक्ट्स को रिपील और संशोधित करता है, उन संशोधनों का उन बिल्स के प्रोविजन्स पर क्या असर पड़ेगा, इसकी अच्छी तरह से जानकारी एक सिलेक्ट कमेटी के द्वारा ही की जा सकेगी; इसलिये मैंने यह संशोधन रखा है कि इसे एक सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द कर दिया जाय क्योंकि इस बिल का सम्बन्ध पचासों एक्ट्स से हो चुका है इसलिये इसे सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द किया जाना चाहिये और

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

इस सेशन के समाप्त होने से पहले उस सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट सदन में प्रस्तुत होकर इस बिल पर विचार कर लिया जाय।

मैं समझता हूं यह बिल्कुल उचित प्रस्ताव है और मन्त्री महोदय इसे स्वीकार करेंगे।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रस्ताव रखा है कि यह बिल प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय मैं इसका अनुमोदन करने के लिये उपस्थित हुआ हूं। जब यह बिल इन्ट्रोड्यूस किया जा रहा था तो मंत्री महोदय ने कहा था कि ढर्रे की सी बात है, फोर्मल तरीके की बात है। पर इसकी अहमियत को देखा जाय तो बहुत बड़ी चीज है। लैण्ड एक्विज़िशन एक्ट के कुछ प्रोवीज़न्स हैं उनको इसके द्वारा अमेंड करना चाहते हैं। ये कुछ अहम चीजें हैं जिनके द्वारा लोगों के राइट्स पर आंच आने वाली है। इसमें १२ बिलों में संशोधन करने का सवाल है। राजस्थान पंचायत एक्ट, १९५३, राजस्थान भूमि अवाप्ति अधिनियम, राजस्थान प्रसूति लाभ अधिनियम, राजस्थान भूदानयज्ञ अधिनियम आदि बड़े महत्वपूर्ण अधिनियम हैं जो इसके द्वारा संशोधित किये जा रहे हैं। विभिन्न प्रकार के एक्ट्स में विभिन्न प्रकार के संशोधन किये जा रहे हैं; तो इन पर विभिन्न तरीके से विचार किया जाना चाहिये। ऐसी दशा में सदन के माननीय सदस्य यह उचित समझेंगे कि हर एक एक्ट की मंशा के अनुसार संशोधनों का कन्सीडरेशन कर लिया जाय। ऐसी दशा में अगर इसे प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय तो प्रभारी मंत्रीजी इसे अनुचित नहीं समझेंगे।

हम कोई डिलेइंग टेक्टिक्स अपनाना नहीं चाहते। यह इसलिये कहा जा रहा है कि प्रवर समिति इस पर अच्छी तरह से विचार करके रिपोर्ट पेश करे तो सदन इस पर अच्छी तरह से विचार कर सकेगा। चाहे इसकी सिलेक्ट कमेटी से रिपोर्ट मंगाने की टाइम लिमिट शोर्ट से शोर्ट कर दी जाय कि वह अपना प्रतिवेदन एक सप्ताह या पांच दिन के अन्दर अन्दर पेश करे। पर मैं यह जरूर चाहूंगा कि जब कि इस बिल से विभिन्न एक्ट्स के विभिन्न प्रोविज़न्स का संशोधन किया जा रहा है तो प्रवर समिति बड़ी गम्भीरता के साथ उन पर विचार कर ले और अपनी रिपोर्ट सदन में प्रस्तुत करे। इसमें कोई अनुचित बात नहीं है।

मैं समझता हूं मन्त्री महोदय सहृदयता के साथ इस प्रस्ताव को स्वीकार करेंगे।

श्री मथुरादास माथुर (विधि मंत्री): माननीय अध्यक्ष, मुझे खेद है कि मैं, जो यह तरमीम और प्रस्ताव आया है कि इस बिल को सिलेक्ट कमेटी के पास भेजा जाय, इसको मंजूर नहीं कर सकता। मैं मंजूर कर लेता अगर मंजूर करने जैसी बात होती। इस पर माननीय सदस्यों के भाषण हुए। अलवर से आने वाले माननीय सदस्य का भाषण हुआ; फिर अभी और माननीय सदस्यों ने भाषण दिये। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि बिल्स के नाम पढ़ कर घबराने की बात कतई नहीं है। अमेंडमेंट्स

(श्री मथुरादास माथुर)

देखेंगे तो पता चलेगा कि बिल्कुल साधारण हैं। मैटर्निटी बेनिफिट अमेंडिंग बिल देखेंगे तो 'and' की जगह 'when' कर रहे हैं। इसमें सिलेक्ट कमेटी क्या करेगी ? जहां तक रिपीलिंग बिल का सवाल है; बिल के अन्दर जो चीजें हैं वे हाउस से एप्रूव्ड हैं। ७ बिल्स तो एक तरह के हैं और पांच अलग तरह के हैं। यदि कोई पेटेन्ट एरर रह गई हो तो क्लॉज बाई क्लॉज बता सकते हैं। कोई नीति की बात रह गई हो तो आप कह दें कि यह बात रह गई है तो मैं उस पर विचार कर सकता हूं। वर्ना इसको सिलेक्ट कमेटी में भेजने की कोई आवश्यकता नहीं है और मैं प्रस्ताव को स्वीकार करने में असमर्थ हूँ।

श्री अध्यक्ष : लैंड एक्वीजिशन की ५ और ५ए में क्या फर्क है ?

श्री मथुरादास माथुर : ऐसा है कि जैसे नदी का कोर्स बदल गया हो, कोई एमर्जेन्सी आ गई हो तब एक्सपीडाइट करने के लिए इसको इम्प्रूव किया है। पहले हमने जब एक्ट पास किया था तो ५ और ५ए दोनों ही लागू रहेंगी, यह माना था। अब हमने इम्प्रूव किया है ५ नहीं रहेगी और ५ए लागू रहेगी।

Procedure as laid down under Section 5 shall not apply now; we amend it. Section 5A shall apply and 5 will not apply.

इसलिए इसमें कोई खतरा नहीं है। विरोधी दल के नेता ने भी भाषण में कहा था कि किसी की जमीन ले ली है। एक्वीजिशन एक्ट १७ (१) में जो बात लिखी हुई है वही इसमें है। पहले कानून पास किया था ५ और ५ए को एलीमिनेट किया था। हम कहते हैं कि अब ५ए लागू रहेगी। सेन्ट्रल लैंड एक्वीजिशन एक्ट है उसमें भी ५ए के प्रोविजन्स लागू हैं और इसलिए भी हमने उसको एडोप्ट किया है। सेन्ट्रल एक्ट ए स्टेट पर लागू था और 'बी' पर नहीं था। अब उसका सवाल नहीं है, तो वह हमारे यहां भी लागू हो जावेगा; अपना एक्ट अपने आप रिपील हो जावेगा। हमने जो कुछ किया है वह सेन्ट्रल एक्ट को देख कर किया है, पहले के कानून में इम्प्रूवमेन्ट किया है। मैं समझता हूँ कि इसमें ऐसी कोई बात नहीं है जिससे आपको परेशानी हो।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान विधि निरसन तथा संशोधन विधेयक, १९६२ को प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय।

(अस्वीकृत)

प्रस्ताव गिर गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि राजस्थान विधि निरसन तथा संशोधन विधेयक, १९६२ को विचारार्थ लिया जाय।

(स्वीकृत)

प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

श्री मथुरादास माथुर : माननीय अध्यक्ष, एक अमेन्डमेन्ट था। प्रिन्टिंग में गलती हो गई।

श्री अध्यक्ष : पहले क्लॉज पास कर देते हैं।

प्रश्न यह है कि राजस्थान लॉज व रिपीलिंग एन्ड अमेन्डिंग बिल, १९६२ के खंड २, ३ व ४ विधेयक के अंग बने।

(स्वीकृत)

खंड २, ३ व ४ विधेयक में अंग रूप से जोड़े गये।

(विराम)

प्रश्न यह है कि शिड्यूल १ विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

शिड्यूल १ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि शिड्यूल २ में जो संशोधन मंत्री महोदय ने प्रस्तुत किया है उसको स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि शिड्यूल २, संशोधनानुसार, विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

शिड्यूल २, संशोधनानुसार, विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

प्रश्न यह है कि क्लॉज १, प्रिएम्बल इत्यादि विधेयक के अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज १, प्रिएम्बल इत्यादि विधेयक में अंग रूप से जोड़े गये।

(विराम)

श्री मथुरादास माथुर : माननीय अध्यक्ष मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान लॉज रिपीलिंग एण्ड अमेन्डिंग बिल, १९६२ को पारित किया जाय।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना) : अध्यक्ष महोदय, ऐसा है कि दुनिया के दूसरे मुल्कों में दो-दो सदन हुआ करते हैं। उसका प्रोविजन इसलिए किया गया है कि हेस्टी लेजिस्लेशन को चेक किया जा सके। मैं समझता हूं कि इस तरह से हेस्ट में प्रोपर कन्सीडरेशन नहीं दिया जा रहा है और जल्दी में इस बिल को पास कराना चाहते हैं।

एक माननीय सदस्य : 'हेस्ट' का हिन्दी में क्या अनुवाद है ?

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : इसलिए इस हेस्टी लेजिस्लेशन को चेक करने के लिए, इन चीजों को चेक करने के लिए सदन की बड़ी जिम्मेदारी है। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा......

एक माननीय सदस्य : प्रवर समिति को भेज दीजिये।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : बोलने वाले माननीय सदस्य जानते नहीं है कि

(श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल)

अब प्रवर समिति में इसको नहीं भेजा जा सकता है, अब तो यह तृतीय वाचन की स्टेज पर है और इसमें या तो इसको पास करना है या आउटराइट रिजेक्ट कर देना होता है।

इसमें जो मुख्य मुख्य सिद्धान्त आये हैं, यह ठीक है कि मंत्री महोदय ने यह बताया कि इसमें, 'if, but, where' वगैरह कुछ शब्दों का ही संशोधन है, लेकिन कानून में इनकी बड़ी मंशा हुआ करती है। इससे बड़े फ़ार रीचिंग कॉन्सिक्वेन्सेज़ होते हैं। लोगों पर और दूसरी चीजों पर उनका बड़ा असर होने वाला है। इसके लिए अध्यक्ष महोदय, आप व्यवस्था दें। यदि रूल्स परमिट नहीं करते हों तो माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि इस सिद्धान्त के अनुसार कि हेस्टी लेजिस्लेशन नहीं होना चाहिए और खास कर राजस्थान में जहां कि दूसरे सदन का प्रोविज़न नहीं है इसको आउटराइट रिजेक्ट कर दें। अन्त में मेरा माननीय सदस्यों से फिर यही निवेदन है कि इसको आउटराइट रिजेक्ट कर दें।

श्री मथुरादास माथुर : इसमें मुझे कुछ निवेदन नहीं करना है। उसका मतलब आप समझते हैं। मैं यह मानने के लिये तैयार नहीं हूं कि यह हेस्ट में किया गया है। सदन के माननीय सदस्यों ने इसको समझा है और हेस्ट में काम नहीं किया जाता है। माननीय सदस्य जो बोलने वाले हैं उनके दिमाग में हेस्ट है, वर्ना कोई नहीं है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान लॉज़ रिपीलिंग एन्ड एमेन्डिंग बिल, १९६२ को पारित किया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया।

राजस्थान बिक्री कर (संशोधन) विधयक, १९६२

श्री निरंजननाथ आचार्य (उप-मंत्री, शिक्षा) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान सेल्स टैक्स (अमेंडमेंट) बिल, १९६२ को विचारार्थ लिया जाय।

श्री अध्यक्ष : श्री योगेन्द्रनाथ हांडा।

(अनुपस्थित)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

(अनुपस्थित)

श्री मुरलीधर व्यास।

(अनुपस्थित)

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा (मावली) : अध्यक्ष महोदय, यह जो सेल्स टैक्स अमेन्डमेन्ट बिल है उसके बारे में मैं सदन को यह बताना चाहूंगा कि यह बिल कितनी जल्दी में तैयार किया गया है। इतने छोटे से बिल में इतनी गलतियां हैं कि सुधार की आवश्यकता है। इसमें एक शब्द या लाइन का सुधार किया गया है; लेकिन इसके पीछे जो भावना है वह आदरणीय है लेकिन कन्स्ट्रक्शन, सेन्टेन्स का जो उपयोग किया गया है वह कतई ठीक नहीं है। मैं सदन के सामने यह बताना चाहूंगा कि हमारे मंत्री

(श्री सम्पत्तिलाल बोहरा)

महोदय ने जो प्रस्ताव रखा है और अमेन्ड-मेन्ट बिल के पीछे जो सेक्शन १५ कोट (Quote) किया है :

"Within 60 days from the passing by the Commissioner of any order under section 14... ..."

मैं इस बारे में यह जानकारी देना चाहता हूं कि यह 'कमिश्नर' शब्द कभी का रिपील हो चुका है और जिसका अमेन्डमेन्ट राजस्थान सेल्स टैक्स थर्ड अमेन्डमेन्ट बिल में हो चुका है :

" Under Section 15 of the Principal Act, for the word 'Commissioner' wherever occurs the words 'Board of Revenue' shall be substituted. "

तो इस प्रकार सदन में जानकारी दी गई वह गलत जानकारी है । इसके अलावा जो सब्स्टीट्यूशन किया गया है वर्ड्स का : "Such dealer or the assessing authority as the case may be." मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं, इसके आगे के वर्ड्स पढ़े होते तो इसके बारे में प्रॉपर जानकारी हो जाती और जो मंशा अमेन्डमेन्ट लाने की है वह सही है या गलत है, मालूम हो जाती। सेक्शन १५ इस प्रकार है :

" Within sixty days from the passing by the Commissioner i. e. Board of Revenue of any order under section 14 affecting any liability of any dealer to pay tax under this Act, such dealer or the assessing authority as the case my be, by application in writing accompanied by a fee of one hundred rupees, require the Commissioner to refer to the High Court any question of law arising out of such order. "

क्या माननीय मंत्री महोदय की मन्शा है असेसिंग ऑथोरिटी १०० रुपया जमा करवा कर हाई कोर्ट में मेटर रेफर करेगी । एक डिपार्टमेन्ट दूसरे डिपार्टमेन्ट को १०० रुपया भेजकर कोर्ट ऑफ लॉ में मेटर दे । मैं समझता हूं यह जल्दबाजी में गलती रह गई है । इसके बजाय दूसरा क्लॉज होता कि असेसिंग ऑथोरिटी हाई कोर्ट को रेफर कर सकती है उसके लिये फीस का प्रोवीजन लागू नहीं होगा । इसमें अमेन्डमेन्ट होता तो वह ठीक प्रतीत होता । असेसिंग ऑथोरिटी १०० रुपया जमा करे, फिर हाई कोर्ट या बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को रेफर करे । 'कमिश्नर' जहां वर्ड दिया गया है वहां 'बोर्ड ऑफ रेवेन्यू' होना चाहिये ।

श्री निरंजननाथ आचार्य (उप-मंत्री शिक्षा) : 'कमिश्नर' किसमें लिखा गया है ।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : सेक्शन १५ में···

"Within sixty days from the passing by the Commissioner of any order . . . ."

श्री निरंजननाथ आचार्य : I admit Sir, this is an error.

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : What about the Section itself. I say, Sir, in Section 16, there is also an amendment which say that the Assessing Authority

(श्री सम्पत्तिलाल बोहरा)

is empowered to impose penalty. Previously in the Act, it was and there are already sufficient provisions in this Act. There are five provisions for penalising the assessee.

मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं, आज यह हालत हो रही है कि सेल्स टैक्स की रकम तो कम होती है पेनेल्टी पर ही सेल्स टैक्स ऑफिसर जिन्दा रह रहे हैं, पेनेल्टी लगाकर ही खानापूर्ति कर रहे हैं। पेनेल्टी किन हालतों में लगनी चाहिये, इस बारे में कम्पलीट इन्स्ट्रक्शन्स दिये जायं। इतने क्लॉजेज होने के बाद भी सरकार को जरूरत पड़ गई पेनेल्टी लगाने की। आज जिस प्रकार की व्यवस्था कर रहे हैं उसके अनुसार जिस पर किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं उसने रिटर्न फाइल नहीं किया तो इस क्लॉज के अन्तर्गत उस पर भी पैनेल्टी लाद दी जायगी। पहले जो क्लॉजेज में प्रावधान हैं उनके अनुसार टैक्स यदि नहीं पे करता है तो उस पर पैनेल्टी लगायी जा सकती है। अब जिस पर टैक्स लाएबल नहीं बनता है उसको भी पेनेलाइज किया जा सकता है। जिस पर टैक्स नहीं, जो टैक्स देने का अधिकारी नही उन व्यक्तियों पर किस प्रकार पेनेल्टी इम्पोज की जाय? मैं कहूंगा, जनता के हित की दृष्टि से कोई भी ऐसा कारण नहीं जिससे इन नियमों को इतना जल्दी पास करने की आवश्यकता हो। सेल्स टैक्स के बारे में एक हाई पॉवर कमेटी सदन की मन्शा से सरकार ने नियुक्त की है, उसके विचाराधीन जो मसले हैं उनमें वह कमेटी काफी आगे बढ़ चुकी है। ये अमेन्डमेन्ट्स जो यहां रखे गये हैं वे सारे के सारे बहुत जल्दबाजी में तैयार हो रहे हैं। इतनी क्या जल्दी है, इसके कारण क्या काम रुक रहा है जिससे कि यह बिल इतना जल्दी में पारित करवाना चाहते हैं? इसलिये मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इस पर पूरी तरह से गौर करने के लिये इस बिल को प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय। सही रूप से तो मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि इस बिल को वापिस ही ले लिया जाय तो ज्यादा अच्छा रहेगा।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मावली से आने वाले माननीय सदस्य ने इस बिल को प्रवर समिति के सुपुर्द किये जाने का जो प्रस्ताव रखा है उसका मैं समर्थन करता हूं। अध्यक्ष महोदय, माननीय उप-मंत्री महोदय ने, माननीय सदस्य ने एक जो सुझाव दिया, उसको उन्होंने स्वीकार किया है और ऐसी स्थिति के अन्दर मैं यह आवश्यक नहीं समझता कि इसको बजाय सिलेक्ट कमेटी के पास भेजने के इसको तुरन्त पास किया जाय।

जो इसका दूसरा भाग है वह भाग इस प्रकार का नहीं जिस पर बिना विचार किये हम कोई निर्णय लें लें। अध्यक्ष महोदय, जहां तक मेरा दस वर्ष का अनुभव है उस आधार पर मैं अधिकृत रूप से कह सकता हूं कि विधान सभा में आज तक इस प्रकार का विधेयक पास नही हुआ जिस विधेयक के अन्दर रूल्स में पेनेल्टी इम्पोज का प्रावधान रखे जाने की बात हो और उस पर राज्य सरकार ने विधान

(श्री भैरोंसिंह)

सभा से स्वीकृति ली हो। यह पहला ही विधेयक है जिस विधेयक में सजाओं का प्रावधान होते हुए रूल्स में भी सजाओं का प्रावधान रखा है और उनके ऊपर भी सरकार विधान सभा की स्वीकृति लेना चाहती है। मैं सरकार से पूछना चाहूंगा, आपने जो रूल्स बनाये वे रूल्स क्या विधान सभा द्वारा पारित किये गये हैं? क्या वे रूल्स सेल्स टैक्स एक्ट के अनुसार बनाये गये हैं या इसके विपरीत। यह कहने की स्थिति में नहीं आ सकते कि विधान सभा ने कभी आपको यह अधिकार नहीं दिया, रूल्स में आप इस प्रकार के पेनेल क्लॉजेज रखें। आपने एक तो यह भूल की और उसके बाद आप उस भूल पर मुहर लगवाना चाहते हैं विधान सभा की। मंत्री-महोदय स्वयं यह मन्जूर करेंगे कि ऐसी स्थितियां जिनमें गलतियाँ हो गईं और वे गलतियां डिटेक्ट हो जायं और आकर विधान सभा में रखकर आयन्दा कानूनी ढंग से रिपीट करने की स्थिति बनायें यह किसी भी प्रकार उचित नहीं होगा।

अब यह प्रश्न आता है, रूल्स में पैनेल क्लॉजेज क्यों रखा गया? क्या एक्ट में जिस प्रकार का प्रावधान है वह क्या अपर्याप्त है? अगर एक्ट में प्रावधान अपर्याप्त है तो सरकार की ड्यूटी है कि इस प्रकार का अमेन्टमेन्ट लाये जिन प्रावधान के जरिये उनकी जो पेनल्टी देने की मन्शा है उसको इन्कोरपोरेट किया जाय। रूल्स में प्रावधान रख दिया, उन रूल्स पर सदन की मोहर लगाने की स्थिति पैदा करना चाहते हैं, यह किसी प्रकार भी उचित नहीं होगा।

अध्यक्ष महोदय, वैसे हमारी सरकार जिस क्लॉज में संशोधन चाहती है उसको एक्स्ट्रेक्ट में शामिल अवश्य किया है, रूल्स में कौन कौन से पैनेल क्लॉज हैं जिनको एक्ट की शक्ल देना चाहते हैं, जिसका जिक्र नहीं किया है। सेल्स टैक्स एक्ट में जो रूल्स बने हुए हैं वे रूल्स किस सजा का प्रावधान लेकर चलते हैं। पैनेल्टी का प्रावधान लेकर चलते हैं वह एक्ट की मन्शा के अनुसार नहीं. तो इस प्रकार की कार्यवाही के ऊपर विधान सभा की स्वीकृति प्राप्त करना उचित होगा। इस प्रकार के रूल्स को, जिन चीजों को आप पैनेल क्लॉज के रूप में इन्कोरपोरेट करना चाहते हैं उनको अगर कानूनी संज्ञा देना चाहते हैं तो यह गलत तरीका होगा। रूल्स में आप सजा का प्रावधान रखें और विधान सभा में वे रूल्स न आयें उस पर बिना विचार हुए ही आप उस प्रावधान को एक्ट के साथ लगाने की चेष्टा करें और वह विधान सभा से पारित कराना चाहें तो यह उचित नहीं होगा। अगर आप आवश्यक महसूस करते हैं तो पैनेल क्लॉज इम्पोज करने की आपने पहले ही व्यवस्था कर रखी है वह कम है। रूल्स में पैनेल क्लॉज दी हुई है उसको इम्प्लीमेन्ट करते हैं तो सेल्स टैक्स एक्ट राइटली इम्प्लीमेन्ट नहीं होता।

आप उस सारे सेल्स टैक्स को अच्छी तरह लागू करने के लिये व्यवस्था कर सकते हैं, पर व्यवस्था कर सकते हैं एक्ट के जरिये से, रूल्स के जरिये से नहीं। लॉ डिपार्टमेन्ट को कन्सल्ट करेंगे। वे नजीर प्रस्तुत कर देते हैं कि पार्लियामेन्ट में ऐसा हुआ है, फलां विधान सभा में ऐसा हुआ है। वे एक नजीर

(श्री भैरोंसिंह)

तो रख दें ऐसी कि रूल्स में सजाएं दी हुई हैं कहीं। राजस्थान विधान सभा की कोई नजीर बता दें कि जिसके जरिये यह साबित होता हो कि इन रूल्स के क्लॉजेज़ को एक्ट का स्वरूप दिया गया हो। कोई नजीर ऐसी नहीं मिलेगी और मैं समझता हूं कि हमारे अब तक के कनवेन्शन और विधान सभा के अधिकारों के यह विरुद्ध है। पैनल्टी क्लॉज़ विधान सभा एक्ट में रखती है और यह सोच-विचार करके कि जुर्म किस प्रकार है, टेन्डेन्सी उसकी कैसी है, उसको रोकने के लिये किस तरह से इम्पोज़ की जा सकती है, इन सब पर विचार करके फिर निर्णय देते हैं कि इसको छः महीने की या पाँच सौ रुपये की या अमुक प्रकार की सजा लगा दी जावे।

पर आप तो यह मानकर चलते हैं कि रूल्स बनाने का अधिकार आपको दिया तो उनके खिलाफ काम करने वाले को सजा देने की व्यवस्था करने का भी अधिकार आपको है। पर आप यह व्यवस्था नहीं कर सकते, आपको इसका अधिकार नहीं है। कोई सेल टैक्स अगर नहीं देता है तो इसके लिये आपने अनधिकृत रूप से पैनेल्टी क्लॉज़ नियमों में रख दिये हैं और अब उन पर विधान सभा की स्वीकृति लेना चाहते हैं। मैं उप मन्त्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि कम से कम वे तो मेरे से ज्यादा जानकार हैं और स्वयं वकील भी रहे हैं, वे स्वयं ऐसी टैन्डेन्सी और अनहैल्दी कनवेन्शन बनाने की चेष्टा न करें। अगर वे करते हैं तो मुझे भय है कि आगे से जो भी एक्ट यहां बनने आवेगा उसमें वे पैनेल्टी क्लॉज़ रखना ही छोड़ देंगे और केवल कानून के नीचे लिख देंगे कि नियम बनावेगी सरकार और उसमें सजा का प्रावधान रखेगी सरकार; तो इस तरह से विधान सभा को डार्क में रखकर जो सरकार करना चाहेगी वह कर देगी।

ऐसी स्थिति में मैं निवेदन करूंगा कि वे पूरा विचार कर फिर इस संशोधन को प्रस्तुत करें और सदन से भी मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अगर उसने एक बार भी रूल्स में पैनेल्टी के क्लॉज़ को सिद्धान्ततः स्वीकार कर लिया तो यह सरकार है राजस्थान की; वह फिर ऐसे चान्स आपको कभी नहीं देने वाली है कि आप फिर किसी एक्ट में सोच समझ कर किसी पैनेल्टी क्लॉज़ का विधान आप करें। वे डरते हैं विधान सभा के सदस्यों से कि मालूम नहीं वे स्वयं सोच-विचार कर कितनी पैनल्टी रखेंगे। इस लिये विधान सभा से तो यही लिखवा लिया जाय कि पैनल्टी सोच विचार कर सरकार ही नियमों में निर्धारित कर देगी। तो इस तरह से यह विधान सभा कानून के इम्प्लीमेन्टेशन के विषय में राय ही नहीं दे पावेगी, उसको मौका ही नहीं दिया जाया करेगा भविष्य में। और यह हमारे विधान सभा के सदस्यों के अधिकारों पर एक तरह से एन्क्रोचमेन्ट होगा।

रिपीलिंग के वक्त गृह मंत्री ने बताया कि कॉन्सीक्वेन्शल छोटे-मोटे अमेन्डमेन्ट इसमें हमने किये हैं; वह बात उनकी समझ में आ सकती है। पर यहां छोटे-मोटे अमेन्डमेन्ट ही नहीं हैं, बहुत बड़े महत्व के अमेन्डमेन्ट भी इसमें हैं और अगर इनको

(श्री भैरोंसिंह)

बिना सोचे विचारे हमने स्वीकृति दे दी तो यह भविष्य के लिये हम एक नई परिपाटी को जन्म देने जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यदि इस सिद्धान्त को हमने स्वीकार कर लिया तो इसके भयंकर परिणाम हमें भविष्य में देखने पड़ेंगे। रूल्स के नाम पर वे मनमानी पैनेल्टी को इम्प्लीमेन्ट करने की कोशिश करेंगे। हम ज्यादा से ज्यादा यह प्रावधान रख सकेंगे कि रूल्स को टेबल पर रखा जावे, फिर इसमें अमेन्डमेन्ट का प्रस्ताव पेश करें। इसमें समय भी लगता है। कई प्रकार के प्रोसीजर में से निकलना पड़ता है और सरकार उनको लागू कर देती है। उस समय तक तो लागू करने के सवाल को एक्ट की शक्ल में लाना हर प्रकार से अनुचित होगा और ऐसी स्थिति में मैं इस बिल का विरोध करते हुए जो एक संशोधन उप-मंत्रीजी ने स्वीकार किया है उसका समर्थन करते हुए दूसरे भाग के लिये कहता हूं कि उसे आउट राइट रिजेक्ट कर दे सदन। अगर इसमें सदन फेल रहता है तो इन डेलीगेटेड पॉवर्स को वह हाथ में लेकर मनमाने तरीके से उनका उपयोग करके और इस एक्ट की शक्ल को बिगाड़कर विधान सभा को डार्क में रखकर बाद में उन पर इस सदन से मोहर मात्र लगाने की स्थिति में यह सरकार इस सदन को ले आवेगी।

बाकी की विधान सभाओं में ऐसे कानून नहीं बनते। पार्लियामेन्ट में भी, जहां तक मेरी जानकारी में है, इस प्रकार के कानून नहीं बने हैं। अगर मैं सही नहीं हूं, तो उप-मंत्रीजी नजीर देंगे कि कौन से बने हैं। पार्लियामेन्ट का कन्वेन्शन ऐसा नहीं हो सकता। मैं तो यह भी कहूंगा कि सरकार ने अपने बहुमत के आधार पर बनवा भी लिया है तो उस बहुमत के आधार को कन्वेन्शन के रूप में स्वीकार नहीं करना चाहिये। अगर स्वीकार करते हैं तो आप इतना कर दीजिये कि विधान सभा अधिकार देती है कि इस कानून में कौन कौनसी बातें होंगी, कितना टैक्स पैनेल्टी का प्रोवीजन होगा, वे सारे के सारे अपने निर्णय लेकर रूल्स बना देंगे। वैसी स्थिति में यह करना होगा, भले ही समय बचावें, पर क्रिटिसिज्म से और ठीक सुझावों से अगर बचना है तो फिर भले ही कुछ भी करें; पर मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह परिपाटी हमारे अधिकारों का हनन है और बहुमत का यह दुर्भाग्य है। उनको आप अपनी स्थिति का विचार करते हुए राजस्थान सरकार को इस प्रकार की सलाह दें कि इस प्रकार की वह कोई कार्यवाही न करे जिससे विधान सभा के सुझावों और क्रिटिसिज्म में वह बच सके और जनता पर विधान सभा की स्वीकृति प्राप्त किये बगैर अपने कानून लागू कर सके।

आप कह सकते हैं कि हम रूल्स बनाने का अधिकार लेते हैं, फिर उन रूल्स में जब अधिकार मिलता है, जिस दिन से पब्लिश होते हैं तो उसी दिन से लागू समझे जाते हैं। यहां पर लागू पहले कर दिये। गलती पहले कर दो, अब उसको दुरुस्त कराने का तरीका है कि आप एक्ट में संशोधन लावें। इसके लिये भी कहता हूं कि उसको भी दुरुस्त माना जावे, गलत नहीं क्योंकि

(श्री भैरोंसिंह)

बहुत दिनों के बाद रेक्टिफाई कराने की स्थिति में आते हैं ।

मैं निवेदन करूंगा कि इस प्रकार की गलत परम्परा करने की चेष्टा न करें । और इन्हीं शब्दों के साथ इस बिल का विरोध करते हुए और मैं साथ ही निवेदन करना चाहता हूं कि अगर मंत्री महोदय चाहें कि विचार किया जा सकता है बैठकर तो इसको प्रवर समिति के सुपुर्द कर दें । आपके सामने मजबूरियां हैं तो हम को कॉपरेट करते हुए इस प्रकार के अमेन्डमेन्ट एक्ट में लावें कि जो भी स्थिति होगी उसमें सहायक हो सकते हैं । पर विधान सभा के अधिकारों का प्रश्न जहां आता है हम आपसे भी निवेदन करेंगे कि वह स्थिति पैदा न करें जिसका आगे जाकर बहुमत के नाम पर दुरुपयोग किया जा सकता है । इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं ।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, क्लॉज़ ३ में अमेन्डमेन्ट पेश किया है इसको देखने से मुझे भी माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसा महसूस होता है कि रूल्स में पीनल प्रोविज़न का प्रावधान रखना बिलकुल ठीक नहीं होगा । ऐसा कोई उदाहरण रूल्स के अन्दर रखना एक स्वस्थ परम्परा नहीं होगी ।

अगर ऐसी आवश्यकता है और कहीं कानून में ऐसा लिखना रह गया है तो कानून की उस धारा या सेक्शन के अन्दर ऐसा संशोधन किया जा सकता है । परन्तु किसी तरह से पैनल्टी प्रोवीज़न को लागू किया जावे, यह रूल्स में प्रोवाइड किया जा सकता है, यह नहीं होना चाहिये । इस तरह के पेनल्टी का प्रोवीज़न रूल्स में नहीं किया जाना चाहिये ।

इसलिये अध्यक्ष महोदय, मेरी भी यह धारणा है कि ऐसा रूल्स के अन्दर पैनल्टी का प्रोवीज़न का जो यह प्रावधान है यह ठीक नहीं है । इसलिये इस बारे में माननीय मंत्री महोदय पुनर्विचार करें ।

श्री निरंजननाथ आचार्य (उप-मंत्री, शिक्षा) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपको समझ नहीं पाया । आपकी मंशा यह है कि एक्ट में 'Infringement of the Rules'; ऐसा प्रावधान नहीं रखा जा सकता है या रूल्स के अन्तर्गत नहीं रखा जा सकता है, इन दोनों में भेद है ।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : अमेन्डमेन्ट के जरिये मेन कानून में रखा जा सकता है तो रूल्स में इसको स्पेसिफिकली रखने की क्या आवश्यकता प्रतीत होती है ?

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : मैं स्पष्ट कर दूं । एक्ट में प्रोवीज़न रखा जाता है कि इस एक्ट के अन्तर्गत जो रूल्स बनेंगे और उन रूल्स की अवहेलना करेंगे तो उसमें इतनी सजा हो सकती है ।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : तो माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा तो इतना ही कहना है । इसलिए इस विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाये और उसके बाद में अगर इसके बारे में विचार किया जाय तो अच्छा हो ।

Page No 56

श्री निरंजननाथ आचार्य : I think, Sir, it will save much of the deliberations if the House can hear me.

श्री अध्यक्ष : पहले आप उसका मतलब समझा दीजिये।

श्री निरंजननाथ आचार्य : अध्यक्ष महोदय, पहला प्रश्न जो उठाया गया उसके बाद में दूसरा प्रश्न आ गया उसको स्वीकार करने या अस्वीकार करने का मसला पैदा हो गया। पहला प्रश्न जो पैदा हुआ कि एक्ट के अन्तर्गत रूल्स के ओमीशन करने यानी नहीं मानने के लिए पनिश करने के लिए कोई प्रोवीज़न नहीं रखा जा सकता और अमेन्डमेंट जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने यह कहा कि यह गलत होगा और उन्होंने लोक सभा और यहां की स्थिति भी बताई। मैं अधिक विस्तृत नहीं जाकर उदाहरण के रूप में जैसा माननीय सदस्य ने मुझसे मांगा है मैं उस उदाहरण को सामने रख देना चाहता हूं। इस तरह के प्रोवीज़न मेन एक्ट के रूल्स के संबंध में पनिश करने के रहे हैं और उसका उदाहरण मैं राजस्थान हेबीचुअल ऑफेन्डर्स एक्ट का दूंगा। उसका सेक्शन १० है :

"Whoever being a habitual offender contravenes any rule made under Section 8 shall be punishable on first conviction" and so on.

इसलिए रूल्स के अन्तर्गत कोई फंक्शन हुआ है तो मेन एक्ट में उसका प्रोवीज़न रखा जा सकता है। एक बात तो यह है।

अब अध्यक्ष महोदय, दूसरा प्रश्न जो इसके सेक्शन १५ के ऊपर आपत्ति उठाई गई है, मेरा यह विश्वास था कि सेक्शन १५ के अन्तर्गत तो कोई आपत्ति उठा ही नहीं जा सकती थी और वह इसलिए कि डीलर को एक रेमेडी देने का प्रावधान है। डीलर हाईकोर्ट में जा सकता है कानूनी प्रश्न पर। डीलर वहां लॉ पाइन्ट पर वापिस अपनी फाइल को मंगवा सकता है। डीलर के प्रार्थना-पत्र का यदि रेवेन्यू बोर्ड ने रिजेक्शन किया तो हाईकोर्ट में जा सकता है लीगल इश्यू के ऊपर। मैं माननीय सदस्यों से पूछना चाहता हूं कि दो पार्टीज़ हैं रेवेन्यू बोर्ड के सामने। हाईकोर्ट के सामने भी असेसिंग ऑथोरिटी और डीलर दोनों का एक ही स्थान है। तो आपको तो डीलर के रूप में इजाजत दी जाये कि लीगल पोज़ीशन पर रेवेन्यू बोर्ड और हाईकोर्ट के सामने रख सकता है। तो मुझे ऐसा विश्वास नहीं आता कि जहां असेसिंग ऑथोरिटी को इससे डिबार किया जा सकता है? ऐसी स्थिति में असेसिंग ऑथोरिटी के लिए कहना कि तुम लीगल इश्यू के ऊपर एजीटेट नहीं कर सकते और सिर्फ डीलर ही हाईकोर्ट तक जा सकता है, तो यह न्याय-संगत नहीं हो सकता।

श्री भैरोंसिंह : On a point of information, Sir........

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ने इसके आधार पर कुछ नहीं कहा। उन्होंने तो यह कहा कि असेसिंग ऑथोरिटी को भी १०० रुपये जमा कराये।

श्री निरंजननाथ आचार्य : प्रोवीज़न बहुत साफ़ है, १०० रुपये पे करेंगे। इन्टरप्रिटेशन के पाइन्ट पर मुझे कुछ नहीं कहना है।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा (मावली): मैंने आपत्ति की थी वह यह नहीं थी कि अधिकार नहीं देना है। मैंने यही कहा था कि असेसिंग ऑथोरिटी को भी १०० रुपये देने होंगे।

श्री निरंजननाथ आचार्य : I now follow, Sir. It does not need any more elucidation.

इसमें बिलकुल साफ है :

"... by application in writing accompanied by a fee of one hundred rupees, require the Commissioner to refer to the High Court any question of law arising out of such order".

अब असेसिग ऑथोरिटी को इसके अन्दर इन्क्लूड कर दिया गया है तो उसका जो कुछ प्रावधान है १०० या २०० रुपये जमा कराने का इसको मानना पड़ेगा। यह तो अध्यक्ष महोदय, मैंने सेक्शन १५ के संबंध में जो अमेन्डमेंट है उसके लिए अर्ज किया। कब दूसरा प्रश्न जो उठाया गया है इस एक्ट के अन्तर्गत ऑफेन्स को पनिश करने का उसका उत्तर मैं दे चुका हूं।

इन सबके अलावा मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूं, एक्साइज टैक्सेशन के मेनुअल के अन्दर रूल्स के अन्तर्गत ५८ है, उसकी तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जहां Penalty for contravention of certain rules दिया हुआ है। अब सर्टेन रूल्स में यह चलता है।

"Whoever without reasonable cause or in contravention of any of these rules fails to maintain any accounts and submit shall... ."

तो ५८ के अन्दर इस रूल के अन्तर्गत मजिस्ट्रेट को दिया गया है। मजिस्ट्रेट के सामने नियमों के अन्तर्गत अपराध किये जाने पर उसका चालान पेश किया जाये उसके बाद में ट्रायल है। मैं माननीय सदस्यों का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि उस ५८ में जो परेशानी है कि डीलर को अदालत के सामने जाना पड़े, उसके बाद में उसके बाद ट्रायल होकर न्याय प्राप्त किया जाय। उसके बजाय हमने सेक्शन ५८ को अमेन्ड करके असेसिंग ऑथोरिटी को ही पनिश करने की पॉवर्स दे दी हैं। आप जानते होंगे कि ५८ के अन्तर्गत कितनी परेशानी होती थी और सेक्शन १६ का अमेन्डमेन्ट कितना सरल जाता है। यह प्रश्न तो मैंने, माननीय अध्यक्ष महोदय, इसलिए अर्ज किया "if any body wilfully acts in contravention..." दूसरा प्रश्न पैदा होता है कि जब सेक्शन १६ के अन्दर असेसिंग ऑथोरिटी का डाइरेक्ट कॉग्नीज़ेन्स लेने का प्रश्न है, मजिस्ट्रेट नहीं ले सकता। मेरा ख्याल है कि आपको इस प्रोवीज़न का स्वागत करना चाहिए बजाय इसके कि इसको अपोज़ किया जाये। इसलिए मैं दोनों अमेन्डमेंट्स के प्रश्न पर यह चाहता रहा कि इस संबंध में कोई ऑपोजीशन किसी की तरफ से नहीं होता, लेकिन एक बात जरूर है माननीय सदस्य जो जयपुर से आये हैं उन्होंने बड़ी भावना से, यद्यपि मैं कहूं कानूनी उसूल न रख कर बल्कि भावात्मक दृष्टि से ज्यादा जोर दिया है और मुझसे भी यह मांग की है कि यह सिलेक्ट कमेटी को दे दिया जाये, ताकि विश्लेषण अधिक से अधिक हो सके। विश्लेषण का प्रश्न नहीं है। क्लॉजेज बहुत स्पष्ट हैं और मेरे उत्तर देने के बाद माननीय सदस्य जो मावली से आये हुए और जयपुर से आये हुए दोनों इस प्रश्न को समझ गये हैं, ऐसा विश्वास है लेकिन उन्होंने अपनी भावना व्यक्त की है

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

और उसका आधार कानून हो या नहीं हो, लेकिन मैं उनकी भावना की कद्र करना जानता हूं. इसलिए मैं सिलेक्ट कमेटी के सुझाव को स्वीकार करता हूं।

श्री भैरोंसिंह : ऐसी भावना यदि सदा ही व्यक्त की जाये तो बहुत अच्छा हो।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है......

श्री मानिकचन्द सुराणा : अध्यक्ष महोदय, यह वाद-विवाद समाप्त होने से पूर्व मैं भी कुछ कहना चाहूंगा......

श्री अध्यक्ष : आपको सिलेक्ट कमेटी में रख लेंगे।

श्री निरंजननाथ आचार्य : Sir, the right does not accrue when the reply from the Government has been given and I have accepted the motion.

श्री अध्यक्ष : सरकार बहुत उदार है।

(विराम)

प्रश्न यह है कि राजस्थान सेल्स टैक्स (एमेंडमेंट) बिल, १९६२ को प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय।

(स्वीकृत)

प्रस्ताव स्वीकार किया गया। मेम्बर्स की लिस्ट अभी सुना दी जायगी। इसकी रिपोर्ट अभी जल्दी चाहेंगे आप, संबंधित मंत्री महोदय।

श्री मथुरादास माथुर : Before the session closes, इसी सेशन में कर लिया जाय। एक-दो क्लाजेज ही हैं।

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक) : यह आवश्यक है क्या कि इसी सेशन में पारित किया जाय।

एक माननीय सदस्य : मैंने अर्ज किया कि सारे सैल्स टैक्स के बारे में राजस्थान गवर्नमेंट ने एक कमेटी बिठाई है और सारे एक्ट पर उस दृष्टि से विचार हो रहा है और सारी क्लॉजेज पर विचार हो रहा है; तो फिर इस एमेंडमेंट की इतनी जल्दी क्यों है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य (उप-मंत्री, शिक्षा) : Ours is a sovereign body. Rajasthan Government is not above it. We have our own dignity.

श्री अध्यक्ष : एक सप्ताह भर में रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। आप पहले भी कर सकते हैं।

विधायी कार्य समाप्त हुआ।

(२. म. प.)

ग्राम बोरावड़ एवं झन्झेऊ में पुलिस द्वारा गोली चलाने विषयक वाद-विवाद

एक अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर विचार करने के लिए एक घंटा निर्धारित किया गया है, लेकिन मैं आशा करता हूं कि माननीय सदस्य जल्दी ही इसको समाप्त कर लेंगे।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने जो अभी नया सेशन प्रारम्भ हुआ उसके बाद में राजस्थान में तीन घटनाएं गोलियों की हुई, और वे गोलियां भी छोटे-छोटे गांवों में चली और कुछ छोटे-छोटे मुद्दों को लेकर गोलियां चलीं.........

श्री मथुरादास माथुर (गृह मंत्री) : आप बड़े शहरों में चाहते हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : ...... और इसमें कई लोग मौत के शिकार भी हुए, ऐसी परिस्थितियों में तथा साथ ही साथ ये गोलियां जिन स्थानों में चली वे किन परिस्थितियों में चलीं और गोलियों को चलाने की कहां तक आवश्यकता थी या बिना गोली चलाये भी काम चल सकता था; इस संबंध में विचार सदन के सामने रखने के लिए यह चर्चा सदन के समक्ष रखने की आज्ञा की प्रार्थना की है।

श्री मथुरादास माथुर : माननीय अध्यक्ष, मैं निवेदन करूं, मुझे माफ करें माननीय सदस्य कि मैं उनको बीच में इन्टरफियर कर रहा हूं कि झंझेऊ गोली काण्ड के संबंध में अभी तक राजस्थान सरकार इस निर्णय पर नहीं आई कि जो कुछ भी घटना हुई है और जितनी भी रिपोर्ट हमारे पास पहुंची है उस रिपोर्ट के पढ़ने के बाद राजस्थान सरकार अभी फैसला नहीं कर पाई है, इसलिए झंझेऊ के बारे में खास तौर से मैं कहना चाहता हूं माननीय सदस्य को। यह प्रश्न भी पूछा था जिसका मैं उत्तर दे चुका हूं। अभी तक निर्णय नहीं कर पाई आज इस वक्त तक। उसके बारे में मैं सूचना कर दूं ताकि वे किसी तरह की बात करें तो इसका विचार रखें।

श्री अध्यक्ष : संभवतः जो माननीय सदस्य चाहते हैं कि जिन मामलों में गोलियां चले उन मामलों में सरकार की नीति क्या है? संभवतः उस पर ज्यादा विचार करने की उनकी इच्छा है।

श्री मुरलीधर व्यास : तो जहां तक गोली चलाने का सवाल है ऐसे मामलों में सारे हिन्दुस्तान में जब कभी किसी भी प्रान्त में गोली चली तो केन्द्रीय सरकार ने भी ध्यान आकर्षित किया और यह कोशिश की कि उसकी जांच की जाय कि गोलियां किन परिस्थितियों में चलीं, चाहे वह पटना में हो, चाहे केरल में, या और कहीं हो; परन्तु हमारे मुल्क की हर स्टेट ने इस बात को वास्तव में ध्यान में रखा है। मैं समझता हूं कि हमारे यहां राजस्थान में जो घटनाए घटी हैं उन पर गम्भीरता के साथ विचार होना चाहिए ताकि भविष्य में कम से कम ऐसी परिस्थितियों के बारे में सरकार बड़ी गम्भीरता से विचार कर सके।

बोरावड़ में गोली चली, उस समय सदन प्रारम्भ हुआ था तो स्थगन-प्रस्ताव रखा गया था। उसका जवाब भी मिला था। वहां पर गोली किन परिस्थितियों में चली, क्या घटना हुई, क्या हुआ उस पर, मैं इतना जरूर इस संबंध में कहना चाहता हूं कि एक छोटे से गांव में यह गोली चली वह किसी शहर की बात को लेकर चली, और इसमें गोली चलाना कहां तक आवश्यक था, इसकी जानकारी सरकार को अवश्य करना चाहिए।

(श्री मुरलीधर व्यास)

इसी प्रकार रतनगढ़ के अन्दर जो गोली चली वह एक मामूली से छोटे से प्रश्न को लेकर कि वे अनाज की चोरी करके जा रहे हैं और जा रहे हैं, इसलिए गोली चला दी और वे गोली के शिकार हुए। हो सकता है कि इसमें और भी प्रश्न हों। गृह मंत्रीजी इसके संबंध में कुछ कहेंगे तो मालूम होगा। मैं समझता हूं कि यह इतना बड़ा अहम सवाल नहीं है कि गोली चलाने की परिस्थिति पैदा हुई हो।

झंझेऊ में उसके बाद गोली चली। वह एक बड़ा छोटा सा कस्बा है जिसमें करीब १०० घरों की बस्ती है। उस १०० घरों की बस्ती में इस बात को लेकर, मैं कहूंगा कि वह गोली छूआछूत के प्रश्न को लेकर, कुएं पर से पानी भरने के प्रश्न को लेकर चली। मैं इसके संबंध में इतना ही कहना चाहता हूं कि मैं ऐसा मानता हूं कि उस गांव में जिस समय गोली चलाई गई उस समय ऐसी परिस्थिति आ जाय कि बाध्य होकर गोली चलानी पड़े। वह काम किये बिना, गोली चलाये बिना भी दूसरे तरीकों से उस समस्या को हल किया जाता। झंझेऊ में १०७ घर हैं, उनमें करीब ९५ घर जो हैं वे सवर्णों के हैं, और दूसरे जो घर हैं वे असवर्णों के। तो वहां पर एक विवाद बहुत छोटा सा खड़ा हुआ। तारीख ४-७-६२ को गोली चली और २ तारीख को जैसी कि सरकार के पास खुद के पास में रिपोर्ट हैं नापासर थाने में कुछ ४–५ हरिज़न कुएं पर पानी के लिए गये और वहां पर कुछ लोगों ने उनको पानी भरने से रोका और यह कहा कि तुम जाति के हरिजन हो इसलिए तुमको यहां से पानी नहीं भरने दिया जाता। यह बात हो गई। उसके बाद में वहां जाकर यह रिपोर्ट नापासर थाने में दर्ज करा दी। यह रिपोर्ट ३ तारीख को दर्ज कराई कि वहां के दूसरे लोग यह जवाब देते हैं कि क्योंकि तुम जाति के मेघवाल हो इसलिए पानी नहीं भर सकते, इसलिए पानी नहीं भरने दिया जायगा; यह रिपोर्ट दर्ज की गई, इनके खिलाफ़ इसका मामला चलाया जाय। यह ठीक बात हैं। जहां तक उनके जाने का सवाल है, रिपोर्ट दर्ज कराने का सवाल है, तो २ तारीख को यह घटना होती है और तीन तारीख की रिपोर्ट दर्ज होती है, और चार तारीख को क्या होता है कि उसके बाद में गोली चल जाती है। मेरी समझ में नहीं आता कि एक दिन पूर्व रिपोर्ट दर्ज होती है और जब उन्होंने कहा कि पानी नहीं भरने दिया जाता तो पुलिस का काम था कि जो लोग इस काम में रुकावट डाल रहे थे तो उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही करती, परन्तु वह न होकर ४ तारीख को जैसी कि पुलिस की रिपोर्ट है और जैसी अन्य रिपोर्टें हैं और जैसा कि मैंने और मानिकचन्दजी सुराणा और दूसरे पत्रकारों ने और वहां के लोगों ने जांच की तो इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि वहां पर ऐसी व्यवस्था थी कि कलेक्टर, तहसीलदार और गांव के दोनों पक्षों के लोगों ने मिलकर एक एग्रीमेंट किया था कि पानी इस प्रकार से कुएं में से निकालकर कुन्डी में जायगा और यहां से वे भरेंगे और वहां से ये भरेंगे। इस प्रकार की लिखित व्यवस्था थी और वह व्यवस्था होते हुए भी ४ तारीख को वहां पर कुछ, जैसा कि पुलिस का वर्णन है, उनकी रिपोर्ट है, लेकिन मेरे पास रिपोर्ट साफ है कि ४ तारीख को कोई

(श्री मुरलीधर व्यास)

वहां पर पुलिस गई। कुएं पर जिसकी बारी थी वे वहां पर पानी भर रहे थे महिलाएं और पुरुष। लेकिन शायद इस बात की चर्चा हुई थी इसलिए वहां ज्यादा लोग जमा हो गये। उसके बाद पुलिस ने उनको कहा होता कि तुमको पानी नहीं भरने देंगे, उन्होंने कहा कि लिखित फैसला है हमारे पास इसलिये पानी भर कर हटेंगे। इस पर पुलिस ने कोई ख्याल नहीं किया। यह बात हुई और उसके बाद वहां पर गोली चला दी। जिसके फलस्वरूप २० आदमियों के गोली लगी, एक आदमी मर गया और कुछ औरतें, महिलाएं और पुरुष सब गोली के शिकार हुए। जैसी परिस्थिति मैं कहता हूं, मैंने जैसा वर्णन दर्याफ्त किया उसमें थोड़ा सा फर्क है, जैसा कि पुलिस का वर्णन है। जो घटना हुई है उसकी उन्होंने अपने तरीके से रिपोर्ट दी है। जैसी पुलिस की रिपोर्ट है उसको पढ़ने से सदन को मालूम हो जायगा कि कितना फर्क है:-

एफ. आई. आर.

थाना पुलिस नापासर, जिला बीकानेर

जुर्म (सुर्खी में) नं० १८ ता० और वक्त वकूआ ४-७-६२ वक्त ११। बजे दिन

तारीख व वक्त जब इत्तला हुई	जाय व कुआँ और फासला थाने से मय नाम हल्का	तारीख रवानगी यहां से
तारीख ४-७-६२ वक्त ६ बजे शाम रपट रो० नं० ७५	कुआँ मौजा झंझेऊ से १८ मील बजानिब उत्तर त० श्री डूंगरगढ़	तारीख ५-७-६२

नाम व सकूनत इत्तला कुनिन्दा	नाम और सकूनत मुलजिमान	कारवाई तफतीश
जयूम तहरीर सी० आई० बलवंतसिंह सी० आई० लूणकरणसर कैंप झंझेऊ	१. मोतीनाथ पुत्र आवंदनाथ सिद्ध २. अमरसिंह पुत्र विशालसिंह राजपूत ३. तोलाराम सुथार ४. सांवलसिंह ५. सुखाराम ६. रूपसिंह ७. मालुराम ८. मु० केसर	इत्तला गुजरने पर बाद कामं भी एफ० आई० आर० नंबर एफ० आई० की इत्तला दी गई।

(श्री मुरलीधर व्यास)

रिपोर्ट

इस वक्त एक किता सी० आई० लूनकरणसर बखत हिन्दी मारफत ड्राइवर जगमालसिंह इस असद की कि सी० आई० लूनकरणसर बनाम एस० एच० ओ० नापासर में सी० आई० मौजा झंझेऊ में मु० नं० १४ ता० २९-६-६२ जुर्म ३९५ आई० पी० सी०, पी० एस० नापासर की तफतीश के सिलसिले में तारीख १-७-६२ से आया हुआ था। तारीख २-७-६२ को मूलाराम पुत्र मघाराम हरिजन ने इत्तला दी कि उसको जससिंह, नथूसिंह, गुमानसिंह, जेठमालसिंह, गुलाबसिंह, धनसिंह, मूलसिंह राजपूतान व गोकलराम ब्राह्मण व गोविन्दीया नाथ, सा० झंझेऊ कुएँ से पानी भरने से मना करते हैं । इस पर मूलाराम का बयान लेकर थाना नापासर भेजा गया जिस पर मु० नं० १५, तारीख ३-५-६२ जुर्म दफा ३ छूआछूत एक्ट कायम हुआ और गांव के सवर्ण व असवर्ण के दरमियान हालात खराब होती देख कर मैंने एस० पी० साहब बीकानेर को इत्तला दी; जिस पर ता० ३-७-६२ को एस० पी० साहब बीकानेर, सी० आई० श्री दानारामजी व जी० ओ० श्री हेतरामजी मय फोर्स तशरीफ ले आये और शाम के वक्त मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास चूरू भी तशरीफ ले आये । उनके आने के बाद गांव झंझेऊ में चन्द सवर्ण मरदमान को बुलाकर समझाया, मगर कोई नतीजा नहीं निकला। आज तारीख ४-७-६२ को करीब ११। बजे दिन मूलाराम, ऊनाराम, भैरोंराम, दूलाराम, वगैरह हरिजनान कुएँ पर पानी भरने गये तो कुएं पर करीब ५००, ६०० मरद औरत इकट्ठे हो गए और उनको भगा देने के लिए पत्थर फेंकने शुरू कर दिये..........."

(२. १० म० प०)

(राव श्री नारायणसिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

"तब मैं, सी० आई० साहब, एस० पी० साहब मय पुलिस पार्टी व मजिस्ट्रेट सा० उनकी इमदाद के लिए कुएँ की तरफ बढ़े तो इकट्ठी भीड़ ने "मारो", "मारो" कहते हुए हमारे पर पत्थर फेंकने शुरू कर दिये ......"

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : Neither the Home Minister nor the Deputy Minister is present.

श्री परसराम मदेरणा (उप मन्त्री, विद्युत्): I represent the Home Minister.

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : पहले आप आपस में तय तो करलें कि who represents the Home Minister.

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर): The Home Minister is having a duplicate representation.

श्री उपाध्यक्ष : It is a joint responsibility. If there is a Minister or Deputy Minister.

श्री मुरलीधर व्यास : "मजिस्ट्रेट साहब ने भीड़ को नियोजित होने के लिए कहा मगर वो नहीं माने । इस पर मजिस्ट्रेट साहब ने मारफत हरीसिंह एस० आई० ए० पी० को मजमा खिलाफ कानून घोषित करवाया और तितर-बितर के लिए समय दिया। फिर भी भीड़ तितर-बितर नहीं हुई और 'मारो' 'मारो', के नारे लगाती हुई

(श्री मुरलीधर व्यास)

पुलिस पार्टी पर पत्थर फेंकने शुरू रखे। इसके बाद मजिस्ट्रेट साहब ने अश्रुगैस (स्मोक गैस) इस्तेमाल करने का हुक्म दिया, जिस पर अश्रुगैस का इस्तेमाल किया गया, मगर हवा का रुख उल्टा होने व वर्षा आ जाने से अश्रुगैस का असर मजमा पर नहीं हुआ और भीड़ पत्थर फेंकती हुई आगे बढ़ती रही; तो मजिस्ट्रेट साहब ने हल्की लाठी चार्ज करने की आज्ञा दी, पत्थरों की लगातार बौछार के कारण लाठी चार्ज का ज्यादा असर नहीं हुआ.........'

श्री मथुरादास माथुर : माननीय सदस्य क्या कहना चाहते हैं ? एफ. आई. आर. में यह सब है। पुलिस की जांच हो गई, रिपोर्ट भी आ गई है, पुलिस खुद भी यही कहती है।......

श्री भैरोंसिंह : बात बिल्कुल सही है, लेकिन इन्क्वारी की रिपोर्ट आपने दी नहीं है ?

श्री मथुरादास माथुर : मैंने यह निवेदन किया कि रिपोर्ट गवर्नमेंट के विचाराधीन है, मैंने निर्णय को एक्ज़ामिन कर लिया है।

श्री भैरोंसिंह : निर्णय दो प्रकार का है, एक तो यह कि इन्क्वायरी हुई, है रिपोर्ट आई है, उनका क्या कहना है, यह निर्णय नहीं दिया है। दूसरे यह कि रिपोर्ट आती है उसको टेबल ऑफ दी हाउस पर रखा जाय या नहीं !

श्री मथुरादास माथुर : उस वक्त कहा था कि रिपोर्ट सदन की मेज पर रखी जाय या नहीं, मैं इसको एग्जामिन कर रहा हूं। आज ही जवाब दिया कि यदि रिपोर्ट को टेबल ऑफ दी हाउस पर रखा जा सके; इसलिये आयन्दा जितने फायरिंग होंगे मैं ऑटोमेटिकली भेज दूंगा।

श्री मुरलीधर व्यास : मैं यह सब इसलिये बता रहा हूं कि सदन को यह मालूम पड़ सके कि वहां पुलिस ने क्या दर्ज किया है और दूसरा हमने जो एग्ज़ामिन किया उसमें फर्क क्या है। मैं यह कहना चाहता हूं कि जबकि ४ तारीख को यह वकुआ हुआ और पुलिस जब वहां पर २ और ३ तारीख को पहुंच चुकी थी और उन्होंने जैसा कि कहा उन पर जुर्म बन चुका था, दूसरे हरिजनों को पानी भरने से रोका और जुर्म कायम हो गया था तो उसके बाद फौरन सी. आई. वगैरह आये तो उनको गिरफ्तार करते और उनके खिलाफ कार्यवाही करते; लेकिन कार्यवाही आज तक नहीं की और उसके बाद ४ तारीख को सवेरे जब एस० पी० मौजूद हैं, दूसरे लोग मौजूद हैं, उन्होंने गांव के उप-सरपंच को बुलाया, दूसरे लोगों को बुलाया और १ बजे आदमी भेजा कि इन इनको बुलाकर लाओ, वे आ गये। तारीफ यह कि उप-सरपंच को बुलाया जाता है और कहा जाता है कि इस सिलसिले में आओ विचार करना है। खेद इस बात का है कि जो एस० पी० उप-सरपंच को बुलाते हैं, वे और लोगों को बुलाते हैं और बुलाकर ६ बजे ही उन ७ आदमियों को गिरफ्तार कर लेते हैं और उनको कहते हैं कि तुम बैठ जाओ और उसके बाद वे वहां से नहीं जा सकते। उन्होंने थाना कुएं के आगे स्कूल में लगाया था। उनको कहा कि यहां बैठ जाओ और वहां

(श्री मुरलीधर व्यास)

रोक लिया जाता है। फिर ११॥ बजे ये लोग वहां कूएं पर गये, कुल ५०० आदमी गये और उन्होंने 'मारो', 'मारो' कह कर पत्थर फेंकने शुरू किये। जैसा कि सरकारी रिपोर्ट में है। ठीक बात है, पानी भरने गये और भीड़ ने पत्थर मारे। ३ तारीख को नापासर में रिपोर्ट दर्ज करते हैं, उसमें यह दर्ज हुआ कि हम पानी भरने गये, तब लोगों ने यह कहा कि जाओ तुम मेघवाल हो तुमको हम पानी नहीं भरने देंगे। यह २ तारीख की बात है। उस समय तो लोगों ने उनको पत्थर नहीं मारे जब कि वहां पर पुलिस भी नहीं थी। ४ तारीख को यह जो कुआँ है, मान लीजिये कुआँ इस स्थान पर है और जिस दरवाजे से हम इस सदन में प्रवेश करते हैं यहां से इतने फासले पर थाना था, वहां ५ आदमी जाते हैं और पुलिस मारना शुरू कर देती है जैसा कि पुलिस की रिपोर्ट में है। तो अन्दाजा लगा सकते हैं कि पहले दिन तो किसी को मारा नहीं जबकि वहां पर पुलिस नहीं थी और दूसरे दिन ५ आदमी गये और पत्थर मारने शुरू कर दिये, जैसी कि पुलिस की रिपोर्ट है। पुलिस इस रिपोर्ट में कहती है कि उन्होंने पत्थर मारना शुरू कर दिया, इसलिए उसको बचाने के लिए गये। उनको बचाने के लिए गये तो हम पर भी पत्थर मारना शुरू कर दिया। वह इस प्रकार किया कि कॉन्स्टेबल को चोट लग गई; नाक पर चोट लग गई बहुत बुरी तरह। और 'मारो', 'मारो' कहते हुए एक आदमी की ओर झपटे और एक पुलिस के कॉन्स्टेबल को नीचे गिराया और उसको मारने लगे। अब आत्म रक्षा के लिए, जैसा कि रिपोर्ट में है, पुलिस को गोली चलानी पड़ी। यह गोली चलाने का रीज़न सरकार ने दिया है। ये लफ्ज़ गलत हों, तो मैं इस रिपोर्ट में जैसा अंकित है, वह पढ़ कर सुना देता हूं—"आज तारीख ४-७-६२ को करीब ११॥ बजे दिन मूलाराम, ऊनाराम, भैरोंराम, दूलाराम, वगैरह हरीजनान कुआं पर पानी भरने गये तो कुएं पर करीब ५००–६०० मर्द औरत इकट्ठे हो गये और उनको भगा देने के लिए पत्थर फेंकने शुरू कर दिये। तब मैं सी. आई. हयुर काब एस. पी. साहब मय पुलिस पार्टी व मजिस्ट्रेट साहब उनकी इमदाद के लिए कुएं की तरफ बढ़े तो इकट्ठी भीड़ ने 'मारो', 'मारो' कहते हुए हमारे पर पत्थर फेंकने शुरू कर दिये। उसके बाद मजिस्ट्रेट ने हुक्म दिया।" इसके पीछे लिखते हैं, "कि इसे मार डालो" और यह कहते हुए उसे जमीन पर गिरा लिया और पत्थरों से बुरी तरह मारने लगे, जिससे उसके सिर और नाक में संगीन चोट आई। बुरी तरह खून बहने लगा। स्थिति को बेकाबू देख कर मजिस्ट्रेट साहब ने आत्मरक्षा के लिए फाइरिंग की आज्ञा फरमाई। ४१० बोर के १२ फायर किये गये। सब भीड़ भाग खड़ी हुई और अमरसिंह वल्द विशालसिंह राजपूत व मोतीनाथ वल्द अन्दनाथ सिंह सा० झंझेऊ के गोली लगने से मौका पर ही गिर गये व तोलाराम सुथार, सांवतसिंह, सुखाराम, रूपसिंह मालूराम मुलजिमान को मौके पर गिरफ्तार कर लिया और उसके नीचे क्या कहा जाता है,— "मुलजिमान हमलावरों के पास लाठी, जेई, गंडासी वगैरह हथियार थे"। नीचे तो कहते हैं कि उनके पास हथियार थे और ऊपर पुलिस कहती है,–"कि नीचे गिराया और पत्थरों से बुरी तरह से मारने

(श्री मुरलीधर व्यास)

लगे।" अगर मुलजिमान लोगों के पास हथियार होते, गंडासी होती और लाठी होती तो उसको नीचे गिरा कर लाठी से और गंडासी से मारते, उसे पत्थरों से क्यों मारते ? परन्तु इस प्रकार की रिपोर्ट है कि पत्थरों से मारने लगे और नीचे कहा है कि उनके पास लाठी, जेई, गंडासी वगैरह हथियार थे। तो यह कितनी परस्पर विरोधी बात है। और यह कहा है कि गवर्नमेंट को आत्म–रक्षा के लिए गोली चलानी पड़ी। समझ जाइये, पुलिस कॉन्स्टेबल को गिरा दिया और पत्थरों से मारने लग गये, तो जो एक मारने वाला था उसको गोली से मार देते, परन्तु ४१० बोर के १२ फायर किये और २४ आदमी गोली के शिकार हुए हैं।

अगर मेरी बात में बूंद मात्र भी गलती है तो मैं नक्शे के रूप में कुएँ का फोटो साथ में लाया हूं जिससे मालूम होता है कि कुएँ की किस प्रकार की स्थिति है और क्या नहीं है। इस प्रकार की स्थिति है कि कुआँ जहां है उसके पीछे मकान और झोंपड़ी हैं। मान लीजिये कि यहां कुआँ है तो कुएँ के सामने, जहां से हम विधान सभा में प्रवेश करते हैं उतनी दूर पर पुलिस का थाना है। वहां से पुलिस निकली और निकल कर, जैसा कि कहते हैं, पुलिस कॉन्स्टेबल को पत्थरों से बचाने के लिए गये और जब कॉन्स्टेबल के सर और नाक में चोटें लगीं तो आत्म-रक्षा के लिए गोली चलाई। अब इसके साथ ही यह सौ घर की बस्ती है, जैसा कि आपने कहा है, सौ-डेढ़ सौ आदमी हैं ज्यादा से ज्यादा, जब कि सौ सिपाही आपके साथ थे, बन्दूकधारी और टोपी लगा कर, उनके पास अश्रुगैस के गोले भी थे। और वे सब नौजवान थे। इतना होते हुए भी सौ घर की बस्ती में इतनी बात हो जाय कि गोली चल जाय और जैसा कि मैंने कहा कि वह किसी आदमी को लगती है। लेकिन उस कुएं के पास एक मकान है, वह आदमी उस मकान पर खड़ा था। वह गोली का शिकार हुआ। एक बारह साल का बच्चा शिकार हुआ, जो उसका ही बच्चा था। उस बच्चे का यह फोटो (फोटो दिखा कर) हिन्दुस्तान में छपा है। आप शायद कह दें कि वह बारह साल का बच्चा है, यह आप गलत कहते हैं। तो यह बच्चा है, जिसको गोली लगी है। इसे कोई भी देख ले, इसके कान के बीच में यह गोली लगी है, जिससे इसका जबड़ा फट गया, दांत टूट गये और वह जबान से बोल नहीं सकता है। इस प्रकार की हालत में वह बच्चा है। और उस बारह वर्ष के बच्चे पर हत्या का अभियोग है। इसके साथ ही एक ग्यारह वर्षीय बालिका और इस बारह वर्ष के लड़के, इन दोनों को गिरफ्तार किया है, ३०७ के अन्तर्गत और इन पर हत्या का अभियोग पुलिस ने लगाया है। इसके साथ ही जो सिद्ध मारा गया। हम लोग दूसरे दिन गये मैं, मानिकचन्दजी और बीकानेर के कुछ पत्रकार लोग। हमने देखा कि उस मकान की छत, जो मकान बिल्कुल अलग है, खून से लथपथ थी और उसकी कमीज थी, जिसको उसके मरने के बाद पत्नि ने निकाल दिया था। वहां पर चूड़ी के टुकड़े पड़े थे, जो उसकी स्त्री ने चूड़ियां तोड़दी थीं, उनके टुकड़े भी मौजूद थे। उस जगह का फोटो, उस खून, कमीज और चूड़ियों के टुकड़ों का

(श्री मुरलीधर व्यास)

वैसा का वैसा फोटो दूसरे दिन लिया गया है, वह मौजूद है, उसका कोई भी मुग्रायना कर सकते हैं। हो सकता है कि मैं झूठ बोल रहा हूं, लेकिन मेरे साथ मानिकचन्दजी ग्रौर कुछ पत्रकार लोग भी थे। हम सब उस स्थान पर पहुंचे, जहां उस ग्रादमी को गोली लगी। वह घर में बैठा हुग्रा था, वहां उसको गोली लगी। उसका नाम मोतीनाथ सिद्ध था। वह गोली का शिकार हुग्रा। तारीफ यह है कि उसको गोली लगी, गोली लगने पर वह गिर गया तो उसको उसकी पत्नी ने उठाया ग्रौर उसको ग्रन्दर ले गई। उसकी सांस बन्द हो गई तो वह रोने लग गई। जब गोली का फायरिंग समाप्त हो गया तो पुलिस वहां पहुंचती है ग्रौर पुलिस ने बाद में पहुंच कर उस मरी हुई लाश को स्त्री से जबरदस्ती बन्दूक की नोक मार कर खींच लिया। वह नहीं छोड़ती है, तो पत्नी से उस लाश को खोस लिया। उस स्त्री का जी फट रहा था, तो पुलिस ने जूते की नोंक ग्रौर बन्दूक की टक्कर मार कर लाश को खींच लिया ग्रौर उसको खींच कर वहां ले कर गये जहां लॉरी खड़ी थी, ग्रौर उसको लॉरी में रखा। उसके बाद दूसरे लोगों को लाया गया। जिस समय उस सिद्ध को गोली लगी, तो उसके पास उसका बेटा था, जो बारह साल का बच्चा था, उसको भी गोली लगी ग्रौर वह गोली कान से होकर निकल गई। वह गिर गया ग्रौर वह वहीं पड़ा रहा। उसके बाद उसको उठा कर, उसकी मां ग्रौर दूसरे लोग ले गये ग्रौर लाश को लॉरी के पास ले गये। उसके बाद ग्रौर कई लोगों को भी गोली लगी थी। ग्रापकी पुलिस की रिपोर्ट के ग्रनुसार हो सकता है जैसा कि कल कहा गया था कि सारे राजस्थान में पांच गोलियों में चौदह ग्रादमियों को गोलियां लगी। मैं ग्रदब के साथ माननीय मंत्री महोदय को कहना चाहूंगा कि ग्रकेले झुंझुनू के ग्रन्दर सोलह ग्रादमियों को गोली लगी है। मेरी बात झूठ हो तो गोली कोई ऐसी चीज नहीं है जो कहीं छुप जाय। ग्राज दस-ग्यारह ग्रादमी ऐसे हैं जिनके शरीर के ग्रन्दर गोली पड़ी हैं। ग्राप कहें ग्रौर ग्राप चैलेंज करते हैं तो मैं चैलेंज करता हूं कि ग्राप किसी भी डाक्टर के पास उनको ले जाकर, जिनके गोली लगी है. ग्रॉपरेशन करवा कर गोली निकलवा सकते हैं। सारे शरीर के ऊपर गोली मारी गई है, केवल यहां (टखने) के नीचे नहीं, ऊपर गोली मारी गई हैं। यही नहीं कि नीचे लगी हो, किसी के कान में लगी है, किसी के हाथ में लगी है, व किसी के बगल में लगी है।

एक लड़की है, उसके पेट के नीचे गोली लगी है, बारह साल की बच्ची है। यह गोली लगी है, यह बयान में है, इसलिये यह नहीं कह सकते कि वह बात गलत हो। उसका एक महीने तक पेट बंधा रहा। ग्राज भी उसमें गोली है। यह एक स्त्री है, जिसके स्तन पर गोली लगी है (फोटो दिखाया)। यह स्त्री है जिसके स्तन पर गोली लगी है। यह स्पष्ट है, ग्रौर इसको देखा जा सकता है। तारीफ यह है कि पन्द्रह सोलह ग्रादमियों को गोली लगी ग्रौर गोली लगने के बाद में जब थोड़ी शांति हुई तो पुलिस घरों में गई। कुएं के पीछे जो सुथार का मकान था, उसमें गई ग्रौर दूसरे घरों में गई ग्रौर उन मकानों

(श्री मुरलीधर व्यास)

में से लोगों को निकाल कर उन पर लाठी चार्ज किया। लाठी चार्ज इसलिए किया कि यह बतला सकें कि पहले लाठी चार्ज कर दिया गया था। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, गृह मंत्रीजी भी अपने विश्वस्त आदमियों को ले जाकर पता लगा सकते हैं, उनको जांच करने पर मालूम पड़ेगा कि लाठी चार्ज पहले नहीं किया गया और बाद में लाठी मारी गई।

एक घर से निकल कर एक बूढ़ा आदमी आया। उसने निकलते ही हाथ जोड़कर पूछा। वह हाथ जोड़ कर खड़ा हो गया तो उसके हाथ में लाठी मारी—कि हाथ क्यों जोड़ता है। उसकी अंगुलियां में फ्रेक्चर हो गया है। वह आप देख सकते हैं, वह साठ, बासठ वर्ष का बूढ़ा आदमी है। इसी तरह दूसरे आदमियों पर भी लाठी चार्ज किया गया। यह सारी बात समाप्त हुई, उसके बाद में पुलिस का फर्ज था कि वह घायलों को अस्पताल ले जाती लेकिन वह तीन-चार आदमियों को, दो-तीन औरतों और मरी हुई लाश, इन सबको लॉरी में ले गई और वहां से डूंगरगढ़ ले गई। दूसरे जो पन्द्रह-सौलह आदमी थे, जो घायल थे, तो सामान्यतया पुलिस का नैतिक कर्त्तव्य था कि जिन लोगों को चोट लगी है, उनको बीकानेर जो वहां से अस्सी मील है, वहां ले जाती क्योंकि रतनगढ़ में इलाज की व्यवस्था नहीं है। वहां चार-चार गाड़ी पड़ी थीं, बड़ी गाड़ियां थी, उनमें उन सबको, जिनके गोलियां लगी थीं, बैठा कर अस्पताल पहुंचाया जा सकता था। एक मानवीय तरीके से पुलिस यह काम कर सकती थी। परन्तु सिर्फ उन्हीं लाशों को और ३–४ आदमियों को डूंगरगढ़ ले गये दूसरे गांव के आदमी खुद रात को गाड़िये लेकर उनको लाये। पी. टी. आई. के रिप्रेज़न्टेटिव ने देख लिया। उसने कहा गाड़ी में क्यों जाते हो? उसने फोन किया। उसके फोन करने के बाद गाड़ी आई और ८ आदमियों को जिनके बदन से खून बह रहा था उन लोगों को गाड़ी में भर कर बीकानेर के होस्पिटल में भरती कराया।

उसके बाद भी पुलिस का जुल्म खत्म नहीं हुआ। वहां पर होस्पिटल में १२ साल के बच्चों के हाथ में पुलिस वालों ने हथकड़ी डाली जब कि वह वहां उठ नहीं सकता था, न फिर सकता था, मौत की शैया पर सो रहा था। उसके माता-पिता चिल्लाते हैं कि मेरे लड़के को गोली लगी है मगर पुलिस आती है, मुकद्दमा दर्ज करती है। वह मृत्यु शैया पर होते हुए भी पुलिस उसके दूसरे हाथ में हथकड़ी लगाती है। अगर आप यह पुलिस की गलती नहीं मानते तो आप इसको देख सकते हैं कि जो लोग शैया पर पड़े हुए हैं उनके सभी के हाथों में हथकड़ी पड़ी हुई है। मेरी समझ में नहीं आता, वे लोग आपकी गोली के शिकार हुए। मनुष्यता के नाते आपका फर्ज हो जाता था कि ये लोग ऐसे हैं जिनको दूसरे आदमी शैया पर उठा कर डालते हैं, होस्पिटल में भरती हैं, कहां जा सकते हैं। परन्तु फिर भी पुलिस ने सारे आदमियों के हाथों में हथकड़ी डाल दी। यह इसलिये डाली कि वे लोग भयभीत हो जावें। दूसरे रोज गांव के दूसरे लोग थे, ५५ आदमियों पर मुकद्दमा चलाया जहां गांव में १०० घरों की बस्ती हो और ५५ आदमियों पर आप मुकद्दमा लगावें तो उसका नतीजा क्या होगा? आपने उन पर जुर्म भी क्या

(श्री मुरलीधर व्यास)

लगाया ? आपने उन पर हत्या का जुर्म लगाया। नतीजा यह हुआ कि वहां के लोग अपने अपने घर छोड़कर भाग कर चले गये। उस समय खेती का समय था, इसलिए वे लोग खेती का काम न कर सके और हल नहीं जोत सके।

५५ आदमियों पर केस चलाया, यह तो वे खुद कहते हैं। एक बच्चे पर ३०७ का और एक लड़की पर भी; सारे लोगों पर मुकद्दमा किया। मैंने इस संबन्ध में उस समय भी होम मिनिस्टर से निवेदन किया कि जुल्म हो रहा है और गांव के लोगों को हैरान करने के लिये यह मुकद्दमा चलाया जा रहा है। आप इसकी जुडिशियल इन्क्वायरी करावें। उन्होंने कहा कि करावेंगे। उन्होंने पहले तो एस. डी. एम. को इसके लिये नियुक्त किया। हमारी मांग थी। पहले ही जुडिशियल इन्क्वायरी की, मगर ऐसा नहीं किया गया क्योंकि जिस एस. पी. ने अपने हुक्म से गोली चलवाई और उनके खिलाफ है और ग्राम गांव के लोगों को हैरान करना चाहते हैं इसलिये मेरी आपसे दरख्वास्त है कि जब तक यह पुलिस मुकद्दमा चला रही है और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इन्क्वायरी न कर लेता है तब तक के लिये मुकद्दमें की कार्यवाही रोक लीजिये, ताकि परेशान नहीं हों। इस पर कोई ध्यान नहीं दिया और कहा कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट के बाद में सोचेंगे। गांव के लोगो ने यह रिपोर्ट दी, एक फैसला है, जिसके अनुसार हम गांव में पानी भरते हैं। इसलिये जैसी व्यवस्था है वह जारी रखी जावे। इसके बाद यह हुआ कि गोली के बाद ५ आदमियों को पानी नहीं भरने देते हैं।

श्री मथुरादास माथुर (गृह मंत्री) : क्या आपकी यह मन्शा है कि गांव में पानी भरना दूसरों के लिये बन्द कर दें ? क्या हरिजनों को पानी नहीं भरने दें ?

श्री मुरलीधर व्यास : मेरी यह मंशा नहीं है। जिस समय गोली चली वहां पर सबके लिये पानी भरने की पूरी व्यवस्था थी। इसकी आप जांच करालें कि यह झगड़ा किस कारणवश हुआ। एक व्यवस्था जो एक फैसले के द्वारा जारी है उसको कलेक्टर कार्यान्वित करें।......

श्री अमृतलाल यादव (भोपालसागर): यह व्यवस्था जारी की कि वे लोग पानी नहीं भर सकते। बाकी गांव के आदमियों को पानी भरने के लिये मना किसने किया था ?

श्री मुरलीधर व्यास : पानी भरने के लिये पुलिस ही है जिसने मना किया। या तो आप यह कह दें पुलिस को......

श्री उपाध्यक्ष : Order please ! मैं माननीय सदस्यों को सूचित करूंगा कि इसमें एक घंटे का समय निर्धारित हुआ है।

श्री मथुरादास माथुर : अगर आप गवर्नमेंट को नहीं सुनना चाहते हैं तो ठीक है ; मगर मैं यह कहूंगा कि हमें भी बराबर कहने का मौका मिलना चाहिये।

श्री अमृतलाल यादव : माननीय उपाध्यक्ष, और भी सदस्य बोलना चाहेंगे।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : पानी के मसले का मामला है।

श्री मुरलीधर व्यास : जहां तक छूआ-छूत का प्रश्न है, मैं इसके पक्ष में नहीं हूं। प्रश्न यह है और मैं यह जांच चाहता हूं कि गोली क्यों चलाई गई? मैं उस कुएं पर पहला आदमी हूंगा; मैं जाने को तैयार हूं अगर कोई चले।

श्री मथुरादास माथुर : आपका मोशन है पर्टिक्यूलर फायरिंग के सम्बन्ध में। वह नीति पर होगा। हरिजन कुओं पर पानी भरने के बारे में आप क्या कहें; इसके लिये तो हमारा संविधान उनको अधिकार देता है।

श्री मुरलीधर व्यास : मैं यह कहता हूं कि विधान के अनुसार काम होता तो मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं होती। मगर उन कुओं पर पुलिस जावेगी और कहेगी कि यह इस कुएं पर पानी भरावेंगे तो गोलियें चलावेंगे। अगर पुलिस यह कहती है कि गोलियें चलेंगी; तो राजस्थान के हर गांव में गोलियें चलावेंगी।

श्री मथुरादास माथुर : विधान में जो बातें हैं उनके अनुसार कार्य होता है। अगर राजस्थान में गोली चलाने की जरूरत होती है गांवों में, विधान आप नहीं बना सकते हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : पुलिस का काम है यह कि लॉ एण्ड आॅर्डर मेन्टेन करने के लिये तैयार रहे।

श्री मथुरादास माथुर : अगर कोई आदमी, विधान में हक दिया गया है, उसमें किसी को रोकता है तो पुलिस जरूर इन्टरफियर करती है।

एक माननीय सदस्य : आपका आॅर्डर है कि पुलिस गोली चलाये?

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : It should not be reduced into a question Hour. Either the member should proceed or the Home Minister should proceed or other members should be given a chance.

श्री मुरलीधर व्यास : माननीय उपाध्यक्ष, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि....

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद): उपाध्यक्ष महोदय, अभी अमृतलालजी यादव फ्लोर क्रोस करके आते हैं, दूसरी बात है। बार-बार, बार-बार फ्लोर क्रोस करते हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : मैं गृह मंत्री से यह कहूंगा कि आप जितना चाहेंगे उससे इस मामले में आप से १० गुणा आगे रहूंगा।

श्री अमृतलाल यादव : हरिजनों के बारे में अत्याचार हुआ है।

श्री मुरलीधर व्यास : आप लाख कोशिश करें तो भी मेरे से खिलाफ एक भी हरिजन नहीं हो सकता है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : आप अमृतलालजी के हाथ का पानी पी सकते हैं?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : हम पानी क्या जलेबी खा सकते हैं।

एक माननीय सदस्य : आप तो खा लेगें, मगर आपके घर से नहीं खायेंगे।

(शोरगुल)

श्री उपाध्यक्ष : Order please!

श्री मुरलीधर व्यास : मैं दो मिनट में अपना भाषण समाप्त करता हूं, जो घटना मैंने देखी है। हरिजनों को पानी भरने के लिये रोकना संविधान के खिलाफ है। सदस्यों की जिम्मेदारी इसके बारे में क्या है; जिसको मारपीट किया उसके बारे में प्रकाश डाला कि क्या है।

संविधान के अन्तर्गत गृह मंत्रीजी किसी हरिजन को गांव गांव में कुओं पर चढ़ने के लिये चलेंगे तो मैं अमृतलालजी और गृह मंत्रीजी के साथ गांव-गांव चलने को तैयार हूं और चढ़ने को तैयार हूं।

श्री अमृतलाल यादव : मैं माननीय सदस्य को करीब ४० मिनट से सुन रहा हूं, जिन पर अत्याचार हुए उन हरिजनों के लिए एक शब्द भी नहीं सुना। वहां के हरिजनों के ऊपर अत्याचार हुए, उसके लिये आप क्या कहना चाहते हैं ?

(घंटी)

श्री मुरलीधर व्यास : मैं दो मिनट में अपनी बात रखता हूं। इस मुद्दे पर गृह मंत्रीजी, जो रिपोर्ट आई है उसके बारे में कहेंगे कि जो कुछ किया उन्होंने कानून के अन्तर्गत किया, पर मैं इतना कहना चाहता हूं कि……

श्री अमृतलाल यादव : माननीय सदस्य ने अभी कहा कि पुलिस उन पर केस चला रही है, उसके बारे में हाउस में कहा कि उन पर केस न चलाये जायं; अस्पृश्यता-निवारण कानून के अन्तर्गत उन पर केस न चलायें जायं।

श्री मुरलीधर व्यास : अभी तक आप भ्रम में हैं, किसी पर केस चलाया ही नहीं, केस चलायें तो सही। अभी तक कोई केस चला ही नहीं अस्पृश्यता-निवारण कानून के तहत।

श्री अमृतलाल यादव : अस्पृश्यता-निवारण के लिये कितनी सभाएँ आपने उस जगह की हैं !

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : आप इस रिपोर्ट को पढ़ालें……

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर ! ऑर्डर ! माननीय सदस्य ऑर्डर प्लीज ! ! मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि बैंच के ऊपर आपसी बात-चीत में संलग्न नहीं हो जायं। पॉइन्ट ऑफ आर्डर, पाइन्ट ऑफ इन्फोर्मेशन उठायें, पर इस प्रकार दखल देना सदन की परम्परा के बिल्कुल विरुद्ध है।

श्री मुरलीधर व्यास : मैं इतना ही गृह मंत्रीजी से निवेदन करता हूँ कि ५ कांग्रेस के सदस्य हो जायं, अमृतलालजी को अध्यक्ष बना दिया जाय, स्वतंत्र पार्टी के, जनसंघ के, डेमोक्रेटिक फ्रंट के– सब दलों के सदस्य इसमें हों, इस प्रकार की कमेटी इस मामले की जांच करें कि पुलिस को गोली चलाने की क्या आवश्यकता थी। मैं खुद उनको अध्यक्ष बनाना चाहता हूं और निवेदन करना चाहता हूं कि मौके पर सारी जांच करके सदन के समक्ष रिपोर्ट रखें कि गोली चलाने की आवश्यकता क्या थी।

(२.४२ म० प०)

राजस्थान बिक्री कर (संशोधन)

विधेयक, १९६२

(प्रवर समिति के सदस्यों के नाम)

श्री उपाध्यक्ष : इसके पहले कि अन्य सदस्य इस पर वाद विवाद करें मैं जो प्रवर समिति, राजस्थान बिक्री कर संशोधन विधेयक, १९६२ पर घोषित की जानी वाली थी उसके नाम आपके सामने व्यक्त करता हूं।

१. श्री बी. के. कौल।

२. श्री निरन्जननाथ आचार्य।

३. श्री गिरधारीलाल व्यास।

४. श्री बृजसुन्दर शर्मा।

५. श्री मोहनराज।

६. श्री फूलचन्द जैन।

७. श्री सम्पत्तिलाल बोहरा।

८. श्री मथुरेशबिहारी।

९. श्री दुर्गालाल बाड़दार।

१०. श्री कुमारानन्द।

११. श्री मुरलीधर व्यास।

बोरावड़ व झंझेऊ में पुलिस द्वारा गोली चलाने सम्बन्धी वाद-विवाद

(पूर्व क्रम से)

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत): उपाध्यक्ष महोदय, अभी मेरे से पूर्व वक्ता माननीय सदस्य ने बहुत से तथ्य फायरिंग के बारे में रखे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : चूंकि एक कोटा निर्धारित हुआ है इसलिये मैं वक्ता महोदय से निवेदन करूंगा कि ५ या १० मिनिट में अपना वक्तव्य समाप्त कर सकें तो सरकार द्वारा उत्तर दिया जा सकेगा।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : उपाध्यक्ष महोदय, सदन के सामने अब कोई कार्यवाही नहीं है इसलिये एक घंटा या आधा घंटा इसके लिये और दें तो अच्छा रहेगा।

श्री उपाध्यक्ष : इस विषय में अध्यक्ष महोदय अपनी व्यवस्था दे चुके हैं और उससे मैं बंधा हुआ हूं।

श्री मानिकचन्द सुराणा : झंझेऊ गोली काण्ड में कुछ तथ्य माननीय सदस्य ने दिये। मैं कुछ और तथ्य मन्त्री महोदय की जानकारी के लिये सदन के समक्ष रखना चाहता हूं।

श्री मथुरादास माथुर : I have already told the House that so far as Jhanjeoo case is concerned report of the District Magistrate is under consideration.

श्री मानिकचन्द सुराणा : I will keep it in view.

श्री मथुरादास माथुर : I will, therefore, not be able to say anything on that.

श्री मानिकचन्द सुराणा : I will take into account all the view-points which you have said.

मैं सदन के सामने यह निवेदन करना चाहता हूं कि मुख्य मंत्रीजी ने पिछले सेशन में बड़े गर्व से कहा था कि मेरे शासनकाल में पुलिस की गोली से किसी भी आदमी की मृत्यु नहीं हुई। आज से दो दिन पहले एक प्रश्न के उत्तर में सरकार ने स्वीकार किया है कि पुलिस की गोलियों से ३ आदमियों की मृत्यु हुई है और १४ आदमियों के चोटें लगी हैं। इसको मैं अत्यन्त गम्भीर मानता हूं। पुलिस में एफिशियेन्सी लाने के नाम पर, पुलिस में डिक्टेटरशिप लाई जाय, कानून का इस तरह से इन्टरप्रिटेशन किया जाय कि पुलिस जनता पर इस तरह से जुल्म करे, इसका मैं विरोध करता हूं, कानून का इन्टरप्रिटेशन जनता पर जुल्म करके नहीं, डाकुओं को पकड़ने में, चोरों को पकड़ने में, चोरी का माल बरामद करने में करना चाहिए।

जनता पर जुल्म हुए हैं। यह मैं नहीं कहता कि सरकार के आदेश से हुए हैं, पर आज तक पुलिस में जो ढर्रा रहा है, और सरकार की पोलिसियों को नहीं समझने के कारण जुल्म किये हैं, इसके लिए सरकार जिम्मेदार है।

झंझेऊ, बोरावड़ और रतनगढ़ के गांव के पास में पुलिस ने गोलियां चलाई हैं, इसके लिए आप जिम्मेदार हैं। गोली किस परिस्थिति में चलाई जा सकती है, जिन परिस्थितियों में पुलिस द्वारा गोलियां चलाई गई वे परिस्थितियां गोली चलाने के लायक नहीं थीं। लाठी चार्ज करने से, अश्रुगैस का प्रयोग करने से भीड़ तितर-बितर नहीं हो तो गोली की शरण ली जा सकती है। पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट में क्या है वह तो सदन की मेज पर रखेंगे तो बहस की जा सकेगी, पर कोई घटना ऐसी नहीं है कि जिसमें कोई दस-बीस हजार की भीड़ पर गोली चलाई गई हो। छोटे छोटे गांवों में जहां ५०-६० या १०० आदमी थे उनके ऊपर पुलिस ने गोली चलाई है। यदि सरकार कहे कि लाठियों और अश्रुगैस से १०० आदमियों की भीड़ को तितर-बितर नहीं कर सकती तो मैं कहूंगा कि जो सरकार लाठी और अश्रुगैस से सौ आदमियों की भीड़ को तितर-बितर नहीं कर सकती तो उस सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिये, उस सरकार को रहने का कोई हक नहीं।

झंझेऊ में गोली चलाई तो कितने आदमी भीड़ में थे? ५० या ६० आदमी थे। जिस गांव में ५० घरों की बस्ती है वहां ६० पुलिस के आदमी मौजूद थे। ५० निःशस्त्र व्यक्तियों को ६० पुलिस के आदमी जिनके पास लाठियां, अश्रुगैस, बन्दूकें हैं, वे रोक नहीं सकते; तितर-बितर नहीं कर सकते तो ऐसी स्थिति में आपके द्वारा गोली चलाने का कोई जस्टिफिकेशन नहीं है।

अभी 'हां' पक्ष में बैठने वाले माननीय, श्री अमृतलालजी ने कहा कि अस्पृश्यता के बारे में प्रजा समाजवादियों की क्या धारणा है? इस सम्बन्ध में मेरा राष्ट्रदूत में वक्तव्य छपा है। यदि उसको पढ़ने का

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

कष्ट करते तो उनका भ्रम भी दूर हो जाता। झंझेऊ में जो गोलीकाण्ड हुआ है उसके पीछे कारण क्या था? सरकार को वहां के हरिजन कहते रहे, लगभग चार महीने तक कहते रहे कि कुओं से सवर्ण उनको पानी नहीं पीने देते हैं। सरकार हरिजनोद्धारा की दुहाई देती है। इसके लिए कहते हैं कि सवर्णों की सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया। सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई कदम नहीं उठाया और अस्पृश्यता निवारण के लिए कोई कार्यवाही नहीं की। आज दिन तक झंझेऊ गांव के किसी भी व्यक्ति को इस सम्बन्ध में कुछ भी नहीं कहा। क्या यह शोभनीय है सरकार के लिए कि वह गोलियां तो चलाती रहे और अस्पृश्यता-निवारण कानून के अन्तर्गत एक मुकदमा भी दर्ज न करें? चार महीने तक सरकार सोती रही। पुलिस मजिस्ट्रेट सरकार को लिखते रहे, लेकिन सरकार ने अस्पृश्यता-निवारण कानून के अन्तर्गत कोई कदम उठाने का नहीं सोचा। किसी को भी सरकार गिरफ्तार कर सकती थी, लेकिन सरकार ने किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया और बस गोलियां चलानी शुरू कर दीं वहां कोई बहुत बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे भी नहीं हुए थे। पांच-पचास आदमी थे। उन पचास के लगभग आदमियों को पुलिस चाहती तो उनको पकड़ कर मजिस्ट्रेट तक ला सकती थी और उनको गोलियां चलाने की आवश्यकता नहीं थी, गिरफ्तारी के आदेश जारी कर सकती थी।

पुलिस को कानूनी अधिकार दिया हुआ है लेकिन चार महीने तक सरकार ने इस स्थिति को नहीं सम्भाला। जब स्थिति बिगड़ी तो पुलिस ने गोली चला दी। पुलिस ने लाठी चार्ज तक नहीं किया। यदि पुलिस ने लाठी चार्ज किया तो किन किन को चोटें लगीं? पुलिस ने अश्रुगैस का भी प्रयोग नहीं किया। इस प्रकार की जहां स्थिति हो, तो पहले लाठी चार्ज किया जाता है और अश्रुगैस का प्रयोग किया जाता है, भीड़ को चेतावनी दी जाती है और इसके बावजूद भी यदि भीड़ अधिक वायोलेन्ट हो और बहुत अधिक भीड़ हो तो हवा में फायर किये जाते हैं और फिर कहीं जाकर गोली चलाने की नौबत आती है, लेकिन यहां तो इतनी संख्या भी लोगों की नहीं थी गांव में कि वहां लाठी चार्ज करके भी उनको कन्ट्रोल न किया जा सके। अश्रुगैस चला सकते थे। आप कह सकते हैं कि अश्रुगैस के टोटे छोड़े गये और वर्षा आ गई थी इसलिए सफल नहीं हो सके, इसलिए गोली चलाई। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पुलिस ने कोई लाठी चार्ज नहीं किया कि जिससे भीड़ तितर-बितर नहीं होती। तितर-बितर हो सकती थी, यदि लाठी चार्ज करते। लेकिन पुलिस ने अश्रुगैस की आड़ में गोलियां चलाईं। बोरावड़ और रतनगढ़ के गांवों में जहां आपने गोलियां चलाई है; तीन गांवों में, वहां १०० घरों की बस्ती से अधिक नहीं है और सौ घरों की बस्ती में आपने गोलियां चलाई और सौ आदमियों से कम की भीड़ में आपने गोलियां चलाईं। सबसे पहले इसके लिए आप लाठी चार्ज का सहारा लीजिये अगर अनलॉफुल है तो लाठी चार्ज को भी लाइटली मत लीजिये। जिनको अधिकार दिया है लाठी चार्ज करने का उनको गंभीर परिस्थितियों में दिया है।

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

सरकार निर्मम हृदय से लाठियां और गोलियां चलाती है और कहती है कि हम तो अस्पृश्यता निवारण करना चाहते हैं और मजा यह कि अस्पृश्यता निवारण कानून के अन्तर्गत आज तक कोई एक मुकदमा भी दर्ज नहीं किया गया।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

महत्वपूर्ण तथ्य मैं सदन के सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा और वे यह हैं कि वहां दो कुएँ हैं । जिस कुएं पर हरिजन चढ़ गये। आपकी पुलिस ने वहां से पानी नहीं पिया। दूसरों को क्या नसीहत देते हैं ? सबसे पहले आपकी पुलिस तो कम से कम अन-टचेबिलिटी के कानून को माने, उनके प्रावधानों को माने। पुलिस स्वयं छुआ-छूत करती है। जब हरिजन कहते हैं तो गोलियां चलाती है। इसलिए मैं यहां हुए गोलीकाण्डों की अत्यधिक निन्दा करता हूं और यह भी कहूंगा कि जुडिशियल इन्क्वायरी भी पुलिस स्वीकार नहीं करती है। आप इसकी जुडिशियल इन्क्वायरी कराइये। आपकी ए. आई. सी. सी. ने प्रस्ताव पास कर रखा है, उसके खिलाफ भी मत जाइये। आप उसका तो पालन करिये।

श्री उपाध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों को निवेदन करना चाहता हूं कि नियम १२६ के अंतर्गत जिन माननीय सदस्यों ने पूर्व सूचना आसन को दे दी है वही बोल सकते हैं, वरना किसी को वाद-विवाद में भाग लेने की इजाजत नहीं दी जा सकती और उसके पश्चात् मंत्री ही अपना जवाब देंगे।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह मूव करूंगा कि under Rule 306. Suspension of Rules, any member may, with the consent of the Speaker, move that any Rule may be suspended in its application to a particular motion before the House and if the motion is carried, the rule in question shall be suspended for the time being.

मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस रूल के मातहत आपने जिस प्रकार की व्यवस्था दी है केवल दो घंटे तक बहस की……

श्री उपाध्यक्ष : केवल १ घंटे का समय इसके लिए निर्धारित है।

श्री मथुरादास माथुर : रूल सस्पेन्ड करने से तो फिर यह बहस ही नहीं हो सकती, इसलिए रूल सस्पेन्ड करने की बात नहीं है।

श्री भैरोंसिंह: रिलेक्स करने की बात है।

मैं अर्ज कर रहा था कि ये इस तरह के मसले हैं कि जिन पर बारबार चर्चा नहीं होती है। गृह मंत्रीजी इस बात के इच्छुक हैं कि पर्टीक्यूलरली इस सब्जेक्ट पर बहस की जाय जिससे यह सदन को ज्ञात हो सके कि सरकार की जनता पर गोली चलाने की नीति क्या है और इस महत्वपूर्ण नीति-विषयक चर्चा के लिए यदि रूल्स को रिलेक्स किया जाकर समय बढ़ा दिया जाय तो मैं समझता हूं कि कोई अनुपयुक्त नहीं होगा। पांच बजे तक बिजनेस हाउस का चलता ही है और अन्य बिजनेस भी आज नहीं है। इसलिए यदि इस महत्वपूर्ण विषय पर समय बढ़ा दिया जाए तो उपयुक्त रहेगा।

श्री उपाध्यक्ष : मैं समझता हूं कि जिन्होंने मोशन मूव किया है उन्होंने इस पर काफी प्रकाश डाल दिया है। सारी बातें सामने आ चुकी हैं। अब तो इस पर केवल स्पष्टीकरण की ही आवश्यकता है इसलिए रूल्स को रिलेक्स करने की आवश्यकता नहीं है।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : परसों ही श्री भैरोंसिहजी का प्रश्न था। मंत्री महोदय ने कहा था कि इस सम्बन्ध में बहस रख ही ली गई है इसलिए माननीय सदस्यों को समय मिलेगा बोलने के लिए।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : ऐसे बहुत सारे तथ्य हैं जो कि सदन में प्रस्तुत किये जाने हैं, इसलिए समय तो दिया ही जाना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : जिस प्रकार का मोशन आपने रखा है उसमें ऐसी बहस की आवश्यकता नहीं है और आपको पहले ही यह ध्यान रखना चाहिये था कि नियमानुसार किस प्रकार ऐसा रिज़ोल्यूशन रखना चाहिए जिससे बहस लम्बी चले। ऐसी बहस के लिए जब आपने नोटिस दिया है तो आपकी मंशा हल हो चुकी है। मैं माननीय मंत्री से निवेदन करूंगा कि वे अपना उत्तर दें।

जहां तक उत्तर होगा सदन का समय तब तक के लिए बढ़ाया जाता है।

श्री मथुरादास माथुर : माननीय उपाध्यक्षजी, बीकानेर से आने वाले दो सदस्यों ने यह प्रस्ताव रखा है इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं और शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मौका दिया कि गोली चलाने विषयक जो सरकार की नीति है वह सदन के समक्ष पेश कर सकूं। जो दर्द भरी कहानी सरकार और सदन के समक्ष रखने की कोशिश की गई है उसका मेरे दिल और दिमाग पर बहुत असर है।

माननीय उपाध्यक्षजी, मैं यह नहीं चाहता, राजस्थान सरकार यह नहीं चाहती कि राजस्थान की जनता पर कभी पुलिस गोली चलाये। जब गोली चलती है और उसकी सूचना हमें मिलती है तो माननीय उपाध्यक्षजी, मैं सदन के सब माननीय सदस्यों को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जितना रंज आपको होता है, जितना दुःख आपको होता है, हमें सही समझने की आप कोशिश करें। जितना रंज और दुःख आपको होता होगा उससे कहीं अधिक हमको होता है। हम नहीं चाहते हैं कि जनता पर गोली चले और हालत ऐसी सुधर जाय कि वह दिन दूर नहीं होगा कि राजस्थान सरकार यह निर्णय लेने को तैयार होगी कि पुलिस गोली चलाना कतई बन्द कर दे।

राजस्थान के हालात ऐसे हैं; समाज परिवर्तनों की स्थिति में आगे बढ़ रहा है और जब समाजी-तत्व आपस में टकराते हैं तो कभी कभी जिनको सहायता देना जरूरी है उनके लिए उस वक्त पुलिस को सामने आना पड़ता है। पुलिस अपने काम के लिए फ़ोर्स यूज़ नहीं करना चाहती, लेकिन जब सोशियल, पोलिटिकल प्रोब्लम्स होती हैं, उनका आपस में द्वन्द्व चलता है किसी खास समूह में तो कानून टूटता है और वायोलेंस फैलती है, कुछ लोगों की जिन्दगी खतरे में आती है; तो वहां पर पुलिस को पहुंचना पड़ता है। आप मेरा साथ देंगे। बीकानेर से आने

(श्री मथुरादास माथुर)

वाले साथियों ने पुलिस पर जो आक्षेप लगाये हैं वे मैं नहीं कहता कि बदनीयति से लगाये हों

(३ म. प.)

उनका कहना यह है कि पुलिस को जो गोली चलाने का अधिकार है उसका ठीक प्रकार से इस्तेमाल नहीं किया। गोली चलाये बिना भी काम हो सकता था। After the event everybody becomes wise. वे आसानी से यह कह सकते हैं। बीकानेर के माननीय सदस्य वहां मौजूद नहीं थे और न दूसरे सदस्य भी वहां मौजूद थे। उस वक्त की हालात के अन्दर जो ऑफिसर रहते हैं वह किस अवस्था में और किस मेन्टल टेन्शन में काम करता है यह वह ज्यादा जान सकता है। झंझेऊ के अन्दर गोली चली थी, पुलिस ने गोली नहीं चलाई; मजिस्ट्रेट के हुक्म से गोली चलाई गई थी। पुलिस के ऊपर चार्ज कर देना उचित नहीं है।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर): मजिस्ट्रेट से तो बाद में करा दिया गया।

श्री मथुरादास माथुर : मजिस्ट्रेट वहां मौजूद था, आप वहां मौजूद नहीं थे, आपने भी हीयरसे (hearsay) एवीडेन्स दी है। मैं पुलिस को प्रोटेक्शन देने के लिये खड़ा नहीं हुआ हूं, लेकिन यह भी नहीं कि पुलिस गैर सामाजिक तत्वों से मुकाबला नहीं कर सके, उसके लिये उसको डिमोरेलाइज़ कर दिया जाय, इसको भी मैं उचित नहीं मानता पुलिस गोली किन हालात में चलाती है; एक तो जब डाकुओं से उनका मुकाबला होता है और उसमें जब डिटेक्शन होता है उस हालत में पुलिस जब उसको गिरफ्तार करने के लिये आगे बढ़ती है और वह मुकाबला करता है उस समय उसके पास रिवोल्वर होता है उससे वह फायर करके उसको गिरफ्तार करती है। इसके अलावा जैसी कि पालिया-मेंट और असेम्बलीज़ में चर्चा चलती है ऐसा कोई पोलिटिकल प्रोब्लम होता है जो काबू से बाहर हो जाता है उस वक्त गोली चलानी पड़ती है।

इसमें भी यह बात जरूर है कि पुलिस अपनी मर्जी से गोली नहीं चलाती है, कानून के अनुसार चलाती है। इसके लिये पुलिस रेगुलेशन एक्ट १९४८ है; उसमें बाद में भी अमेन्डमेन्ट हुए हैं। उसी आधार पर पुलिस चलती है। अगर उसका ब्रीच करती है तो यह पुलिस की जवाबदारी है, उसमें पुलिस को सजा मिलती है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की हैसियत के अधिकारी से जांच करवाई जाती है। बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने झंझेऊ केस में एस. डी. एम. से इन्क्वायरी नहीं कराने के लिये मुझ से कहा था। मैंने उसको फौरन मन्जूर किया और पुलिस रेगु-लेशन के मुताबिक मजिस्ट्रेट को वह इन्क्वा-यरी दी।

श्री मुरलीधर व्यास : हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया।

श्री मथुरादास माथुर : नहीं किया। यह तो रेगुलेशन है। फिर भी हम डिपार्टमेन्टल एक्शन ले सकते हैं और लेते भी हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, गोली चलाने सम्बन्धी जो सरकार की नीति है वह मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं। पुलिस को हमने कहा है, इस सरकार के बनने के बाद सर्क्यूलर के

(श्री मथुरादास माथुर)

जरिये हमने इत्तला दी है । पुलिस ट्रेनिंग का जो प्रोग्राम है, नये जो सब इन्स्पेक्टर ट्रेनिंग पा रहे हैं उनको हम बतलाते हैं कि गोली कब चलायी जानी चाहिये, सरकार की नीति उनको साफ बता देते हैं, १६५७ से यही मामला चल रहा है । मैं सदन से यह भी कहना चाहता हूं, आपको जितनी घृणा गोली चलने से है उससे कई गुना ज्यादा हम इसको घृणा करते हैं......

श्री मुरलीधर व्यास : जुडिशियल इन्क्वायरी करा दीजिये, साफ मालूम हो जायगा।

श्री मथुरादास माथुर : सरकार जहां भी इस तरह से गोली चली है बहुत घृणा की दृष्टि से देखती है । सीरियसली सोचती है। हमारा यह कहना है कि in a welfare State resort to firing by the Police should as a rule be avoided.

इसके साथ आगे आकर मैंने कहा भी है, I don't appreciate at all what has been done and what has happened.

फिर अपने ऑफिसरों को कहा है, Government looks to these events with great concern, and in future firing should not be resorted to except under exceptional circumstances.

श्री मुरलीधर व्यास : जैसा अवसर देखते हैं वैसी बातें कर लेते हैं ।

श्री मथुरादास माथुर : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने यह पढ़कर इसलिये बताया है, हमारी सरकार की यह नीति है । इस नीति की हम घोषणा नहीं कर सकते कि गोली बिल्कुल चलायी ही न जाय । जब केरल में कॉम्युनिस्ट गवर्नमेंट बनी थी, पुलिस को उन्होंने इस बात से रोका था, लेकिन जो आज की समाज-व्यवस्था है उसमें वे भी उसका पालन नहीं कर सके । जो हालत बनती है उसमें एज़ ए रूल गोली चलाये ही, यह हम कदापि नहीं कहते ।

श्री कुमारानन्द (ब्यावर) : क्या मंत्री महोदय कहना चाहते हैं, पुलिस जो गोली चलाती है वह ठीक ही चलाती है ।

श्री मथुरादास माथुर : मैं यह नहीं कहता कि ठीक ही चलाती है, लेकिन आज की जो समाज की हालत है उसके अन्दर गोली नहीं चलाने का कानून नहीं बना सकते ।

गोली आज भी एक्सेप्शनल सर्कम्स्टान्सेज़ के अन्दर पुलिस चलाती है; एज़ ए रूल गोली नहीं चलाये ।

श्री अब्दुलजब्बार (निम्बाहेड़ा) : There is one problem. Supposing such a situation arises......

श्री उपाध्यक्ष : There is no point of order from you.

श्री मथुरादास माथुर : इसलिये जहां तक सरकार की नीति गोली चलाने के सम्बन्ध में है वह मैंने सदन के सामने रख दी है ।

श्री भैरोंसिह (किशनपोल, जयपुर): on a point of clarification, Sir आपने जो सर्कुलर इश्यू किया है उससे अब जो स्थिति बनी और इस सर्कुलर के अभाव में जो स्थिति थी उसमें क्या फर्क है ?

Page No 78

श्री मथुरादास माथुर : यह सर्कुलर बाद में निकला है।

श्री मुरलीधर व्यास : झंझेऊ के सिलसिले में निकला है।

श्री मथुरादास माथुर : झंझेऊ के बाद में कोई फायरिंग नहीं हुआ।

श्री भैरोंसिंह : मैं यह जानना चाहता हूं, आपके इस सर्कुलर के असर के बारे में सरकार ने यह सर्कुलर इश्यू किया उसके बाद में क्या स्थिति बनी और इस सर्कुलर के अभाव में जो स्थिति थी उसमें आप क्या अन्तर समझते हैं ?

श्री मथुरादास माथुर : पुलिस रेगुलेशन बराबर यह बात कहता है। लेकिन जैसे सदन में उस पर बहस हो जाय या न हो जाय, तो क्या फर्क पड़ता है ? सदन में यदि बहस होती है तो सदन का मानस जाना जाता है ? तो उसी प्रकार से हमारे अधिकारी हैं वे हमारा मानस जान सकें, उसके बाद उन लोगों को भी काम करने में सुविधा रहती है। इधर-उधर जाकर इसका इतना ही असर है; जैसे सच बोलना सब कहते हैं, सच बराबर बोलना चाहिये; इसका असर कितना होता है, यह माननीय सदस्य जानते हैं······

श्री मुरलीधर व्यास : सच और झूठ के लिये न्यायालय खुले हैं, जुडिशियल इन्क्वायरी करा लीजिये।

श्री मथुरादास माथुर : झंझेऊ के बारे में माननीय सदस्य के दिमाग पर असर है, स्वाभाविक है; यह उनका इलाका है, क्षेत्र है। आगे भी काम पड़ेगा। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं······

श्री मुरलीधर व्यास : एक नागरिक का जो संबन्ध है वही संबन्ध मेरा है। जहां तक क्षेत्र का प्रश्न है वह मेरी कॉन्स्टीट्युएन्सी नहीं है, दौलतरामजी की कॉन्स्टीट्युएन्सी है।

श्री मथुरादास माथुर : आप कुछ गलत समझ गये। 'संबन्ध' का मतलब मेरा यह है कि जिस क्षेत्र से चुनकर आते हैं उस क्षेत्र से संबन्ध होता ही है। जैसे मैं जोधपुर क्षेत्र से आता हूं तो वहां की जानकारी मुझे अधिक रहती है। वहां की जानकारी जितनी डिटेल्स में आपके पास हो सकती है उतनी अन्य सदस्यों के पास नहीं हो सकती। मैं यह भी नहीं मानता कि प्रजा समाजवादी नेता हरिजनों और छुआछूत से घृणा मानता है। मैं यह कह रहा था गोली चलाने के बारे में सरकार की नीति साफ है। झंझेऊ के लिये मैं माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूं जो रिपोर्ट आई है वह रिपोर्ट सरकार के विचाराधीन है। इस वक्त मेरा कुछ कह देना असंगत होगा। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की जो रिपोर्ट आई है उसको सदन की मेज पर रख दिया जायगा। उस पर सरकार एग्री है या नहीं, यह मामला सरकार के विचाराधीन है। उसको अध्ययन करने के बाद ही सरकार क्या निर्णय लेती है, वह मैं बता सकूंगा।

तो मैं······

श्री मुरलीधर व्यास : मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपकी मार्फत एक स्पष्टीकरण चाहता हूं कि क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि जहां पर हरिजन समस्या और बिगड़ी वहां ऐसे डेलीकेट मामले को हल करने के लिये न्यायिक जांच क्यों नहीं करवाई गई और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के मातहत इन्क्वायरी क्यों करवाई गई ?

श्री मथुरादास माथुर : इसके लिये एक ही प्रावधान है कि जब बहुत बड़े पैमाने पर मामला हो तब जुडीशियल एन्क्वायरी होती है।

श्री मुरलीधर व्यास : यह छोटा नहीं है मामला।

श्री मथुरादास माथुर : मैं कब कहता हूं छोटा है। एक आदमी मरता है तो उसके रिश्तेदारों को और बाल-बच्चों को पूछिये कि मामला कितना बड़ा होता है।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : आपको और हमको डाबला काण्ड मालूम है। आपके लिये ही तो हुआ था वह। आपको याद होगा।

श्री मथुरादास माथुर : क्या हुआ था क्या नहीं; खैर छोड़िये डाबला काण्ड को। मैं निवेदन कर रहा था कि झंझेऊ के प्रश्न पर पुलिस ने क्या किया है, क्या करना चाहिये था। यह मामला विचाराधीन है। जांच की रिपोर्ट पर सरकार विचार कर रही है। अभी उस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकूंगा। मामला कोई बहुत गम्भीर नहीं है।

श्री मोहरसिंह राठौड़ (चूरू) : क्या गृह मंत्रीजी यह बताने की कृपा करेंगे कि कितने आदमी मरने पर मामला गम्भीर बनता है, या कितने आदमी घायल होने पर ?

श्री मथुरादास माथुर : इलेक्टेड रिप्रज़ेन्टेटिव्ज जनता के ऐसे मामलों में इन्वोल्व्ड हो जावें तो मामला बहुत सीरियस हो सकता है। यह तो इश्यू की बात है और पब्लिक ओपीनियन पर डिपेन्ड करता है।

तो मैं निवेदन कर रहा था, उपाध्यक्ष महोदय……

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : यह मामला उनके हिसाब से कैसा है ?

श्री मथुरादास माथुर : मैं यह महसूस करता हूं कि आप बनेड़ा तहसील वालों के…

श्री उपाध्यक्ष : Order please ! Order !!

श्री मथुरादास माथुर : दिमाग पर बहुत भार है।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : आपकी सरकार रहेगी तब तक तो यह भार ही रहेगा।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिहनगर) : इनके भी सिर पर थोड़ा बहुत भार है।

श्री मथुरादास माथुर : ठीक है, मैं माननीय उपाध्यक्षजी, यह निवेदन कर रहा था कि वे मेरी बात को सन्तोष से सुन लें। उन्होंने बहुत कहा तो मैं तो सन्तोष से सुन रहा था। बहुत अच्छा होता, रायसिहनगर से आने वाले साथी, पुलिस जो काम करती है उनको तथा विरोधी दल को खास तौर से बुरा लगता है वे हमेशा पुलिस के हर काम को बुरा कहते हैं। बुरे हों तो बुरे को बुरा कहना ही चाहिये। पर अच्छे हों तो उनकी अगर वे तारीफ भी कर देंगे तो इसमें बुराई नहीं है।

श्री मुरलीधर व्यास : बीकानेर और गंगानगर के लोग काफी परेशान हैं इस पुलिस से।

Page No 80

श्री मथुरादास माथुर : कुछ तो सन्तोष रक्खें आप। पुलिस ने हरिजनों को कुएं पर पानी भरने के लिये आमादा देखा। वे भरना चाहते थे, दूसरे विरोध पर उतारू थे। तो वहां एक और समस्या पैदा हुई। लोगों ने यह कहा कि हरिजन कुएं पर पानी भरना चाहते हैं सवर्णों के कुओं पर, तो पहले वे सांसियों की मटकियों से पानी पी लें पहले और हरिजनों ने पी लिया। समस्या उस दिन से बिगड़ी। इसको सुलझाने के लिये बी० डी० ओ० ने, तहसीलदार ने बहुत कोशिश की। चार-छः महीने से यह मामला चल रहा था। उनको बुलाया गया, समझाया गया। आखिर में सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट भी गये। सबको समझाया, वे कहते थे कि हम पानी भर कर रहेंगे और सवर्ण यह कहते रहे कि नहीं हम तो उनको अपने कुओं पर पैर नहीं रखने देंगे।

श्री मुरलीधर व्यास : कोई एग्रीमेन्ट भी हुआ पहले ?

श्री मथुरादास माथुर : नहीं।

श्री मुरलीधर व्यास : अगर मिल गया तो ?

श्री मथुरादास माथुर : जिस किसी एग्रीमेंट की आप बात करते हैं वह लीगल एग्रीमेन्ट थोड़े ही था। आप बहुत भ्रम में हैं। मैं उस एग्रीमेन्ट के लिये भी कह दूं कि ऊपर जाकर नहीं भरने दिया जावेगा। इस चौड़े से ऊपर यहां भरना पड़ेगा। यह एग्रीमेन्ट अल्ट्रा वायर्स (ultra vires) था बिल्कुल। वह उनके आपस में हुआ बताते हैं, लीगल फोर्स उसके पीछे कुछ नहीं था। पर वह हरिजन पार्टी कहती रही कि हमें यह एग्रीमेन्ट मन्जूर नहीं है। इसके बाद जब उनको सांसियों का पानी पीने के लिये कहा तो वे पी गये। इसके बाद से मामला बढ़ गया। उन्होंने नोटिस दिया तो उधर से कहा गया कि आओगे तो लाशें हो जायेंगी। इस तरह का वार्तालाप उनमें हुआ। एस० डी० एम० ने वहां की हालत को देखकर थाने को इत्तला भेजी कि पुलिस भेजी जावे। बीकानेर डिस्ट्रिक्ट नजदीक पड़ता था, वैसे पुलिस के लिहाज से चूरू डिस्ट्रिक्ट पड़ता था। तो वहां से पुलिस आई।

श्री मुरलीधर व्यास : जब उन्होंने यह कहा कि लाशें हो जावेंगी तो इनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया ?

श्री उपाध्यक्ष: Order please ! Order !!

इस तरह से इन्टरप्ट करने की इस परिपाटी को मैं गलत समझता हूं। यह सदन की परम्परा के विरुद्ध है कि कोई बोल रहा हो माननीय सदस्य तो बराबर बिना पोइन्ट ऑफ इन्फोर्मेशन या पोइन्ट ऑफ ऑर्डर के दखल दिया जाता रहे।

श्री मुरलीधर व्यास: होम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि इस तरह की बात एस. डी. एम. के सामने आई·····

श्री उपाध्यक्ष : इसके लिये आपको अवसर है, बाद में पूछ सकते हैं। नियम है, पर बीच में इस तरह से दखल देना नियमानुकूल नहीं है।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत): On a point of clarification, Sir, मैं माननीय गृह मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

कि भीड़ कितनी थी, पुलिस के आदमी कितने थे, कितने फायरिंग हुए, कितनी गोलियां चलीं, कितने आदमियों ने फायरिंग किया, कितनों ने गोलिया चलाईं, इससे पहले कब वार्निंग दी और इस स्थिति को आने देने से पूर्व क्या किया गया ? इससे हाउस को पूरी जानकारी हो जावेगी ।

श्री मथुरादास माथुर : मैं बता दूंगा आपको, आप सुनें मुझे । मैं नीति की बात कर रहा था इस वक्त । मैं यह कह रहा था । मैंने आपको गोली चलाने की नीति के बारे में सरकार की नीति स्पष्ट कर दी । मैंने झंझेऊ केस के बारे में बताया । बहुत अन्दाज से कह दिया कि मामूली सा मामला था, निपटा देते कह सुनकर । कहना-सुनना बराबर करते हैं, मान जाते हैं तो मामला निपट जाता है । नहीं मानते हैं और जिद्द पकड़ लेते हैं कि हम तो चढ़कर ही छोड़ेंगे तो मामला बिगड़ता है । मामले को सुलझाने और लोगों को समझाने-बुझाने के लिये बी. डी. ओ. गये, एस. डी. एम. गये । इसके बाद में जब नहीं माने तो मजिस्ट्रेट ने पुलिस को इत्तला करके बुलाया । पुलिस आई, इसके बाद में मामला हुआ ।

मै निवेदन करना चाहता हूं, माननीय उपाध्यक्षजी, कि इसको जरा और गम्भीरता से माननीय सदस्यगण सोचें । बड़ा टेन्शन था वहां और इसका नतीजा यह हुआ कि इस इन्सीडेन्स के बाद में जो इस मामले में इन्वोल्व्ड थे, जिन्होंने हरिजनों को पानी भरने से इन्कार किया उनमें से दो आदमियों ने परसों रात को दो-तीन दिन पहले एक हरिजन को मार दिया ।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर): On a point of Order, Sir. उपाध्यक्ष महोदय, माननीय गृह मंत्रीजी इस प्रकार की बात कह रहे हैं कि जिन आदमियों ने पत्थर फेंकें उनमें से किन्हीं दो आदमियों ने दो आदमियों को मार डाला । मैं समझता हूं, माननीय मन्त्रीजी इस सम्बन्ध में किसने मार दिया, किसने नहीं मारा, इसमें शायद न जावें तो ज्यादा अच्छा होगा । मैं यह कह रहा हूं कि उनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिये ।

श्री मथुरादास माथुर: वह कार्यवाही होगी । एडजोर्नमेंट मोशन भी आ चुका है इसके लिये । कालूराम मेघवाल जो पड़ना ग्राम का रहने वाला है और जो झंझेऊ में मौजूद था, इम्पोर्टेन्ट लीडर है, वह वहां पर हरिजनों को लीड कर रहा था । पांच-चार उनके घर हैं और दो-चार हरिजन पड़ौस के गांव के वहां मौजूद थे । इस घटना के बाद उस कालूराम मेघवाल को बडनूं में मार दिया गया और······

श्री मुरलीधर व्यास: प्रश्न मेरा यह है साहब कि उनके नाम क्या थे ?

श्री मथुरादास माथुर : बता रहा हूं नाम । बहादुरसिंह सन ऑफ सतवन्तसिंह ऑफ झंझेऊ एण्ड (अश्रव्य) उन्होंने उसको मार दिया । यह मेरे पास पूरी वायरलेस इन्फोर्मेशन है । इसके बाद जो इत्तला आती रहेगी वह मैं आप कहेंगे तो देता रहूंगा । इसको मैंने वैरिफाई कर लिया है कि उस हरिजन को बडनूं के रहने वाले ने गोली से मार दिया । दोनों एब्सकॉन्डेड हैं । पुलिस उनका पीछा कर रही है । अभी मालूम नहीं हुआ है ।

(श्री मथुरादास माथुर)

तो मैंने कहा कि टेन्शन इतना था । अब इसको यह कह देना कि मामूली सा पानी का झगड़ा था और इसके लिये उनकी अलग से व्यवस्था हो गई थी, कितना ठीक है । वह टेन्शन इतना था कि बाद में भी वह रहा और उसके परिणामस्वरूप एक और हरिजन मर गया ।

माननीय उपाध्यक्ष, अब जहां तक दूसरे बोरावड़ और रतनगढ के मामले हैं, उनके बारे में मैं सदन में कह चुका हूँ । इसके अन्दर कुछ लोग चोरी करके भाग रहे थे । गांव वाले गये। पुलिस आई गिरफ्तार करने के लिये तो तलवार और लाठियां लेकर सामने आ गये । गांव वालों के और पुलिस के भी चोटें आईं । फायर भी हुआ उनकी तरफ से और फिर पुलिस ने गोली चलाई थी । यह रतनगढ़ का केस है । इसकी इन्क्वायरी हुई और अब केस चल रहा है । इसकी मजिस्ट्रेट की इन्क्वायरी हो चुकी है। इसकी रिपोर्ट सदन की मेज पर रख दूंगा ।

ठीक है कि जो बुराई करे उसको बुराही कहना चाहिए । हरिजन को मार दिया गया, यह भी तो इवेन्ट है। बीकानेर से आने वाले यह भी कह देते तो उधर से आने वालों को दर्द होता । लॉ और ऑर्डर को तोड़ने के लिये प्रोत्साहन नहीं देना चाहिये । इसमें पुलिस की मदद करनी चाहिये ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : On a point of clarification, Sir आपने जो फरमाया कि वहां पर बड़ी टेन्शन की स्थिति थी और जब हरिजनों ने उनके हाथ का पानी पी लिया तो स्थिति और भी बिगड़ी तो जिस दिन गोली चली और जिस दिन पानी पिया उसमें कितने दिनों का फर्क था, कितना पीरियड लैप्स हो चुका था और क्या यह सही है कि आपने गोली चलाने के पूर्व किसी भी सवर्ण ने कहना नहीं किया, इस प्रकार की कोई रिपोर्ट दर्ज की है ? मैंने स्पेसिफिकली पूछा था कि आपने कोई अनटचेबिलिटी एक्ट में मुकदमा दर्ज किया; अगर नहीं किया तो इसका क्या कारण है ?

श्री मथुरादास माथुर : अनटचेबिलिटी एक्ट के अन्तर्गत ही तो मुकदमा दर्ज करके पुलिस रवाना हुई है । उन आदमियों को पुलिस गिरफ्तार करने के लिये पहुंचती है तो वहां पर हरिजन इकट्ठे मिलते हैं और वहां पर एस० डी० एम० मौजूद मिलता है । वहां की हालत ऐसी बिगड़ी हुई होती है कि उधर से पत्थर आते हैं पुलिस के ऊपर और यह सब रिपोर्ट में दर्ज है, मौजूद है । वहां पर टीयर गैस भी छोड़ी गई लेकिन बरसात की वजह से उसने वर्क नहीं किया । आखिर नतीजा यह हुआ कि वे हरिजनों को मारने के लिए आगे बढ़ने लगे । जो हालात वहां गुजरे हैं इसलिए गोली चलानी पड़ी....

श्री मुरलीधर व्यास : आप एक भी रिपोर्ट ऐसी बताओ कि एक भी हरिजन के चोट लगी है ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : Order ! Order please !!

श्री मथुरादास माथुर : हरिजनों के ऊपर चोटें नहीं लगीं । हरिजन तो वहां पर पांच-सात ही थे । पुलिस के लग गई । सारा रोना तो इसी बात का है ।

श्री मुरलीधर व्यास : आप एक नाम भी बता दें जिसके चोट लगी हों।

श्री मथुरादास माथुर : इसलिए मैं समझता हूं कि यह प्रश्न जिसको माननीय सदस्य बीकानेर से आये हुए हैं उन्होंने इनीशियेट किया है उससे मुझे बहुत लाभ हुआ है। मैंने सरकार की नीति आपके सामने रखने की कोशिश की है और उसको सरकार ने अमल में लाया है। मैं विश्वास दिलाता हूं कि इस नीति पर स्ट्रिक्ट रहने का पूरा प्रयत्न और कोशिश सरकार करती रहेगी। ऐसी घटनायें बारबार न हों, इसका हम प्रयत्न करेंगे। मगर ऐसे वक्त और हालात बन जाते हैं एक्स्ट्राआर्डिनरी सर्कमस्टान्सेज़ में कि जिसके वास्ते वहां के वजूहत को देखते हुए ऐसे निर्णय लिये जाते हैं। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट द्वारा इन्क्वायरी कराये जाने के बारे में कहा गया। मैं विश्वास दिलाता हूं कि अगर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की इन्क्वायरी से सन्तोष नहीं है हमारी सरकार को या ऐसा इम्पॉर्टेन्ट मसला है कि जिसकी इन्क्वायरी जुडीशियल हो तो उसको भी करवा सकते हैं, उसमें मुमानियत नहीं है। लेकिन ऑर्डीनेरीली जुडीशियल इन्क्वायरी नहीं होती है। वैसे मजिस्ट्रेट की इन्क्वायरी और जुडीशियल इन्क्वायरी में बहुत कम अन्तर है। इस केस में माननीय सदस्य ने भी शहादत दी है और ५० विटनेसेज़ हैं। सरकार विचार कर रही है और उस रिपोर्ट के ऊपर विचार करने के बाद में निर्णय लिया जायेगा और वह आपके सामने रख दी जायेगी। मैं समझता हूं कि सरकार की नीति से माननीय सदस्यों को सन्तोष होगा और आगे अमल में लेगी।

श्री मानिकचन्द सुराणा : उपाध्यक्ष महोदय, एक बात और पूछना चाहूंगा और जिसे कांग्रेस के साथियों ने भी पूछा था, पर उसका कोई उत्तर नहीं मिला कि वहां पर कितने तो आदमी थे, पुलिस के कितने थे, कितनी गोलियां चलाई गई और टीयर गैस, लाठी चार्ज वगैरह हुई या नहीं ?

श्री मथुरादास माथुर : वह मैं सब बता रहा हूं।

श्री भैरोंसिंह : एक बात यह भी बता दें कि जिन-जिन रिपोर्ट्स पर आपने निर्णय ले लिया है वे रिपोर्ट्स सदन की मेज पर कब रख देंगे ?

श्री मथुरादास माथुर : वह रख दी जायगी।

श्री भैरोंसिंह : कब ?

श्री मथुरादास माथुर : आजकल में जल्दी ही रख दी जायेगी।

(गृह मंत्री महोदय फाइल को देखने लगे)

श्री मानसिंह महार (आमेर) : आज नहीं तो कल बता देंगे। इतना समय क्यों सदन का नष्ट किया जाय कागजों में। मंत्रीजी तैयार नहीं हैं, इसलिए वे टाल रहे हैं।

श्री मथुरादास माथुर : इसमें पुलिस के ३० आदमी थे।

श्री मुरलीधर व्यास : ६० तो मैं देख आया हूँ भोजन करते हुए। फोटो बता सकता हूं।

श्री मथुरादास माथुर : आपने पुलिस वालों के साथ भोजन किया उस समय ६० होंगे। टीयर गैस के ७ शैल्स छोड़े गये, ११ गोलियां फायर की गई और ४०१ मस्केटिंग····

श्री मानिकचन्द सुराणा : लाठी चार्ज भी की गई या नहीं ?

श्री मथुरादास माथुर : लाठी चार्ज नहीं हुई। मैं कह चुका हूं, इसलिए नहीं हुई कि जो लोग खड़े थे, लाठी चार्ज तब होती है जब कि लोग-बाग रीच की पोजीशन में खड़े होते हैं। परन्तु वे तो बहुत दूर थे करीब ४० फुट की दूरी थी। पत्थर फेंक रहे थे और दो-तीन सौ आदमी वहां पर थे····

श्री मानिकचन्द सुराणा : गांव की वोट्स लिस्ट में ही २०० आदमियों का नाम नहीं है।

श्री मुरलीधर व्यास : मंत्री महोदय ने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है कि लाठी चार्ज नहीं हुआ; परन्तु एफ० आइ० आर० में है कि लाठी चार्ज हुआ।

श्री मथुरादास माथुर : मैं करेक्ट कर देता हूं, lathi charge was done but it proved ineffective as the people were very far and the pelting of stones was very strong.

यह सब लिखा है रिपोर्ट में।

श्री मानिकचन्द सुराणा : मैं निवेदन करूंगा कि वहां पर तो पत्थर हैं ही नहीं, इर्दगिर्द ही नहीं हैं। यह रिपोर्ट बिल्कुल गलत है और मंत्री महोदय मानते हैं कि लाठी चार्ज हुआ नहीं और उसकी रीच से बहुत दूर थे····

श्री मथुरादास माथुर : मैं निवेदन करूंगा कि एक भी गांव ऐसा नहीं होता जिसमें पत्थर न हों। पत्थर बरामद हुए हैं और मजिस्ट्रेट के सामने पेश हुए हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : Order ! Order please !! अब सदन के सामने कोई कार्यवाही नहीं रही है····

श्री मोतीलाल चौधरी (डीडवाना) : Point of order, Sir, यह अभी होम मिनिस्टर साहब ने बताया कि एक हरिजन गोली से मारा गया। क्या यह सही है कि बीकानेर जिले के सवर्णों ने निर्णय लिया है कि हरिजन कोई भी चढ़ा कुएं पर और उनका नेता गवाही होगा तो उसको गोली से उड़ा दिया जायेगा ?

श्री मथुरादास माथुर : ऐसी जानकारी मेरे पास कोई नहीं है।

श्री मुरलीधर व्यास : मैं कुएं पर चढ़ने के लिए तैयार हूं। वे पत्थर मारेंगे तो मैं खाऊंगा।

श्री निरंजननाथ आचार्य (उपमंत्री, शिक्षा) : We don't want to lose the Hon'ble Member.

श्री उपाध्यक्ष: अब सदन के सामने कोई कार्यवाही नहीं रही है इसलिए सदन की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही म. प. ३-३० बजे, दिनांक २२ अक्टूबर, १९६२ के ११ बजे तक के लिये स्थगित हुई)

Page No 85

संक्षिप्त-विवरण

(गुरुवार, दिनांक १८ अक्टूबर, १६६२)

स्तम्भ स्तम्भ

तारांकित प्रश्नों के शीर्षक

डीग नगरपालिका के चुनाव ।

सिवाय चक भूमि अलॉटमेन्ट कमेटी, जिला जयपुर ।

नाइलोन यार्न ।

अकालग्रसित ग्रामों में राहत-कार्य ।

सांचोर डिस्पेन्सरी की इमारत की मरम्मत ।

राष्ट्रीय-कृत पाठ्य पुस्तकें ।

कामां में बिजली के खम्भे ।

भारत सरकार द्वारा राजस्थान सरकार को देय राशि ।

सरकारी डॉक्टर और प्राइवेट प्रेक्टिस ।

जयपुर शहर को 'बी' श्रेणी नगर घोषित करने के संबन्ध में ।

बीकानेर नगरपालिका को सेनिटेशन सुधार हेतु ऋण ।

भूमिपतियों को भूमि का अलॉटमेन्ट ।

माउन्ट आबू नगरपालिका ।

बीकानेर में बाल बोर्ड का करखाना ।

१६८१ भूमिहीन जमींदार ।

कन्या मिडिल स्कूल के भवनों का निर्माण ।

तहसील आहोर में समेकन (कन्सोलिडेशन) शुल्क ।

किशनगढ़-श्रीनगर (अजमेर) सड़क ।

देहाती चिकित्सालयों में डॉक्टरों का अभाव ।

काश्तकारों को लगान के लिये मांग-पत्र ।

बीकानेर सर्किट हाउस ।

रिक्शा लाइसेन्स ।

नायब तहसीलदारों से ट्रेनिंग पीरियड के खर्चे की वसूली ।

नाइलोन फैक्ट्री कोटा ।

सन्डरसन्स जनरल एप्लायेन्सेज मैन्यूफैक्चरिंग कं०, कोटा ।

सीमेन्ट और टीन शीट्स का वितरण, निम्बाहेड़ा ।

इन्डस्ट्रियल एस्टेट, कोटा में उद्योगों को शेड एलॉटमेन्ट ।

डेपूटेशन पर भेजे जाने वाले ओवर सियर्स।

त्योहारों पर अग्रिम वेतन।

नॉन-प्लान तथा थर्ड प्लान आउट ले में बचत।

सिकराय क्षेत्र में मिडिल स्कूल।

अनुसूचित जाति के छात्रों को छात्रवृत्ति।

स्थगित प्रश्न

(१०-१०-६२)

भरतपुर जिले में छात्र-वृत्तियां।

२. सदन की मेज पर रखा गया पत्र १७३४

श्री मथुरादास माथुर, गृह मंत्री ने राजस्थान होम गार्ड्स विधेयक, १९६२ से सम्बन्धित संशोधित वित्तीय ज्ञापन की एक प्रति सदन की मेज पर रखी।

३. विधाई कार्य

पुरःस्थापित किया गया विधेयक १७३४

राजस्थान विधि निरसन तथा संशोधन विधेयक, १९६२ सभा की आज्ञा प्राप्त करने के पश्चात् पुरःस्थापित किया गया।

उपरोक्त विधेयक पर श्री रामानन्द अग्रवाल द्वारा जो औचित्य प्रश्न उठाया गया था उस पर आज अध्यक्ष महोदय ने अपना निर्णय भी दिया।

४. आधे घन्टे की चर्चा १७४२

गंगानगर जिले के किसानों की भूमि के संबंध में तारांकित प्रश्न संख्या ६१ (१३। सी० एम०) के उत्तर से, जो दिनांक १२ अक्टूबर, १९६२ को दिया गया था, उत्पन्न मुद्दों पर श्री योगेन्द्रनाथ हांडा, सदस्य, विधान सभा, ने आधे घन्टे की चर्चा उठाई।

श्री रामप्रसाद लड्ढा, उप-मंत्री, राजस्व विभाग ने बहस का उत्तर दिया।

५. विधायी कार्य

(१) राजस्थान होम गार्ड्स विधेयक, १९६२ १७५१

उपरोक्त विधेयक के सम्बन्ध में दिनांक १० अक्टूबर, १९६२ को श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल द्वारा यह आपत्ति उठाये जाने पर कि विधेयक से संलग्न वित्तीय ज्ञापन पर्याप्त नहीं है अतः विधेयक पर विचार स्थगित रखा जाय, अध्यक्ष महोदय ने इस सम्बन्ध में अपना निर्णय सुरक्षित रखा था।

अध्यक्ष महोदय ने आज अपना निर्णय दिया।

अध्यक्ष महोदय के निर्णय के पश्चात् प्रभारी मंत्री ने उक्त विधेयक को विचारार्थ लिये जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया।

श्री रामानन्द अग्रवाल, सदस्य विधान सभा, ने विधेयक को जनमत जानने हेतु प्रसारित करने का संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किया।

वाद-विवाद के पश्चात् संशोधन प्रस्ताव सदन द्वारा स्वीकार किया गया।

(२) राजस्थान विधि निरसन तथा संशोधन विधेयक, १९२६ १७६९

श्री मथुरादास माथुर, प्रभारी मंत्री के इस प्रस्ताव पर कि उक्त विधेयक को विचारार्थ लिया जाय, श्री मानिकचन्द सुराणा, सदस्य, विधान सभा, ने विधेयक को एक प्रवर समिति के सुपुर्द किये जाने का संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किया जिसे सदन द्वारा अस्वीकार किया जाकर विधेयक को विचारार्थ लिये जाने का प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

खण्डशः विचार के पश्चात् विधेयक संशोधित रूप में पारित किया गया।

(३) राजस्थान विक्री-कर (संशोधन) विधेयक, १९६२ १७७८

श्री निरंजननाथ आचार्य, उप-मंत्री कर, के इस प्रस्ताव पर कि उपरोक्त विधेयक को विचारार्थ लिया जाय, श्री सम्पत्तिलाल बोहरा सदस्य, विधान सभा, ने विधेयक को एक प्रवर समिति के सुपुर्द किये जाने का संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किया।

वाद-विवाद के पश्चात् संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया जाकर विधेयक को एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया गया जो अपना प्रतिवेदन एक सप्ताह में प्रस्तुत करेगी।

समिति के सदस्यों के नाम इस प्रकार हैं:-

(१) श्री बालकृष्ण कौल
(२) श्री निरंजननाथ आचार्य
(३) श्री गिरधारीलाल व्यास
(४) श्री वृजसुन्दर शर्मा
(५) श्री मोहनराज
(६) श्री फूलचन्द जैन
(७) श्री सम्पत्तिलाल बोहरा
(८) श्री मथुरेशविहारी
(९) श्री दुर्गालाल बाढ़दार
(१०) श्री कुमारानन्द
(११) श्री मुरलीधर व्यास

६. अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय पर थोड़े समय के लिये चर्चा १७९६

श्री मुरलीधर व्यास, सदस्य, विधान सभा, ने प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम १२७ के अन्तर्गत ग्राम बोरावड़ (जिला नागौर), रतनगढ़ और झुन्झुनू (जिला चूरू) में गोली चलाने के विषय पर सदन में चर्चा उठाई।

गृह मंत्री, श्री मथुरादास माथुर ने बहस का उत्तर दिया।

सदन की बैठक ३ बज कर ३० मिनट पर सोमवार, दिनांक २२ अक्टूबर, १९६२ को प्रातः ११ बजे तक के लिये स्थगित की गई।

दिनांक २२ अक्टूबर, १९६२
की कार्य-सूची

१. विशेषाधिकार समिति के रिक्त स्थान पर मनोनयन।

२. विधेयकों का पुरःस्थापनः—

(क) राजस्थान नगरपालिका (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९६२

(ख) राजस्थान नगर सुधार (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९६२

(ग) राजस्थान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, १९६२

३. कार्य-सलाहकार समिति के छठे प्रतिवेदन का उपस्थापन एवं समर्थन।

४. भारत के संविधान के १३ वें संशोधन सम्बन्धी शासकीय संकल्प।

५. भारत के संविधान के १४ वें संशोधन सम्बन्धी शासकीय संकल्प।

६. पंचायत राज्य सम्बन्धी श्री मानसिंह महार के प्रस्ताव पर वाद-विवाद।

STATEMENT SHOWING THE SALE OF BOOKS

Serial No.	Name of book		Jaipur	Jodhpur	Bikaner	Udaipur	Kotah
1	2		3	4	5	6	7
1	Hindi I ...	..	25615	19193	9144	2295	3225
2	Hindi II ...	..	19089	4530	7307	1998	1412
3	Hindi III	..	13671	8219	8090	880	796
4	Hindi IV ...	...	255	1067	..	15	...
5	Hindi V ...	...	4624	3225	3730	470	226
6	Hindi VI ...	...	3323	1675	947	303	112
7	Hindi VII	...	1346	590	1192	139	31
8	Hindi VIII	..	652	347	658	108	31
9	Arithmetic III	..	60	1233	1877	752	781
10	Arithmetic IV		2535	2335	1437	605	356
11	Arithmetic V	...	5176	3160	3165	452	226
12	Arithmetic VI	..	1704	454	16	262	116
13	Arithmetic VII	..	1998	646	1242	162	31
14	Arithmetic VIII	..	1052	216	882	149	26
15	Gen. Sc III	..	30	33	...	20	...
16	Gen Sc. IV	..	8532	4196	2238	532	24
17	Gen. Sc V	..	4450	2815	3326	275	20
18	Gen. Sc VI		3001	1348	2086	275	9
19	Gen. Sc. VII		1326	900	1200	146	21
20	Gen. Sc. VIII	...	934	677	731	123	31
21	S. Studies III	...	10482	4655	4148	110	681

Statement showing the books received at depots during this Session

Sl. No.	Name of books	Month	Jaipur	Jodhpur	Bikaner	Udaipur	Kotah	Ajmer	Remarks
1	Hindi I ...	June	28102	...	9994	15000	...	...	
		July	11900	8000	6	..	20000	8997	
		Aug.	..	..	...	...	...	..	
		Sept.	50	950	..	150	500	...	
2	Hindi II ...	June	200	4000	...	...	...	...	
		July	34000	13192	10000	10000	10000	10000	
		Aug.	...	2800	...	...	...	...	
		Sept.	...	1000	805	...	..	..	
3	Hindi III ...	June	5	...	...	...	...	...	
		July	59195	...	45	.	...	...	
		Aug.	774	6000	6000	6000	6000	5988	
		Sept.	72400	9200	7995	2000	8000	4000	
4	Hindi IV ...	June	2	...	..	...	...	...	
		July	4000	...	...	...	...	...	
		Aug.	34993	17600	7998	12000	4000	6998	
		Sept.	10000	6790	4002	4000	7000	11002	
5	Hindi V ...	June	35202	...	5198	6000	2800	8000	
		July	2749	..	..	...	...	...	
		Aug.	...	...	...	...	100	...	
		Sept.	54	...	...	...	...	...	
6	Arithmetic III .	June		...	...	...	...	..	
		July	53000	8000	14800	10000	4000	6000	
		Aug.	..	...	...	...	4300	...	
		Sept.	...	...	201	..	1	...	
7	Arithmetic IV .	June	1	...	...	...	...	...	
		July	30000	...	...	...	...	...	
		Aug.	12400	13200	12400	11200	7600	9196	
		Sept.	...	10400	3800	3200	6400	...	

Page No 91

Sl. No.	Name of books	Month	Jaipur	Jodhpur	Bikaner	Udaipur	Kotah	Ajmer	Remarks
8	Arithmetic V ..	June	2	..	...	...	...	...	
		July	14998	5000	4998	5000	5000	5000	
		Aug.	...	...	...	...	...	...	
		Sept.	5	...	...	...	..	.	
9	Gen. Sc. III ...	June	12000	...	...	...	..	...	
		July	38388	3000	3000	3000	3000	3000	
		Aug.	15583	2000	2000	...	..	1996	
		Sept.	6987	20000	20000	2000	2000	...	
10	General Sc. IV .	June	...	...	2000	...	..	...	
		July	...	..	. .	...	2000	...	
		Aug.	15185	2400	2400	...	..	2400	
		Sept.	14799	12000	11981	12400	4000	1589	
11	General Sc. VII .	June	...	...	...	...	..	...	
		July	7000	...	...	...	...	...	
		Aug.	6400	3800	3000	3200	4000	4000	
		Sept.	350	...	200	..	...	..	
12	S. Studies III .	June	52001	16800	...	2000	...	19997	
		July	...	...	18000	13000	...	...	
		Aug.	...	...	...	1085	..	...	
		Sept.	1	..	..	8000	...	...	
13	S. Studies IV .	June	50000	10000	...	...	...	..	
		July	...	...	11997	10000	10000	8000	
		Aug.	...	...	3	. . .	...	..	
		Sept.	...	...	...	...	..	...	
14	S. Studies V ...	June	33002	12000	11000	11000	5000	..	
		July	...	...	...	...	...	8000	
		Aug.	...	..	...	...	..	..	
		Sept.	...	...	...	...	...	...	
15	S. Studies VI ...	June	...	...	..	...	...	...	
		July	12000	...	...	...	...	...	
		Aug.	21991	4800	4400	4400	1200	4400	
		Sept.	...	...	2400	2800	2800	4400	

Sl. No.	Name of books	Month	Jaipur	Jodhpur	Bikaner	Udaipur	Kotah	Ajmer	Remarks
16	Sangeet Ch. VI.	June	...	...	...	...	...	..	
		July	.	...	...	...	300	...	
		Aug.	...	-	...	...	...	...	
		Sept.	...	...	...	...	...	...	
17	Hindi VI ...	June	1	4000	5200	2000	2000	2000	
		July	..	...	...	...	..	...	
		Aug.	...	..	...	4000	..	1600	
		Sept.	...	...	...	...	1600	...	
18	Hindi VII ...	June	2	...	...	...	...	...	
		July	...	...	..	...	...	...	
		Aug.	26000	6000	5600	9200	...	3200	
		Sept.	4000	...	...	1600	5600	..	
19	Arith. VII ...	June	...	..	1200	...	...	...	
		July	...	...	..	..	...	...	
		Aug.	...	..	1600	1600	...	...	
		Sept.	19844	2880	4680	3960	...	2160	
20	Arith. VI ...	June	..	...	...	...	...	...	
		July	...	...	...	...	...	..	
		Aug.	9000	3240	..	...	...	...	
		Sept.	7604	2880	4680	3960	4680	2160	
21	Gen. Sc. V ...	June	...	..	...	...	..	...	
		July	...	...	...	...	..	...	
		Aug.	...	2500	...	5000	...	...	
		Sept.	...	...	...	...	.	...	
22	Gen. Sc. VI ..	June	...	...	...	...	...	...	
		July	...	...	..	..	.	...	
		Aug.	11000	4400	4000	3000	3000	5000	
		Sept.	...	...	...	...	..	5000	

Sl. No.	Name of books	Month	Jaipur	Jodhpur	Bikaner	Udaipur	Kotah	Ajmer	Remarks
23	Sanskrit VII ...	June	...	...	...	...	..	...	
		July	...	...	...	..	..	..	
		Aug.	11598	4000	1200	...	...	1200	
		Sept.	..	..	...	..	1200	...	
24	Geography VII.	June	...	..	1000	...	...	...	
		July	...	...	...	...	...	...	
		Aug.	...	...	1000	...	...	...	
		Sept.	...	...	...	800	800	...	
25	Drawing VIII	June	...	...	...	...	...	...	
		July	..	..	...	...	..	...	
		Aug.	100	100	50	50	50	...	
		Sept.	...	...	...	...	...	..	
26	Sangeet Ch. VIII	June	...	...	..	...	...	...	
		July	...	...	...	...	...	...	
		Aug.	100	..	...	...	...	...	
		Sept.	...	...	...	...	...	...	
27	S. Studies VII	June	...	...	...	...	..	...	
		July	...	...	...	...	...	..	
		Aug.	...	...	...	..	...	...	
		Sept.	4800	4800	4000	2000	1200	3200	
28	Sanskrit VI ...	June	..	...	...	...	..	3994	
		July	...	...	...	...	...	...	
		Aug.	...	...	..	...	..	...	
		Sept.	...	...	...	...	...	6	
29	Commerce VII	June	..	...	...	...	...	...	
		July	..	...	..	..	...	...	
		Aug.	...	..	...	...	...	...	
		Sept.	8800	...	1200	...	...	...	

APPENDIX

Serial No.	Name of Printers	No. of Books	YEAR 1957-1958 AMOUNT	No. of Books	YEAR 1958-1959 AMOUNT	No. of Books	YEAR 1959-1960 AMOUNT	No. of Books	YEAR 1960-1961 AMOUNT	No. of Books	YEAR 1961-1962 AMOUNT	No. of Books	YEAR 1962-1963 AMOUNT	TOTAL
1	M/S National Offset Works, Delhi	2	128758'25	1	118244'00	1	28450'00	1	28153'62	...	63711'00	2	96465'88	463782'75
2	,, Allahabad Law Journal Co. Allahabad	4	24938'20	3	130334'78	2	71765'61	...	20568'25	...	...	...	...	247606'84
3	,, Indian Press, Allahabad ...	2	25745'50	1	56217'50	...	6385'00	...	...	...	...	...	...	88348'00
4	,, Fine Art Printing Press, Ajmer	2	15870'52	4	54720'13	...	46161'40	1	...	...	4767 87	...	...	121526'92
5	,, Jaipur Printers, Jaipur	1	9409'26	2	27424'50	2	19612'45	...	15030'00	...	...	...	...	71476'21
6	,, Rajasthan Printing Works, Jaipur	1	5985'34	1	20615'37	...	...	...	...	...	...	...	...	26600'71
7	,, Times of India Press, Bombay	...	...	1	165578'41	...	...	...	...	...	...	...	...	165578'41
8	,, Sasta Sahitya Press, Ajmer	...	...	...	...	2	9402'12	...	8300'73	...	6354'85	...	448'78	24506'48
9	,, Raja Ram Kumar Press, Lucknow	...	...	1	905'00	...	...	...	...	...	...	...	...	905'00
10	,, Oudh Publishing House, Lucknow	2	...	2	3501'25	5	31957'29	...	5007'37	...	4375'15	...	...	44841'06
11	,, Suraj Printing Press, Lucknow	...	...	...	...	2	17363'50	...	6279'83	...	1990 59	...	...	25633'92
12	,, Job Press, Kanpur	...	...	3	...	3	134457'94	...	27076'02	...	63351 37	...	...	226885'33
13	,, Ajanta Printers, Jaipur	...	...	1	3272'20	...	...	...	...	...	...	...	...	3272'20
14	,, Agarwal Printing Press, Jaipur	...	...	...	...	1	...	...	8487'47	...	...	...	...	8487'47
15	,, Agarwal Press, Mathura	...	...	...	...	2	...	1	2941'36	...	15430'22	4	24494'80	42866'38
16	,, G. W. Lawrie & Co. Lucknow	...	...	...	...	...	...	1	19922'00	...	...	...	...	19922'00
17	,, Akashdeep Printers, Delhi	...	...	...	...	1	...	...	10040'62	...	...	...	...	10040'62
18	,, U. P. Printing Press, Allahabad	...	...	...	...	...	...	...	...	2	4878'56	5	18018'14	22896'70
19	,, Oudh Printing Works, Lucknow	...	...	...	...	3	...	...	10054'49	...	...	...	...	10054'49
20	,, Prem Printing Press, Lucknow	...	...	...	...	1	...	...	12110'22	...	...	...	...	12110'22
21	,, Central Press, Kanpur	...	...	...	...	1	...	...	17598 75	...	...	...	...	17598 75
22	,, Sahitya Mandir Press, Lucknow	...	...	...	...	1	...	...	11965'00	...	...	...	...	11965'00
23	[illegible]								[illegible]	2				[illegible]

परिशिष्ट २

(प्रश्न समय में न लिये जा सकने वाले तारांकित प्रश्नोत्तर)

बीकानेर सर्किट हाउस

२५२. **श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर सिटी) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(१) बीकानेर सर्किट हाउस की कितनी रकम किस किस पर कब से बकाया है ?

(२) यह रकम अब तक क्यों नहीं वसूल की गई ?

उत्तर

(१) बीकानेर सर्किट हाउस का कुल रु० १३,१४५.७२ नये पैसे बकाया है नामों की सूची संलग्न हैं।

(२) रकम वसूल न होने के कारण नामों के सामने सूची में अंकित हैं।

परिशिष्ट
बकाया की सूची

क्रम संख्या १	किस पर बाकी है २		कब से बाकी है ३	रकम बाकी ४	कारण ५
	सरकारी कार्यालय				
१.	जिलाधीश, बीकानेर		५-८-१९५९	२७५.००	लेखा समायोजन (Adjustment of Accounts) हेतु लिखा-पढ़ी की जा रही है।
२.	संचालक, शिक्षा विभाग		२९-११-६०	२४०.००	
३.	राज्य सरकार व भारत सरकार के अतिथि।	सामान्य प्रशासन विभाग	१-९-५३	६ ७५	
४.	,, ,,		३-१०-५९	१७०.६८	
५.	,, ,,		...	३८.००	
६.	,, ,,		१-४-५९	५१.६९	
			योग	६८२.१२	
	राजकीय अधिकारी				
७.	श्री लालसिंह, उत्तर रेलवे, बीकानेर		२५-६-६०	८.००	वसूली हेतु स्मरण-पत्र भेजे जा रहे हैं।
८.	श्री जे० पी० चन्दानी, आर० ए० एस०		२७-२-६०	३.६२	महालेखापाल द्वारा वसूली करने के लिये कार्यवाही की जा रही है।
९.	श्री आर० के० सक्सेना, जिलाधीश, बीकानेर		२६-६-६२	२०.००	
१०.	श्री मूंगालाल सुरेखा, आर० ए० एस०, जयपुर		१-९-६०	९.००	
			योग	४०.६२	

[१८६५

परिशिष्ट

१	२	३	४	५
११.	अम्बिका एयरलाइन्स (दीवालीया)	१९४६-४७	११,२९४.०६	अम्बिका एयरलाइन्स के दीवालिया हो जाने से वसूली नहीं हो सकी। न्याय एवं विधि विभाग के निर्णय के अनुसार अब रकम को अव-लेखन (write off) करने की कार्यवाही की जा रही है।
१२.	कमट्रोलर, महाराजा सम्पत्ति, बीकानेर	२०-११-५०	४८.७२	महाराजा के कम्प्ट्रोलर को भुगतान हेतु स्मरण-पत्र दिया जा रहा है।
१३.	कु० हिम्मतसिंह जैसोल, जोधपुर	६-११-४८	५३४.०६	जिलाधीश, बाड़मेर को पी० डी० आर० एक्ट के अनुसार वसूली करने को लिखा गया है।
१४.	श्री रामरतन कोचर, बीकानेर	१९५४	३१४.३१	जिलाधीश बीकानेर को पी०डी०आर० एक्ट के अनुसार वसूली करने को लिखा गया है।
१५.	पंचायत समिति, बीकानेर	१९६०	६२.५०	
१६.	ठा० हीरसिंह संखु	१०-१-६०	५.००	भुगतान हेतु लिखा जा रहा है।
१७.	श्री रामकिशोर व्यास, भूतपूर्व गृह मंत्री	२७-८-६०	२७.६५	
१८.	ऑफिसर कमांडिंग, डूंगर लैन्सर, बीकानेर	७-६-४९	६८.८७	यह युनिट १९४९ में टूट गई थी। अधिकारी का पता खोजा जा रहा है।
१९.	मेजर एल० आर० रनधीर	१६-११-४९	१३.००	वर्तमान पता खोजा जा रहा है।
२०.	केप्टीन बन्नेसिंह	१४-१०-५९	३४.२५	
२१.	डा० सी० एन० आचार्य, कम्पोस्ट ऑफिसर (भारत सरकार)	१३-३-५०	१७.००	
२२.	श्री डी० आर० कपूर	२६-३-५०	३.५६	
		योग	१२,४२२.९८	
		कुल योग	१३,१४५.७२	

रिक्शा लाइसेन्स

२५३. **श्री भैरोंसिंह** (किशनपोल जयपुर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(१) क्या यह सही है कि सरकार ने कई नगरपालिकाओं को रिक्शा लाइसेन्स देने के लिये संख्या निर्धारित की है तथा कई नगरपालिकाओं को बिल्कुल बन्द कर रखा है ? यदि हां तो, किन किन नगरपालिकाओं में कितनी कितनी रिक्शाओं की अनुमति है और किनमें नहीं ?

(२) क्या यह सही है कि जनता में बेकारी बढ़ने के कारण मजदूर श्रेणी के लोग रिक्शा चला कर अपना जीवन-निर्वाह करना चाहते हैं ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या नीति है ?

उत्तर

(१) जी नहीं।

(२) रिक्शा चलाने के लाइसेंस देने की सरकार की नीति नहीं है।

नायब तहसीलदारों से ट्रेनिंग पीरियड के खर्चे की वसूली

२५४. **श्री भीमसेन** (लूणकरणसर) : क्या राजस्व मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :–

(१) सन् १९५८ में कितने नायब तहसीलदारों का डाईरेक्ट रिक्रूमेंट किया गया ?

(२) उपरोक्त नायब तहसीलदारों में से कितने व्यक्तियों ने दौरान ट्रेनिंग सर्विस छोड़ कर अन्यत्र नौकरी कर ली ?

(३) ऐसे व्यक्तियों में से चेयरमैन, रेवेन्यू बोर्ड की आज्ञा से कितनों से ट्रेनिंग पीरियड का खर्चा वसूल किया गया ?

(४) क्या यह सही है कि उपरोक्त व्यक्तियों से ट्रेनिंग पीरियड में सरकारी सेवायें छोड़ने पर खर्चा वसूली से सम्बन्धित कोई बोण्ड नहीं भरवाया गया था ? अगर हां, तो ऐसे बोण्ड के अभाव में खर्चा कैसे वसूल किया गया ?

उत्तर

१– ९९.

२– ५.

३– उपरोक्त पांच व्यक्तियों में से एक आर० ए० एस० में सिलेक्ट हुआ। उससे रिकवरी का प्रश्न ही नहीं उठता। दो व्यक्तियों से खर्चा वसूल कर लिया गया है। और शेष दो व्यक्तियों से खर्चा वसूल करने की कार्यवाही चल रही है।

इन से कोई बांड नहीं भरवाया गया था। परन्तु इनको रिलीव इस शर्त पर किया गया था कि वे ट्रेनिंग का खर्चा जमा करायेंगे।

नाईलोन फैक्ट्री, कोटा

२५५. **श्री कृष्णकुमार गोयल** (कोटा): क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(१) सरकार द्वारा नाईलोन फैक्ट्री कोटा (J. K.) को कितना ऋण कब दिया गया ?

(२) उक्त रुपया कितनी अवधि में उक्त फैक्ट्री द्वारा यूटीलाइज़ कर लेना चाहिये था तथा क्या उसे निश्चित अवधि में यूटीलाईज़ कर लिया गया था ?

(३) अगर नहीं, तो उक्त फैक्ट्री से कितनी राशि पेनल रेट ऑफ इन्टरेस्ट के रूप में ली गई तथा उक्त फैक्ट्री का यूटीलाइज़ेशन किसके द्वारा कब चैक किया गया ?

(४) क्या यह सत्य है कि इकरारनामे की शरह के अनुसार उक्त फैक्टरी की समस्त मशीनरी सरकार के पास रहन रखी जानी चाहिये थी ? अगर हां, तो अब तक क्यों नहीं रखी गई ? कृपया इकरारनामे को सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(५) क्या यह सत्य है कि इकरारनामें की शर्तों के अनुसार उक्त फैक्ट्री को अपने यहाँ ट्रेनिंग स्कीम की व्यवस्था करनी होगी ? अगर हां, तो अब तक क्यों नहीं की गई ?

उत्तर

(१) राज्य सरकार द्वारा नाईलोन फैक्ट्री कोटा को ३० लाख रुपयों का ऋण दिया गया है। यह ऋण २० लाख रु० तथा १० लाख रु० की दो किश्तों में क्रमशः २-६-५९ तथा १५-३-६१ को दिया गया है।

(२) इकरारनामे में ऐसी कोई अवधि निर्धारित नहीं की गई है।

(३) उपर्युक्त प्रसंग में पीनल रेट ऑफ इन्टरेस्ट का प्रश्न नहीं उठता। ऋण की प्रथम किश्त का यूटीलाइज़ेशन मेसर्स पी० एल० टन्डन एन्ड कम्पनी, चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट्स कानपुर द्वारा चेक करा लिया गया है।

(४) जी हां, इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। इकरारनामे की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(५) जी हां, इस सम्बन्ध में पार्टी को लिखा जा रहा है।

Final Agreement with M/s J. K. Investment Trust Ltd. Kanpur in connection with the Nylone, Factory at Kota.

This Agreement made this 18th day of January, 1957 between the Governor of Rajasthan (hereinafter called the "Government" which expression shall include, where the context so admits, his successors, and assigns) of the one part, and the J. K. Investment Trust Limited, a public limited Company having its registered office at Kanpur (hereinafter called the "borrower" which expression shall, where the context so admits include their heirs, administrators, executors and assigns) of the other part.

Whereas the Government with a veiw to industrialisation in Rajasthan, is desirous of establishing a Nylone Factory in the State at Kotah (hereinafter called the said factory).

And whereas the borrower have agreed to establish the aforesaid factory and the Government have also agreed to advance them a loan of Rs. 30 lacs for the purpose on the conditions hereinafter contained.

Now this deed witnesseth :—

1. The Government shall advance a loan of Rs. 30 lacs to the borrower repayable with interest at 5% per annum, which shall be utilised for the establishment of the said factory and for no other purpose.

2. It is hereby agreed by the borrower that in order to secure the aforesaid loan, the borrower shall pledge with the Government the shares herd by them in such reputed private or public limited companies as are approved and accepted by the Government, and shall formally transfer them in the name of the Government. The amount of the security shall be reckoned at 70% of the value of such shares as aforesaid which in the case of shares not Quoted in the market shall be calculated in the usual commercial manner, and in the case of shares quoted in the market, at the value of the shares, which is quoted on the stock exchange.

It is further provided and agreed that in case the borrower is not able to furnish security as aforesaid, the borrower, shall have to furnish such other security as the Government may demand.

2 (A) It is hereby further agreed by the borrower that in order to further and more fully secure the aforesaid loan and for keeping the Government harmless against any loss which may result from the failure or the borrower to repay the said loan or interest thereon or any other sum due under this agreement to the Government, the borrower shall, before the said

loan or any part thereof is advanced to them, furnish a personal guarantee from Sir Padmpat Singhania S/o Lala Kamlapat Singhania resident of Ganga Kuti, Kanpur, Cantt; in favour of the Government as surety for the due payment of the full amount of loan and interest thereon and of such other sums of money which may at any time be due to the Government from the borrower under this agreement.

3. The loan be advanced in two instalments as follows:—

(a) The first instalment of rupees twenty lacs shall be paid when the following conditions are fulfilled:—

(*i*) The borrower has furnished the security mentioned in clause 2 and 2(A) of this agreement: Provided that if the borrower furnishes a Bank guarantee of the State Bank of India, or any Bank approved by the Rajasthan Government for the repayment of the full amount of the loan and for keeping the Government harmless against any loss which may result from the failure of the borrower to furnish the security required hereunder, the fulfilment of the condition mentioned in this item shall be deemed to have been waived by the Government;

(*ii*) The borrower has for the purpose of erection, establishment and making of the said factory himself invest or incure liability for, a sum of rupees twenty lacs a part from the loan given hereunder;

Provided that the Government shall waive the fulfilment of the requirements of this sub-clause till such time a Bank guarantee furnished by borrower as required under clause 3(a) (i) of the Principle Agreement shall continue to be in force.

(b) The second and last instalment of the loan of rupees ten lacs shall be paid on the expiry of eight months from the following date.

(*i*) the date on which the first instalment shall have been advanced, or,

(*ii*) the date by which the borrower invests or arranges for the investment of another sum of rupees ten lacs a part from the loan given hereunder for the purpose aforesaid, whichever date is later.

4. The repayment of the loan shall begin immediately after the end of 4 years from the date of payment of the last instalment, and in case for any reason the second instalment is not paid to the borrower, within one year from the date of the payment of first instalment then from the date of payment of the first instalments and shall be completed with interest within 10 years in equated annual instalments from the date of the advancement of the first instalment of the loan provided that if any of the instalments for repayment as aforesaid is not paid by the borrower in time and is in arrears in whole or in part, the whole sum then remaining due to the Government

under this agreement on account of principal and interest shall thereupon become payble atonce:

Provided further that if the interest accruing on the said loan during first 5 year of the making of the loan or any part thereof is not paid by the borrower annually, the same shall be added to the principal at the end of each year and shall bear interest at the same rate and in the same manner as if it was a part of the principal and the equated instalments aforesaid shall be re-fixed upon that basis.

5. The borrower further agrees that in case at any time the value of the shares pledged and transferred as required hereinbefore falls to the extent of 15% or more of the value at which the initial security shall have been calculated, the borrower undertakes to furnish an additional security to the extent of such fall in the prices, and if he fails to do so, the entire loan outstanding shall immediately fall due and be recoverable and the Government shall be at liberty to recover the amount from the borrower in any manner it thinks fit.

6. If for any reason, the scheme to establish the said factory is abandoned or the borrower within one year of taking the first instalment fails to take effective steps for the establishment of the said factory to the satisfaction of the Government, or if the borrower is not able to establish the said factory, or has closed the said factory, if established, for reasons not beyond the control of the borrower, the entire loan together with the interest shall immediately fall due and be recoverable.

7. The said factory shall be established by the borrower before the 30th September, 1960 at Kotah with capacity to produce not less than half a ton of Nylone per day.

8. The Government shall have the right to be represented on the borrower company by two directors nominated by it until the loan is fully repaid for which the borrower undertakes to do all that is required in this behalf including the amendment of the Articles of Association if need be.

9. All the movable properties (except raw materials, process stores, finished products) all plant and machinery and all the immovable properties of the said factory created or acquired from time to time shall be hypothecated and mortgaged as the case may be to the Govt. by borrower by a separate instrument by way of a further security for the repayment of the aforesaid loan, and the borrower shall insure the property so mortgaged with a company approved by the Govt., and shall keep the insurance alive until the whole amount of principle and interest shall have been fully repaid.

The assets so hypothecated and mortgaged with the Govt. shall be kept free from all encumbrances and shall not be rehypothecated or mortgaged again or otherwise alienated in favour of any other person for a security of any other loan or amount till the loan advanced hereunder has been repaid, provided that the borrower would be at liberty to create one first charge for not exceeding rupees 81,00,000/- upon the machinery installed in the said factory.

10. The borrower shall make suitable arrangements for the apprentice training at the said factory in accordance with the plan agreed to by the parties hereto.

11 For the establishment of the said factory and the construction of buildings, residential accommodation, roads, wells, water courses, railway siding, roadways, tramway lines, electric lines, water pipes and the like, the Govt. has transferred to the borrower 70 acres of land by way of lease.

12. The land transferred will be on lease basis on the following principal conditions:—

(*i*) The lease shall be initially for a period of 99 years with Convenient for renewal with the sanction of the Govt. for the same period on the same terms.

(*ii*) The total amount of lease money shall be paid in lumpsum by the borrower at the time of allotment.

(*iii*) The land shall not be utilised for any other purpose except for the purpose of the Nylone Factory and its accessories. If the borrower desires to instal any plant for any other industry specific permission shall have first to be obtained from the Government.

(*iv*) The rent will be such as may be agreed upon between the parties or failing agreement, as may be determined by arbitration in the manner provided in clause 21 of the agreement.

(*v*) The borrower shall, at the expiry of the term of the lease or sooner determination thereof, peaceably and quietly surrender to the Govt. the leased property. Subject to the provisions of item (vi) below, the borrower shall, at such expiration or determination of the lease, remove any building or structure erected on the land by him, which, if not so removed before such expiration or determination, shall become the property of the Govt. without any liability to pay any price or compensation thereafter.

(*vi*) The Govt. shall be entitled to purchase all or any of the structures, buildings and fixturés standing on the leased property at the expiration or sooner determination of the lease as the Govt. may select, on paying such price as may be agreed upon between the parties or, failing agreement within reasonable time, as may be determined by arbitration in the manner provided in clause 21 of the agreement.

(*vii*) If the land leased is not put to the use for which it was taken on lease within two years from the date on which the lease takes effect, the Govt. may re-enter on the land, and the lease shall stand determined, but in such case the Govt. shall pay to the borrower an amount equal to 3/4th of one year's rent of the leased property.

(*viii*) The borrower shall not assign or sub-let or otherwise part with the possession of the leased property or any construction erected thereon or any part thereof without the permission in writing of the Government.

(*ix*) The other terms and conditions of the lease shall be such as may be agreed between the parties, or failing agreement, as may be determined by an arbitration in the manner provided in the clause 21 of the agreement.

13. (*a*) If for any reason the scheme for the establishment of the said factory is abandoned or the said factory is not established before 30th June, 1960, or if after establishment, the running of the said factory is permanently discontinued, the land transferred in pursuance of clause 11 shall, on a notice being given to that effect to the borrower by the Govt., be re-transferred by the borrower to the Govt. and for such re-transfer the Govt. shall pay the price paid by the borrower to the Govt. for the land under clause 11.

(*b*) The provisions contained in clause 12 (b) items (iii) and (iv) in respect of buildings, structure and fixtures erected by the borrower on the land shall, *mutatis mutandis*, apply in respect of re-transfer under sub-clause (a) of this clause as they apply in respect of the expiry or sooner determination of the lease mentioned in that clause.

14. For the construction of the said factory and all the buildings, bungalows, quarters, water wells, water courses etc. connected therewith, the Govt. shall give all reasonable facilities for acquiring coal, timber, cement, steel rods, steel plates and structure steel and other miscellaneous articles.

15. The Govt. shall recommend to the Govt. of India for the construction of railway line from the nearest railway station to the said factory and also for a siding therein.

16. The Govt. undertakes to arrange supply through the State Electricity Board, Electric energy upto atleast 600 KWs. from the CHAMBAL - HYDEL - POWER to the Nylone Factory on such charges as may be assessed in this behalf by the Board constituted for the purpose. The Government further undertakes to make reliable arrangements for the supply of power requirement of the borrower as aforesaid in case the supply from CHAMBAL HYDEL POWER is not made available by June, 1960.

17. If for any reasonable cause it is not possible for the Government to provide the facilities contained in clauses 11 to 16, it shall not amount to a breach of a condition of this agreement on the part of the Government.

18. The Chambal Hydel Power shall be supplied to the borrower by the Government at Chambal rates for the purposes of the said factory.

19. If any breach of the conditions, and covnents herein contained and to be performed by and observed on the part of the borrower, occurs, the whole amount of principal and interest payable hereunder, besides any other claim that the Government may have shall be at once due and immediately be recoverable.

20. Notwithstanding any remedy available by virtue of these presents, the Government can recover any amount of money becoming due and payable hereunder, as arrears of land revenue.

21. If any whenever any dispute or difference shall arise regarding the constructions, meaning or effect of any of the terms of this agreement. or rights, power, liabilities or duties of the parties hereunder, or as to the amount of payment of any money in connection with this agreement, the same shall be referred to the arbitration of 2 persons, are to be appointed by each of the parties hereto and in case of difference of opinion between the said arbitrators, to an umpire who has been a judge of the High Court and is appointed by the arbitrators and the decision of such arbitrators or the umpire, as the case may be, shall be final and binding upon the parties.

IN WITNESS whereof the parties hereto have affixed their signatures hereunto on the date and year first above written.

Signed by order of and on behalf of the Governor.

Signature Sd. A. K. Roy.

Designation Secretary to Govt. of Rajasthan, Commerce and Industries Civil Supplies and Labour Department.

In the presence of:

(1) Sd. Illegible
Deputy Secretary,
Industries, Jaipur.

(2) Sd. Jonathan Henry,
P. A. to Secretary, C. & I.

Rubber Stamp of Rajasthan, Government.

Signed on behalf of the borrower.

Common seal of J. K. Investment Trust Ltd.,

For J. K. Investment Trust Ltd.
Sd/- Sital Prasad
Director,

For J. K. Investment Trust Ltd.
Sd/-G. H. Singhania
Director,

(1) Sd/-R. N. Gupta,
Kamla Tower,
Kanpur.

(2) Sd/- S. S. Agarwal,
Kamla Tower,
Kanpur.

सन्डरसन्स जनरल एप्लायेन्सेज़
मैन्यूफैक्चरिंग कं०, कोटा

२५६. **श्री कृष्णकुमार गोयल** (कोटा): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(१) क्या यह सही है कि सण्डरसन्स जनरल एप्लायेन्सेज़ मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी, कोटा को हॉस्पिटल इक्विपमेंट बनाने के लिये इण्डस्ट्रियल एस्टेट में शैड अलॉट किया गया था? अगर हां, तो उक्त कम्पनी ने उक्त कार्य को कब आरम्भ किया ?

(२) उक्त कार्य के निमित्त इस कम्पनी को कितना २ कब २ कोटा अलॉट किया गया तथा इम्पोर्ट लाइसेंस कितने २ व कब २ दिये? तालिका सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(३) क्या यह सत्य है कि उक्त कम्पनी को तांबे का तार खींचने की भी आज्ञा दे दी गई है ? अगर हां, तो कब और क्यों तथा इस निमित्त उक्त कम्पनी को कितना २ कोटा कब २ अलॉट किया गया ?

उत्तर

(१) जी हां, गत माह मई, सन् १९६२ से कार्य प्रारम्भ हो चुका है।

(२) यह सूचना संलग्न सूची में उपलब्ध है।

(३) जी नहीं। अतः कोटा देने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

(४) जी हां। क्योंकि राजस्थान में तांबे का कोटा बहुत ही सीमित है।

तालिका

समय	ई० सी० नं०	धनराशि		
	१. एस० एस० आइ० /११८/ १२ १-६२	६३,५०० रु०	स्टेनलैस स्टील शीट्स १६.२० जी १७ टन्स	लाइसेन्स वास्ते रु०२२,००० के प्राप्त हुआ।
अक्टूबर, ६०	२. एस० एस० आइ/११८/ १२-१-६२	५,५०० रु०	स्टेनलैस स्टील रोड्स और बार्स १टन	लाइसेन्स वास्ते रु० ४,००० के प्राप्त हुआ।
मार्च, ६१	३. एस० ए० आइ०/११६/ १२-१-६१	२४,००० रु०	एम०एस०स्टील कोल्ड रोल्ड १०=२४जी २४ टन्स	लाइसेन्स वास्ते रुपये ६,००० के प्राप्त हुआ जिसकी अवधि दिनांक २८-२-६२ को समाप्त हो गई थी। परन्तु अवधि के वढ़ाये जाने के लिये पत्र व्यवहार जारी है।
		१२,४२५ रु०	कम्पोनैन्ट्स	लाइसेन्स वास्ते रु० ६,०४३ के प्राप्त हुआ।
	४. एस.एस.आइ/ए.एस./६११५/ १४-७-६१	११,००० रु०	स्टेनलैस स्टील शीट २ टन्स	लाइसेन्स प्राप्त नहीं हुआ।
		१,००० रु०	एम० एस० शीट्स १ टन	
अप्रेल				
सितम्बर, ६१	एस०एस०आए० ए०एस०/१५७/ १२-८-६१	२,२५० रु०	एस० एस० आधा टन	लाइसेन्स वास्ते रु० २,२५०
		२५,००० रु०	कम्पोनैन्ट्स	लाइसेन्स प्राप्त नहीं हुआ।

[१८८५

परिशिष्ट

समय	ई० सी० नं०		धनराशि	
	५. एस०एस०आइ०/ओ०एस०/ ६१/६२/२३ १३-१-६२	८२,५०० रु०	स्टेनलैस स्टील १५ टन्स	लाइसेन्स नं० बी० एल० एल०/१२/६२/ ०/३०१/३७. दिनांक २१-४-६२ वास्ते रु० ४८,००० प्राप्त हुआ ।
अक्टूबर, ६१ मार्च, ६२		३,२५० रु०	स्टेनलैस स्टील रोड्स और बार्स	लाइसेन्स वास्ते रु० ३,२५० के प्राप्त हुआ ।
	६. एस०एस०आइ./ओ०एम०/ ६१/६२/३३/ १४-२-६२	८७,४२५ रु०	कम्पोनेन्ट्स	लाइसेन्स प्राप्त नहीं हुआ ।
मार्च, ६२ सितम्बर, ६२	७. एस०एस०आइ./एस०/६२/ १६/२२-६-६२	८२,५०० रु०	स्टेनलैस स्टील शीट्स	लाइसेन्स प्राप्त नहीं हुआ ।
		सामान जो परमिट	संख्या ५३, दिनांक १९-४-६२ और संख्या ७४, दिनांक १०-५-६२ के अन्तर्गत जारी किया गया ।	५ मन एस०/सी/सोफ्ट कॉक । २ मन एच/सी/हार्ड कॉक । ७० मन एच/सी/आक्षकाक/कलेक्टर, कोटा की ओर से ।

सीमेन्ट और टिन शीट्स का वितरण निम्बाहेड़ा

२५७. **श्री अब्दुलजब्बार (निम्बाहेडा):** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(१) क्या निम्बाहेडा में सीमेंट और टिन शीट्स जन साधारण में वितरण हेतु दी जाती है ?

(२) टिन शीट और सीमेंट का वितरण कौन करता है तथा किस आधार पर ?

(३) ऐसे व्यक्तियों की सूची, जिन्हें जनवरी, १९६२ से अगस्त, १९६२ तक सीमेंट और टिन शीट वितरित किया गया है, सदन की मेज पर रखने की कृपा करें। सूची में इन व्यक्तियों को वितरित की गई सीमेंट और टिन शीट की मात्रा भी बताई जाय ?

उत्तर

(१) जी हां।

(२) टिन शीट्स का वितरण जन साधारण 'सिविल कोटा' के लिये वहां की लोकल वितरण कमेटी द्वारा किया जाता है। प्रार्थना-पत्र सम्बन्धित म्युनिसिपल बोर्ड के चेयरमैन या पंचायत द्वारा तस्दीक करने के बाद एकत्रित कर लिये जाते हैं तथा प्रार्थना पत्रों की तारीखों के क्रम से परमिट दिये जाते हैं। सीमेंट का वितरण भी इस क्रम से किया जाता है। एग्रीकल्चर का टिन शीट्स व सीमेंट का कोटा, जिला परिषद् द्वारा जो पंचायत समिति को मिलता है, वह सम्बन्धित सरपंच व ग्राम सेवक की सिफारिश पर पंचायत समिति के प्रधान, विकास अधिकारी और कृषि प्रसार अधिकारी तीनों मिल कर वितरण करते हैं।

(३) जनवरी, १९६२ से अगस्त, १९६२ तक सीमेंट व टिन शीट्स जिन जिनको वितरित किये गये हैं और सीमेंट व शीट की मात्रा जो उनको दी गई है उनकी सूची मेरे पास मौजूद है जो माननीय सदस्य देखना चाहें देख सकते हैं।

इन्डस्ट्रियल एस्टेट, कोटा में उद्योगों को शेड अलॉटमेन्ट

२५८. **श्री कृष्णकुमार गोयल** (कोटा): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(१) कोटा नगर की इण्डस्ट्रियल एस्टेट में कौन कौन से उद्योगों को शैड अलॉट किये गये हैं ?

(२) उक्त उद्योगों को शैड कब २ अलॉट किये गये थे और उनमें से कितने उद्योग अभी तक वहां स्थापित हो चुके हैं ?

(३) उक्त उद्योगों से शैड्स का कितना कितना रेन्ट अभी तक प्राप्त हो चुका है ? तालिका सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(१) कोटा नगर के इन्डस्ट्रियल एस्टेट में १८ विभिन्न विभिन्न उद्योगों के लिये कुल २५ शैड्स अलॉट किये गये हैं। उद्योगों की नामावली एवं शैड्स संख्या संलग्न तालिका के कॉलम संख्या ५ व ३ में अंकित है।

(२) आवश्यक सूचना तालिका के कॉलम संख्या ४ व ७ में क्रमशः अंकित है।

(३) अब तक कुल रुपया १२,१७१.३३ न० पै० शैड्स रेन्ट प्राप्त हुआ है।

स्टेटमेंट इन्डस्ट्रियल एस्टेट

क्रमांक	पार्टी का नाम	शेड नं०	तारीख कब्जा	किस्म उद्योग	किराया वसूल हुआ	उद्योग चालू होने की तिथि	विशेष विवरण
१	२	३	४	५	६	७	८
				ए क्लास शेड			
१.	मेसर्स रेडियो कॉर्पोरेशन ऑफ राजस्थान, न्यू दिल्ली।	७	२०-१-६२	रेडियो व इलेक्ट्रोनिक इक्विपमेन्ट	१३००	—	कार्य चालू नहीं किया गया।
२.	मेसर्स सुन्दरसन्स, इन्डस्ट्रीज प्र० लि० देहली।	८	२५-८-६१	हॉस्पिटल इक्विपमेन्ट	२२०५	मई, ६२	—
३.	मेसर्स डाइरेक्टर स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज, इन्स्टीट्यूट।	११–१२	नवम्बर, ६१	विस्तार केन्द्र	यह प्रश्न संचालक उद्योग विभाग को निर्णय हेतु भेजा गया है।	—	विस्तार केन्द्र के लिये मशीनें फिट की जा रही हैं।

परिशिष्ट

१	२	३	४	५	६	७	८
				बी क्लास शेड			
१.	मेसर्स जवाहर विनोवर्स, कोटा ।	१	१३-११-६१	एग्रीक्लचर इम्प्लीमेन्ट अनाज बरसाने की मशीन	४६२	७-१०-६२	–
२.	मेसर्स नन्द राम भुरा लाल, कोटा ।	३–४	३/१-८-६१ ४/२७-१०-६१	ब्रास यूटेन्सिल	–	–	अलॉटमेंट केंसिल हो चुका है किराये की वसूली की कार्यवाही जारी है।
३.	मेसर्स सुपरिन्टेन्डेट क्लस्टर टाइप सेन्टर, कोटा ।	५–६	१-६-६१	–	१६८० रु०	ट्रेनिंग चालू है।	–
४.	मेसर्स प्रेम इन्डस्ट्रियल कॉर्पोरेशन, कोटा ।	७–८	२०-७-६१	इलेक्ट्रिक कन्डक्टर	५६०	–	कच्चा माल न मिलने के कारण उद्योग चालू नहीं किया ।
५.	मैसर्स राजेन्द्र कुमार नाहर, कोटा ।	९–१०	२५-७-६१	फर्नीचर, व्हील बेरो म्यूनिसिपल रिक्यूजिटिव	११५१/६२	११-११-६१	किराये वसूली की कार्यवाही है ।

परिशिष्ट

१	२	३	४	५	६	७	८
६.	मेसर्स कनकराज सार्दलराज, कोटा।	११-१२	१-१-६२	आइरन फरनीचर	२८०	मार्च, ६२	किराये वसूली की कार्यवाही है।
७.	मेसर्स एच० सी० ए० प्लास्टिक, कोटा।	१४	६-१-६२	वेरियस प्लास्टिक इन्डस्ट्रीज	४७८/७१	-	कच्चा माल व मशीनरी न मिलने के कारण उद्योग चालू नहीं हो सका।
८.	मेसर्स ओम प्रकाश माथुर, कोटा।	१५	१-१-६२	ट्रक बोडीज	४६०	अप्रेल, ६२	-
९.	मेसर्स मानकराज जैन, कोटा।	१६	१-१-६२	स्विच बोर्ड व इलेक्ट्रिक गुड्स	२१०	-	उद्योग चालू नहीं है पार्टी से उद्योग चालू करने को लिखा-पढ़ी जारी है।
१०.	मेसर्स राजस्थान स्माल इन्डस्ट्रीज कोर्पोरेशन, जयपुर।	२५	१७-८-६१	रामेटीरियल	७६३/३६	डिपो चालू है।	किराये की कार्यवाही जारी है।
११.	मेसर्स कुन्जविहारीलाल ए० के०, कोटा	२६	१-३-६२	प्रिन्टिंग मशीन।	४२०/	-	कार्य चालू नहीं किया गया।
१२.	मेसर्स राजस्थान रेफ्रीजरेटर, न्यू दिल्ली।	२८	२५-५-६१	रेफ्रीजरेटर्स	-	चालू नहीं है	,,

परिशिष्ट

१	२	३	४	५	६	७	८
१३.	मेसर्स प्रिमियर इन्डस्ट्रियल कॉर्पोरेशन, कोटा ।	२६ व ३०	५-७-६१ १३-६-६२	हास्पिटल इक्विपमेन्ट	६७०/६७	मार्च, ६२	कार्य चालू नहीं किया गया ।
१४.	मेसर्स गिलर्ड रेडियो कॉर्पोरेशन, कोटा ।	३१	१-१-६२	रेडियो कम्पोनेन्ट्स	२१०	अप्रेल, ६२	,,
१५.	मेसर्स एसोसिएटेड स्टील इन्डस्ट्रीज, कोटा ।	३२	१४-४-६१	एग्रीक्लचर इम्प्लीमेंट्स ।	१०८६/६७	११-१०-५१	,,
					१२,२७१/२३		

नोट:—४.ए टाइप शेड निम्न पार्टियों को एलॉट हो चुके हैं, किन्तु पी० डब्ल्यू० डी० से इनका कब्जा नहीं मिला है :

(१) कोटा रबर इन्डस्ट्रीज कोटा ।

(२) ऑटो इलेक्ट्रिक इन्डस्ट्रीज, कोटा ।

(३) रेडियो बेटरी कॉर्पोरेशन, कोटा ।

(४) नन्दराम सूरजमल, कोटा ।

डेपूटेशन पर भेजे जाने वाले ओवरसीयर्स

२५९. **श्री रामानन्द अग्रवाल** (अलवर): क्या मंत्री सार्वजनिक-निर्माण विभाग उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(अ) क्या यह सही है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग की ओर से कुछ ओवरसीयर्स पंचायत समितियों में डेपूटेशन पर गये हुए हैं ?

(आ) क्या यह सही है कि कुछ ओवरसियरों को पंचायत समितियों से वापिस बुला लिया गया है ?

(इ) पंचायत समितियों को डेपूटेशन पर भेजे हुए इन कर्मचारियों को वापिस बुलाने के लिये क्या आधार निर्धारित है ?

(ई) क्या सरकार प्रत्येक ओवरसीयर को एक निश्चित अवधि के लिये प्रारंभ में पंचायत समिति में मुलाजमत करने का नियम बनाने पर विचार कर रही है ?

(उ) क्या सरकार डेपूटेशन पर भेजे गए ओवरसियरों को एक निश्चित अवधि के बाद निर्माण अथवा सिंचाई विभाग में वापस आने का अवसर देने पर विचार करेगी ?

उत्तर

(अ) जी, सही है ।

(आ) जी हां ।

(इ) प्रधान व विकास अधिकारी की सिफारिश करने पर या ओवरसीयर को एक ही जगह दो साल पूरा हो जाने पर ।

(ई) जी नहीं ।

(ऊ) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

त्यौहारों पर अग्रिम वेतन

२६०. **श्री भैरोंसिंह** (किशनपोल, जयपुर): क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) सरकार द्वारा सन् १९६२ के लिये किन २ त्यौहारों को प्रमुख त्यौहार माना गया है जिसके लिये वेतन अग्रिम रूप में दिया जा सकता है ?

(ख) इन त्यौहारों का चयन किस आधार पर किया गया है ।

उत्तर

(क) सरकार द्वारा इस प्रकार के कोई त्यौहार घोषित नहीं किये गये हैं । Head of Department ही अपने अधिकार क्षेत्र में ही ऐसे त्यौहार घोषित करते हैं ।

(ख) यह कार्य सरकार का नहीं लेकिन Head of Department का ही है । ऐसे त्यौहारों का selection स्थानीय परिस्थितियों आदि को ध्यान में रख कर तथा रिकग्नाइज्ड एसोसियेशन आदि से (यदि कोई हो) राय लेकर ही किया जाता है ।

नॉन-प्लान तथा थर्ड प्लान आउट-ले में बचत

२६१. **श्री भीमसेन** (लूणकरणसर): क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि सरकार ने अपने नॉन-प्लान तथा थर्ड प्लान आउट-ले में बचत करने हेतु कुछ कदम उठाये हैं ? अगर हां, तो इस संबंध में अब तक क्या २

कदम उठाये गये हैं तथा उनके कारण कुल कितनी बचत संभावित है ?

(२) राज्य सरकार को किन २ कारणों से उपरोक्त कदम उठाने को विवश होना पड़ा ? अगर ये कदम उठाये जाने आवश्यक थे तो अब तक ऐसा न करने के क्या कारण थे ?

उत्तर

(१) हां, सरकार ने बचत के ठोस कदम उठाये हैं। नॉन प्लान में बजट में ५०.०० लाख कमी करने का प्रस्ताव था लेकिन जो अब तक आदेश जारी किये जा चुके हैं उनके अनुसार १३१.६२ लाख रु० (रेवेन्यू ९४.६० कैपिटल ३७.०२) की बचत होने की आशा है जैसा कि स्टेटमेंट में दिखाया गया है, जो कि सदन की मेज पर रख दिया गया है। प्लान आउट-ले (Plan outlay) पर भी पुन: विचार हुआ है और स्टेट के साधनों को ध्यान में रखते हुए १९६२-६३ के लिये core of plan पर ३६०५.८१ लाख रु० (say 36 crores) खर्च करने का अनुमान है जबकि बजट में ३८३४.०० लाख का provision है। इसकी सेक्टर वाइज़ डिटेल का statement भी सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(२) Third Five year Plan के लिये जो साधन राज्य सरकार को जुटाने थे उनके पूरे होने में कठिनाइयां उपस्थित होने के कारण-जैसे नये टेक्सों से कम आय का होना sale of land और betterment Levy से estimate से कम आय होना इत्यादि-प्लान की स्कीमों पर पुन: विचार हुआ है और उसको दो टुकड़ो में बांट दिया गया है। एक वह जो प्लान का core समझा जाता है, यानी जिसका पूरा किया जाना बहुत जरूरी है और दूसरे वो स्कीमें जिनको यदि साधन उपलब्ध न हों तो इस प्लान पीरियड में defer भी किया जा सकता है। लेकिन कोई भी निश्चय इस संबंध में final नहीं लिया गया है और समय समय पर इन पर पुन: विचार होता रहेगा।

Revised Annual Plan 1962-63-Outlay Sectorwise

Sector 1	Amount 2
I. Agricultural Programmes	
(1) Agricultural Production :	
(i) Agricultural.	71.09
(ii) Land Development :—	
(a) Agriculture Deptt.	4.94
(b) Consolidation Deptt.	4.75
(2) Minor Irrigation :—	
(i) Agricultural Deptt.	40.00
(ii) Irrigation Deptt.	60.00
(3) Soil Conservation :	
(i) Agricultural Deptt.	10.00
(ii) Forest Department.	4.20
(4) Animal Husbandry.	35.00
(5) Dairying and Milk Supply.	5.60
(6) Forests.	31.00
(7) Fisheries.	1.40
(8) Warehousing & Marketing :	
(i) Agricultural Deptt.	1.00
(ii) Co-operation Deptt.	2.00
TOTAL I ...	270.98
II. Co-operation and Community Development.	
(1) Co-operation.	49.92
(2) Community Development.	210.00
(3) Panchayats.	60.00
TOTAL II ...	319.92
III. Irrigation and Power.	
(1) Irrigation :	
(i) Rajasthan Canal.	650.30
(ii) Pong Dam.	460.00
(iii) Others.	270.34
(2) Flood Control.	20.00
(3) Power.	470.00
TOTAL III ..	1870.34

1	2
IV. Industry and Mining.	
(1) Large and Medium Industries.	10.00
(2) Mineral Development.	32.00
(3) Village & Small Industry.	40.00
TOTAL IV ..	82.00
V. Transport & Communications.	
(1) Roads.	190.00
(2) Tourism.	2.00
TOTAL V ...	192.00
VI. Social Services.	
(1) General Education including Cultural Programme.	320.00
(2) Technical Education.	
(3) Health:—	
(*i*) Modern medicine.	180.00
(*ii*) Ayurved.	7.98
(*iii*) Urban Water Supply.	122.00
(*iv*) Rural Water Supply.	35.00
(4) Housing:—	
(*i*) Low Income Group Housing.	30.00
(*ii*) Industrial Housing.	12.60
(*iii*) Rural Housing.	13.00
(*iv*) Slum clearance.	1.00
(5) Welfare of Backward Classes.	32.00
(6) Social Welfare.	3.75
(7) Labour and Labour Welfare.	7.00
(8) Public Co-operation.	—
TOTAL VI ..	764.33
VII. Miscellaneous	
(1) Statistics.	7.24
(2) Information & Publicity.	4.00
(3) Local Bodies (Urban C. D.)	—
(4) Others (Mandies)	15.00
TOTAL VII ...	26.24
GRAND TOTAL I to VII ..	3525.81
Additional amount for Pong Dam.	80.00
TOTAL ..	3605.81

Statement showing progress of economy measures

Heads of Account	Amount of economy adopted tentatively in budget estimates 1962-63.	Amount for which orders of reduction have been issued
1	2	3
9—Land Revenue.	...	5 31
10—State Excise Duties.	0'64	...
11—Taxes on Vehicles.	...	0 51
12—Sales Tax.	0'64	...
13—Other Taxes and Duties.	0 32	...
14—Stamps.	..	...
15—Registration.	..	...
18—Parliament and State Legislatures.	...	...
19—General Administration.	11'00	1'77
21—Administration of Justice.	1'00	...
22—Jails.	...	0'43
23—Police.	12'00	28'24
26—Miscellaneous Departments.	0'50	4'31
27—Scientific Departments.	0'30	...
28—Education.	5 00	23'01
29—Medical.	1'00	3'10
30—Public Health.	0'50	0'90
31—Agriculture.	2 55	3'22
33—Animal Husbandry.	1'75	1'77
34—Co-operation	1'80	2'26

1	2	3
35—Industries.	0·25	6·72
37—Community Dev. Projects etc.	0·05	..
38—Labour and Employment.	...	0·49
39—Miscellaneous Social and Development Organisations.	0·25	6·72
44—Irrigation-Charges on Irrigation (Combined) Establishment and Tools and Plants.	2·25	1·05
50—Public Works-Charges on Buildings and Roads (Combined) Establishment and Tools and Plants.	6·10	1·94
64—Famine.	...	0·11
68—Stationery and Printing.	...	1·35
70—Forest.	1·90	0·41
71—Miscellaneous.	0·20	0·98
TOTAL	50·00	94·60

CAPITAL HEADS

103—Capital Outlay on Public Works.	..	30·00
114—Capital Outlay on Roads and Water Transport Schemes.	...	...
124—Capital Outlay on Schemes of Government Trading.		0·02
Q—Loans and Advances by State Governments.		7·00
TOTAL		37·02

सिकराय क्षेत्र में मिडिल स्कूल

२६२. **श्री लक्ष्मणप्रसाद** (सिकराय) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या सरकार का सिकराय क्षेत्र में इस साल मिडिल स्कूल खोलने का इरादा है ? यदि हां, तो किस किस ग्राम में ? और नहीं तो क्यों ?

उत्तर

मितव्ययता योजना को दृष्टिगत रखते हुए इस वर्ष कोई भी प्राथमिक शाला माध्यमिक शाला में परिवर्तित नहीं की जा सकेगी ।

अनुसूचित जाति के छात्रों को छात्रवृत्ति

२६३. **श्री रावतराम** (सादूलपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) सन् १९६१-६२ में राजकीय प्राथमिक पाठशाला नम्बर १ रतनगढ़ के द्वारा अनुसूचित छात्रों के छात्रवृत्ति प्राप्त करने के कुल कितने आवेदन-पत्र शिक्षा विभाग को मिले ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(२) उक्त आवेदन-पत्रों में से कितने छात्रों को छात्रवृत्ति मिली ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(३) जिन छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिली और उनके आवेदन पत्र खारिज कर दिये गये इसका क्या आधार है ?

उत्तर

(१) सन् १९६१-६२ में राजकीय प्राथमिक पाठशाला नम्बर १ रतनगढ़ के अनुसूचित छात्रों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति के लिये किसी भी छात्र का आवेदन-पत्र प्राप्त नहीं हुआ ।

(२) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(३) प्रश्न ही नहीं उठता ।

दिनांक १० अक्टूबर, ६२ का स्थगित प्रश्न

भरतपुर जिले में छात्रवृत्तियां

१५. **श्री रामकिशन** (वैर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) गत वर्ष भरतपुर जिले में अनुसूचित जातियों के कितने छात्रों को छात्रवृत्तियां दी गई हैं ?

(२) क्या यह सत्य है कि छात्रों के प्रार्थना-पत्र होते हुए भी उन्हें छात्रवृत्ति नहीं दी गई और इस मद में स्वीकृति रकम लैप्स हो गई थी ?

(३) यदि हां, तो ऐसा क्यों हुआ है ?

उत्तर

(१) गत वर्ष भरतपुर जिले में ३६८ अनुसूचित जाति के छात्रों को छात्रवृत्ति दी गई थी ।

(२) जी हां । कक्षा १ से ५ तक के अनुसूचित जाति के छात्रों के प्रार्थना पत्र होते हुए भी उन्हें छात्रवृत्ति नहीं दी गई थी क्योंकि निर्धारित कोटा समाप्त हो चुका था । इस मद में कोई रकम लैप्स नहीं हुई ।

(३) प्रश्न नहीं उठता ।

शुद्धि-पत्र

(बृहस्पतिवार, दिनांक १८ अक्तूबर, १९६८)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
१	२	३	४
१६६४	२१	Hance	Hence
१६६६	१५	आचार्य) : प्राथमिक	आचार्य : (क) प्राथमिक
१६६६	१२	आपनें	आपने
१७०८	१	सेंसंस	सेंसस
१७१६	अंतिम पंक्ति	अवसर	असर
१७५२	१, १० व २१	प्राववलव	प्राक्कलन
१७५७	१७	अधिकांर	अधिकार
१७७८	३	विधयक	विधेयक
१७७६	शीर्षक	बिकी	बिक्री
१७६८	१५	चह	वह
१८०८	१०-११	हयुर काव	हयर का व
१८१७	१-२	छुआछत	छुआछत
१८२१	१८	बाडदार	बाढ़दार
१८२३	१०	गोला	गोली
१८४५	शीर्षक	गाली	गोली
,,	१४	एक्सट्राआर्डिनरी	एक्सट्राऑर्डिनरी
१८५३	१५	११२६	११६२
,,	२४	द्वारा	द्वारा
१८५७	२१ (२)	4655	4645
१८७३	अंतिम	10m	from
१८८०	१३	bungalows,	bungelows
१८६६	(II) ३	051	0.51